खण्ड-346, अंक-7
बुधवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1902
(24 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	903-906
प्रश्नोत्तर	907-938
थाना कर्नलगंज, जिला गोण्डा की हवालात में श्री विन्देश्वरी लोनिया की गला दबाकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	938-939
लखनऊ स्थित गाजीउद्दीन हैदर कैनाल में अचानक पानी बढ़ जाने से उसके किनारे की झोपड़ियों के बह जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	939-940
बांदा जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराये गये राहत कार्यों की मजदूरी न दिये जाने से मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	940
वि किसान सहकारीचीनी मिल लिमि0 सठियांव, आजमगढ़में अवैध-हथियारों की बरामदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1980 के आवेदन-पत्र अभ्यार्थियों को न भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	940-941
लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के विरोध में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	941-944
विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन का प्रस्ताव....(स्वीकृत) ..	944
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ..	944-946
1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान- अनुदान संख्या 28, 41, 70, 71, 72, 75, 76, 82 व 104- सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुदान..(पारित) ..	946-1001
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	1001
महात्मा गांधी स्मारक इन्टर कालेज, सुल्तानपुर में परीक्षा दे रहे दो विद्यार्थियों की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..1001-1006
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	..1006-1020
सत्थी	.. 1021-1023

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 1 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 312

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अख्तर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीज रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी, (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजोत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खोरी)
(उर्फ सुत्तन भया)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० प्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडरी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश दण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुशेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रबली ब्रम्हचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी–गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह, मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जेराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थक्कन सिंह, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ, राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पार्वती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी रास, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)

बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज वल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रम्ह दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (ददायूं)
मोहम्मद नवी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फरुखाबाद)
राम अबध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोबिन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण श्री (मिर्जापुर)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लीलपति, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला रकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कल्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ठाना, कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
सम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीत चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनीला शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुक्म सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 24 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सिंचाई निर्माण खण्ड, उन्नाव, के अधिशासी अभियन्ता की रिश्वत लेते गिरफ्तारी

*1--श्री मन्जूर अहमद--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1980 को सिंचाई निर्माण खंड, उन्नाव के एक अधिशासी अभियन्ता को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो क्या अधिशासी अभियन्ता को सेवा से निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित करने का आदेश जारी कर दिया गया है ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 3 जुलाई, 1980 को अधिशासी अभियन्ता घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए और 6 अगस्त को मैंने सवाल उठाया और यह सवाल 10-9-80 को स्थगित कर दिया गया जब कि सारी सूचनायें मंत्री जी के पास उपलब्ध थीं । यह लगभग पौने दो महीने हो गये और निलम्बन नहीं किया गया, इसके क्या कारण हैं और अब कौन सी तारीख को निलम्बित किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब से यह सूचना मिली है, उसके बाद से निलम्बन की कार्यवाही शुरू होती है, इसमें विलम्बन थोड़ा जरूर हुआ और फिर भी निलम्बन (शोर) ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब आया ही नहीं । मैंने तो माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहा था कि उस अभियन्ता के निलम्बन में देर के क्या कारण हैं और किस तारीख को अब उसका निलम्बन किया गया ? यह दोनों सवालों का जवाब तो मान्यवर आया ही नहीं ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, निलम्बन 15-8-80 को हुआ ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सुपरिंटेन्डेन्ट इंजीनियर के खिलाफ जिस असिस्टेंट इंजीनियर ने शिकायत की थी और उसको गिरफ्तार करवाया तो कहीं इस असिस्टेंट इंजीनियर की इंक्री वगैरह न खराब कर दी जाये, इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, गिरफ्तार कराने वाले एक असिस्टेंट इंजीनियर हैं, श्री इस्माईल। इनका कहना है कि वह एक हजार रुपये मांग रहे थे, उन्हें यह रुपये देते हुए गिरफ्तार कराया है।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, उस अभियन्ता की ई0 बी0 वगैरह दुरुस्त कर दी गयी है। इस पर जांच करायें और जिसने उसको गिरफ्तार करवाया है, उसकी कोई इन्क्री वगैरह न दे दी जाय, सुरक्षा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मुझे यह सूचना मिली कि एक हजार रुपया लेते समय गिरफ्तार किया गया है, मान्यवर, इसी के अनुसार कार्यवाही हुयी और उसको निलम्बित कर दिया गया। बाकी माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस असिस्टेंट इंजीनियर ने बड़े इंजीनियर को गिरफ्तार कराया तो क्या उसने एफ0 आई0 आर0 में और कलेक्टर साहब के सामने जो बयान दिया उसमें उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि इससे पहले भी 500 रु0 उसके द्वारा घूस दिया जा चुका है। तो इन सब बातों को देखते हुए कि वह असिस्टेंट इंजीनियर अपने उस बड़े अधिकारी को लगातार घूस देता रहा है। तो इस घूस देने के खिलाफ उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर सहायक अभियन्ता ने जिला मैजिस्ट्रेट से कहा था कि 5 सौ रुपया हम दे चुके है और रुपया मांग रहे हैं यह शिकायत की थी और क्या-क्या शिकायत थी इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

जो बात सहायक अभिन्यता ने कही है उससे सिद्ध होता है कि उसने घूस दिया तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्योंकि घूस देने वाला भी जुर्म का भागीदार है।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य ने जो कहा देने वाला भी जुर्म का भागीदार है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो सहायक अभियन्ता और अन्य इंजीनियरों ने यह शिकायत की थी कि फलां-फलां इंजीनियर हमको परेशान कर रहे हैं, रिश्वत मांगते हैं इस प्रकार की शिकायत 5-6 महीने पहले किया था और इस बात की शिकायत मैंने स्वयं मन्त्री जी से की, उसके कैरेक्टर रोल वगैरह उन्हीं के अण्डर में होते हैं दबाव में आकर 5 सौ रुपया दिया वैसे तो यह पुलिस के है विजीलेन्स ने पकड़ा है किन्तु जो प्रार्थना-पत्र इन्होंने पहले दिये हैं इनकी सुरक्षा की दृष्टि से उनको मंगाकर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसमें जितनी गहराई से जांच हो सकती है की जायेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जायेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित क्या मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंग जो रिश्वत थी वह जो आपके विभाग में कमीशन का परसेन्टेज है कि जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता को देता है और वह अधिशासी अभियन्ता को देता है और अधिशासी अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता को देता है, तो क्या जो कमीशन का रेट है उससे ज्यादा था जो आप गबन कह रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मैं यह नहीं समझता हूं प्रश्न इतना था कि वह रंगे हाथ पकड़े गये उसका जवाब दे दिया गया और यह भी बताया गया की वह निलम्बित किये जा रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मन्त्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि वह रंगे हाथ पकड़े गये और विजीलेन्स द्वारा पकड़े गये । तो वह ट्रैप स्कीम बनाकर पकड़े गये होंगे तो जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात का निर्धारण हो जाना चाहिये था । तो क्या उस इंजीनियर के जो सीनियर आफिसर हैं, एक्शन न लें, इसका कोई आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इसकी गहराई से जांच कराई जायेगी ।

[दिनांक 24 सितम्बर, 1980 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला चमोली में आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की मांग

*1—श्री कुंवर सिंह नेगी (अनुपस्थित)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली की ऊखीमठ तहसील के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यापीठ में इस समस्त उत्तराखण्ड की एक मांग राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित किए जाने की चली आ रही है तथा जहां पर भवन, आयुर्वेदिक रसायनशाला व सहायक वैद्य की दीक्षा की सुविधायें वर्तमान हैं, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है तथा कब से इस आयुर्वेदिक महाविद्यालय के अरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

जिला चमोली में आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2--श्री बल्देव सिंह आर्य--

[8वें बुधवार के लिए स्थगित--

गोरखपुर में आमी नदी के तटों को बांधने की योजना

*3--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में आमी नदी के तटों को बांधने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन ह ? यदि हां, तो उसके दोनों किनारों को बांधने का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिए जाने की आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हां ।

योजना के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसके पूर्ण हो जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

श्रीमती गौरी देवी--

माननीय मन्त्री जी, क्या इसके पूर्व भी दोनों किनारों को बांधने के लिए सर्वेक्षण हुआ था जिसे टी० ए० सी० द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, कारण क्या था ? और पुनः मगहर तेलाई पुल तक बांध बंधाने की ही योजना थी तो क्या अब जो सर्वेक्षण हो रहा है वह पयरहवा जिला बस्ती से कौड़ीराम, जिला गोरखपुर तक के दोनों तटों को बांधने के लिए किया जा रहा है अथवा किसी हिस्से का ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह आमी नदी जहां से निकली है वहां से कौड़ी राम तक बन्ध बना कर कैसे सुरक्षा की जा सकी है, इस सम्बन्ध में सर्वे आफ इंडिया से जानकारी की जा रही है । क्योंकि यह बहुत लम्बा काम है और यह देखना होगा कि इससे बनने से क्या-क्या असर पड़ सकते है । इसलिए बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वह तट बन्ध कब तक बन जायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह काम जो कण्टूर सर्वे आफ इंडिया करती है, उससे कहा गया है, काम कर रहे है और जब पूरा कर लेंगे, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

यह निजी और सत्य तथ्य है कि जो अमी नदी है वह कौड़ी केहरा के पास गिरती है । तो क्या मन्त्री जो इस बात की निगरानी रखते हुए तब बन्ध बनवायेंगे कि यह नदी बहुत पतली है और इसके अगल-बगल के हिस्से चौड़ी हैं तो जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जायेगा जैसे तसला हो माननीय, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो ब्रन्धे बनाये जाते हैं तो जहां आवश्यकता होगी रेगुलेटर बनाकर पानी निकासी की जायेगी ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

पिछली विधान सभा में श्री रवीन्द्र सिंह ने इसी पर सवाल किया था उस समय भी इसी तरह का उत्तर शासन ने दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि अब कितने दिन में सर्वेक्षण करा लेंगे और कब उस पर काम प्रारम्भ करने जा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सिंचाई विभाग की छतार्ड पुल तक एक योजना है । इसमें बहुत दिक्कतें हैं । कण्टूर सर्वे के लिए सर्वे आफ इंडिया को दिया गया है । जब आ जायेगा तो हो जायेगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

जो बन्धों का सर्वेक्षण हो जाता है और उसके बाद टी० ए० सी० के पास जाता है । वह मौका तो देखता नहीं तो क्या इसको देखते हुए बस्ती, देवरिया, गोरखपुर में राप्ती आमी पर काम के लिए टी० ए० सी० के स्थान पर कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय, इसके लिए सर्वे करा रहे हैं और टी० ए० सी० की स्वीकृति इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी होती है । यदि उसकी संस्तुति न ली जाये तो यह ठीक नहीं है । इसलिए एडवाइजरी कमेटी के पास भेजना आवश्यक होता है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ--

माननीय, यह लोग भी देख लें, ऐसी व्यवस्था कर देंगे ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया)

*4--श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद आजमगढ़ के मुहुला-गढ़वाल बांध के रख-रखाव पर व्यय

*5--श्री पंचानन--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा के किनारे बने महुला गढ़वाल बांध की मरम्मत एवं रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के किनारे बने महुला गढ़वाल बांध की मरम्मत एवं रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 1978-79 व 1979-80 में क्रमशः 29.30 तथा 4.20 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में केन्द्र सहायता से प्राप्त धनराशि से 24.17 लाख रुपये बांध पर क्षतिग्रस्त बाढ़ कार्यों पर व्यय किया गया जिसमें बांध की मरम्मत का कार्य भी सम्मिलित हैं।

श्री पंचानन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह धनराशि अलग-अलग कितने मदों पर व्यय की गयी।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह जो 24.17 लाख रुपये का है। इसका विवरण दे रहा हूं। महुला गढ़वाल बांध की मरम्मत पर 10,83,275.75 क्षतिग्रस्त बाढ़ कार्यों की मरम्मत पर, 3,64,511.10 रुपया एम0 जी0 बंधे का रैम्प की मरम्मत पर, 9,412 रुपये एम0 जी0 बंध का फिलिंग डिप्रेशन पर, 16,124 रुपये एम0 जी0 बंधे पर लोहे के फाटकों की आपूर्ति पर, 1,28,817 रुपये एम0 जी0 बंधे का एस0 आर0 पर, 2,38,817.60 एम0 जी0 बंधे पर, विंचिंग पर 2,17,165 रुपये एम0 जी0 बंधे पर, स्क्रू गेट रेगुलेटर में प्लेप गेट पर 33,357.30 रु0, एम0 जी0 बंधे के 47.72 कि0 मी0 पर स्पर के निर्माण पर 28,365.30, एम0 जी0 बंधे पर ब्रिक सोलिंग पर व्यय 1,60,626 रुपये, एम0 जी0 बंधे पर प्रथम श्रणी के ईटों की आपूर्ति पर 48,824 रुपये, एम0 जी0 बंधे पर पिंचिंग व मरम्मत पर 1,232 रुपय, एम0 जी0 बंधे पर पत्थरों के बोल्डर की आपूर्ति पर 13,527 रुपये, एम0 जी0 बंधे के 47.61 कि0 मी0 पर स्पर की मरम्मत पर 72,883 रुपये व्यय हुआ। कुल 24,16,999.95 रुपये व्यय किया गया।

श्री पंचानन--

मान्यवर, यह जो....।

श्री उपाध्यक्ष--

पंचानन राय जी आप बिना बुलाये हुए बोल रहे हैं। मैं आपका नाम लेता तब बोलते। विराजिये।

श्री राम कुंवर सिंह--

मान्यवर, यह लम्बी चौड़ी लिस्ट बतायी। कहां-कहां यह व्यय हुआ क्या बतायेंगे ? कहा कि फाटक पर व्यय हुआ, मरम्मत में व्यय हुआ, उसका विवरण देंगे। इतनी लम्बी रकम इन मदों पर कैसे खर्च हुई थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इतनी लम्बी रकम है । विवरण तो दे दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

विवरण तो दे दिया ।

श्री राम कुंवर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि किन चीजों पर खर्च हुआ । मिट्टी पड़ी, फाटक में खर्च हुआ । डिटेल देने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने डिटेल में बता दिया । जब कोई मरम्मत होती है, फाटक टूट जाता है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ती है ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि बंधे की मरम्मत में 29 लाख खर्च हुआ । लेकिन अगर 29 लाख व्यय हुआ और 24 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट से आया तो कुल खर्च 53.47 लाख होता है । तो मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 1978-79 में बाढ़ आयी थी, तो क्या उक्त बंध क्षतिग्रस्त हुआ था ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह 29.3 रुपया है, लाख नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी कृपया अपना उत्तर फिर पढ़ लें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैंने पढ़ लिया है । जब मैंने प्रश्न को पढ़ा था तो रुपया पढ़ा था, लाख नहीं । यह रुपया है, लाख नहीं । यह 24.17 लाख रुपया है और वह 29.3 रुपया है । यह खर्च हुआ । यह 29.3 रुपया है, 29.3 लाख नहीं ।

श्री राम कुंवर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके जांच करायेंगे और जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की है, उसको सजा होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यदि माननीय सदस्य कोई स्पेसफिक चार्ज देंगे, तो जरूर उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से आश्वासन चाहता हूं । क्योंकि कई बार पूछने पर भी तो संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । मान्यवर, जब बंधा टूटा ही

नहीं था और लगभग 30.00 लाख खर्च दिखला दिया, तो यह कैसे हुआ ? क्या इस पूरे समूचे मामले की जांच को माननीय मन्त्री जी सतर्कता विभाग को सुपुर्द करके एक निश्चित समय में जांच कराने का यकीन दिलायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य को किसी तरह की शिकायत होगी तो जरूर जांच करायेंगे । प्रश्न में तो केवल पूछा गया है कि कितना खर्च हुआ, जिसको बता दिया । लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य कोई शिकायत बतायेंगे, तो जरूर जांच करवा लेंगे ।

श्री मन्जूर अहमद—

बंधा टूटा कि नहीं ? यह 30 लाख रुपये कैसे खर्च दिखला दिया यदि बंधा टूटा ही नहीं । सिर्फ इतनी सी बात के बारे में....।

श्री राम कुंवर सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं बंधा टूटा कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम कुंवर जी आप बैठें, अभी मन्जूर साहब बोल रहे हैं ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि बंधा टूटा नहीं और इतना रुपया मरम्मत में दिखला दिया । तो सीधी बात है, माननीय सदस्य ने कहा और मैं कह रहा हूं । उसका जवाब आना चाहिये । यह 30.00 लाख रुपये कैसे खर्च कर दिया ? तो उसके लिये सीधी बात है कि इसकी जांच सतर्कता विभाग के सुपुर्द करने के लिये क्या माननीय मन्त्री जी तैयार हैं और निश्चित समय में जांच करा लेंगे ? मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब दिलवा दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैंने तो स्वयं कहा है कि यदि किसी माननीय सदस्य को शिकायत होगी, तो जांच करा लेंगे । मान्यवर, आपको तो मालूम ही है कि 1977-78 में कितनी बाढ़ आयी थी । माननीय सदस्य भी जानते हैं । तो उसी वक्त मरम्मत का कार्य हुआ । लेकिन जब कोई शिकायत बतायेंगे कि क्या गड़बड़ी हुयी, तो जांच करा लेंगे ।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, मेरा भी सवाल है । माननीय पंचानन राय के पूरक प्रश्न और माननीय मन्त्री जी के जवाब से कुछ बातें सामने आयीं । मान्यवर, उस समय श्री राम नरेश यादव मुख्य मन्त्री थे तो 24 लाख रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिला । उसी बंधे पर लगा था नहीं ? माननीय पंचानन राय जी सूचना दे रहे ह बांध टूटा नहीं है और मंत्री जी कह रहे हैं कि केवल 29 रुपया खर्च हुआ है 29 लाख नहीं है । तो इस तरह से इसमें तमाम शुबहा हुआ है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 24 लाख जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है वह कहां

खर्च हुआ । 29 रुपया किस चीज पर खर्च हुआ, 29 रुपया तो घास कटाने के लिये भी पूरे नहीं होंगे तो यह 29 रुपया किस काम में खर्च हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने 24 लाख के ब्रेकअप को* अभी बताया है । जो सवाल पूछा गया था, जितनी धनराशि खर्च हुयी है उसको मैंने उत्तर दे दिया है । माननीय सदस्य अगर कोई शिकायत करेंगे, शिकायत बनाकर देंग तो उसकी जांच जहां हो सकती है, करायी जायगी ।

(प्रश्न संख्या 8 पुकारे जाने पर)

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

अंतिम निर्णय तो हो जाने दीजिये ।

श्री पंचानन--

मैंने अभी-2 अनुपूरक प्रश्न भी नहीं किये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

श्री पंचानन--

मान्यवर, एक सप्लीमेंटरी कर लेने दीजिये ।

मान्यवर, एक नीति आप तय करल । मेरा सवाल है । आप 4 सवाल करने की इजाजत देते हैं लेकिन मेरे अभी 2 भी नहीं हुये हैं । मेरे साथ अन्याय हो रहा है । बंधा टूटा नहीं है और इतना पैसा खर्च हो गया है । मंत्री जी कहते हैं कि लिखकर दीजिये । मंत्री जी के यहां कोई पढ़ता नहीं है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बिना इजाजत बोल रहे हैं । आपके प्रश्न म अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मंत्री जी ने कहा ह कि आप लिखकर दे दीजिये । लिखकर भेज दीजियेगा उसका मंत्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री पंचानन—

मुझे एक प्रश्न कर लेने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं दूसरा प्रश्न ले चुका हूं ।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र--

विरोधी पक्ष बन के दुरुपयोग में सहायक सिद्ध हो रहा है ।

श्री ऊदल—

विरोधी पक्ष सबूत दे रहा है दुरुपयोग का, मंत्री जी आपकी पार्टी के हैं, कौन शामिल है यह मैं जानना चाहता हूं ?

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, 24 लाख रुपये का मामला है, इसका जवाब दिलवाइये, यह मजाक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप विराजें ।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैलाश नदी तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल द्वारा काटे जाने वाले...।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री ऊदल—

यह आपकी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायगा ।

माननीय काशीनाथ जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । आप अगर किसी मुद्दे पर इस तरह बोलगे तो सदन अव्यवस्थित हो जायगा बिहारी लाल जी, आप अपना प्रश्न कीजिये ।

*6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

*7—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कैलाश नदी, तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल की कटाव से ग्रामों की सुरक्षा

*8--श्री बिहारी लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कैलाश नदी तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल द्वारा काटे जाने वाले ग्राम नकुलिया, ओदली, घुसरी, एंजानियां तथा सल्मता के बचाव के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि इनमें अनेकों विस्थापित परिवार निवास करते हैं ? यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्योरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें और सिंचाई मंत्री जी को जवाब देने दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है, मैंने तो यह जवाब दे दिया है ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, म मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नदियों के कटान से गांव के बचाव के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कटाव क्या हो रहा है और कहां हो रहा है, इसकी जानकारी कर ली जायेगी । अभी तो सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, इसमें सूचना एकत्र करने की कोई बात नहीं है । लेकिन सूचना एकत्र करने तक कटाव से गांवों के लोग जो बेघर हो रहे हैं उनके लिये आप तत्काल बतायें कि क्या तत्काल व्यवस्था की जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब इस तरह का उत्तर मंत्री जी की तरफ से आता है तो 15 दिन में यह प्रश्न पुनः रिपीट हो जाता है और जब आगे यह प्रश्न आयेगा तब आप प्रश्न कर लेंगे ।

श्री ऊदल--

मैं जानना चाहता हूं कि किन गांवों का कटान हो रहा है इसकी जानकारी के लिये क्या मंत्री जी तत्काल किसी अधिकारी को वहां भेजकर पता लगायेंगे और तत्काल जो व्यवस्था हो सकती है, वह करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

तत्काल व्यवस्था कराने के आदेश दे दिय गय ह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मंत्री जी के उत्तर, कि सूचना एकत्र की जा रही है, के संबंध में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1-8-80 को प्रश्न की सूचना सरकार को मिली, डेढ़ महीने से ज्यादा हो गया है, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ मंत्री जी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने डेढ़ महीने बाद भी साधारण सूचना नहीं दिया है कि अभी तक क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय, इसमें कई बातें थीं, इसलिये सिंचाई तथा और विभागों से जानकारी करना था, इसलिये विलम्ब हुआ । कोशिश करेंगे कि भविष्य में विलम्ब न हो ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि नहीं कि वहां गांव कटे हैं कि नही ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कहा गया कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जायगी । सूचना जब आ जाती है तभी यहां पर जवाब दिया जाता है ।

जिला एलोपैथिक चिकित्सालय, अल्मोड़ा का भवन

*9—श्री गोवरधन—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को विदित है कि जिला एलोपैथिक चिकित्सालय, अल्मोड़ा की एक दुमंजली इमारत को खतरनाक घोषित किए हुए 15 साल हो गये हैं और उसके प्राइवेट वार्ड तथा कम्पाउन्डर क्वार्टरों के भवनों की हालत बहुत ही खराब है ? यदि हां, तो क्या उपर्युक्त भवनों के नव निर्माण की मांग स्थानीय विधायक द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी ने उक्त भवनों का नव निर्माण करने का आदेश प्रसारित कर दिया है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जिला अल्मोड़ा की दुमंजली इमारत के सार्वजनिक निर्माण विभाग अल्मोड़ा द्वारा अयोग्य घोषित किया गया था परन्तु उनके द्वारा अयोग घोषित किये जाने की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं हो पाई ह । इसी भवन में प्राइवेट वार्ड था । भवन अयोग्य घोषित किये जाने के कारण प्राईवेट वार्ड का उपयोग बन्द कर दिया गया है ।

कम्पउन्डर क्वार्टरों के भवनों की हालत ज्यादा असंतोषजनक नहीं है परन्तु सुधार की आवश्यकता है ।

अल्मोड़ा के अस्पताल की मरम्मत आदि कराने की मांग माननीय विधायक द्वारा मौखिक रूप से दिनांक 6 अगस्त, 1980 को की गई थी । तद्परांत समुचित निदेश निदेशक को भेज दिये गये ह, और उनसे विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा है ।

श्री गोवरधन --

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा अस्पताल भवन का निर्माण कब प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

नये अस्पताल से मतलब है आपका । नये अस्पताल से सम्बन्धित अगर प्रश्न है तो नये अस्पताल .... ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी आप प्रश्न फिर दोहरा दीजिए ।

श्री गोवरधन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल, अल्मोड़ा की बिल्डिंग का कार्य प्रारम्भ कब हो जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, एक नये हास्पिटल की स्वीकृति हुई थी और यद्यपि वह इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता है लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा उसके लिए भूमि का झगड़ा था । भूमि अब निश्चित कर दी गई है जहां पर बनेगा, रुपये का प्राविधान है, शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने की चेष्टा की जायगी ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 15 वर्ष से जो खराब हालत में भवन पड़ा है उसी में चिकित्सालय क्यों चल रहा है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह जो भवन है इस में एक तो प्राइवेट वार्ड था और 12 महिलाओं की शैय्यायें थी । जब महिला अस्पताल अलग बनाया गया था तो महिला शैय्यायें उसमें चली गयी । प्राइवेट वार्ड अलग से है । जो कम्पाउन्डर क्वार्टर है वह असुरक्षित नहीं है, ठीक है लेकिन फिर भी व्यवस्था कराई जा रही है । अस्पताल की जो मेन बिल्डिंग पुरानी है वह ठीक है उसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री गोवरधन--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा कि डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल का जो पुराना भवन है उसमें कार्य कब प्रारम्भ हो जायगा । माननीय मंत्री जी ने नये भवन का जिक्र यहां पर किया है मैं पुराने भवन की बात पूंछ रहा हूं ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, पुराने भवन में कोई खराबी नहीं है, वह ठीक है, उसमें अस्पताल चल रहा है । सिर्फ एक प्राइवेट वार्ड और जिसमें 12 महिला शैय्यायें थी वह बिल्डिंग खराब थी और वह अयोग्य घोषित की गई थी । महिला शैय्यायें महिला अस्पताल में चली गई हैं और प्राइवेट वार्ड दूसरी जगह दो कमरों में अलग काम कर रहा है ।

टिहरी तथा उत्तर काशी जनपद के कतिपय पर्यटन स्थलों का विकास

*10--विद्या सागर नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी तथा उत्तर-काशी जनपद में स्थित बुग्यालों-हरकीदून, गिडारा, छियारा कुशकल्याण, क्यार्की, कुरवली, सहश्रताल, पंवाली, टाली तथा क्वीनी में पर्यटन विकास हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रस्तावित स्थलों पर पर्यटन विकास हेतु आधारभूत सुविधायें विकसित होते ही राज्य सरकार इन स्थानों को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु समुचित कार्यवाही करेगी ।

नैथना, तहसील रानीखेत की पेयजल योजना

*11--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि नैथना, तहसील रानीखेत में पेयजल योजना पूर्ण हो गयी है ? क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि उक्त योजना से 113 ग्रामों को लाभ मिलना था परन्तु अभी तक 14/15 गांवों को ही लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो बाकी गांवों को कब तक पानी मिल जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां, नैथाना तहसील रानीखेत पेयजल योजना के निर्माण कार्य पूर्ण हो गये हैं । उक्त योजना से 86 राजस्व ग्रामों तथा 25 हेमलेट्स को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था निरन्तर विद्युत् की कठिनाई के कारण इस समय लगभग 57 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ।

अब उक्त योजना का पुनर्गठन किया जा रहा है । योजना का पुनर्गठन होने के पश्चात् शेष सभी ग्रामों को भी पेयजल उपलब्ध होने की आशा है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नैथना पेयजल योजना का कार्य कब आरम्भ हुआ और कितनी धनराशि इसके लिए स्वीकृत हुई थी और कब यह योजना पूर्ण हो गई ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

किस समय यह योजना शुरू हुई इसकी निश्चित जानकारी नहीं है । जहां तक धन व्यय होने का सवाल है 31-3-80 तक इसमें 88 लाख 36 हजार रुपया व्यय हुआ ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

अपनी आख्या में यह आपने बतलाया कि विद्युत् की कमी की वजह से पूरे गांव में पानी नहीं मिल रहा है जब कि मेरी जानकारी में जितनी विद्युत् की आवश्यकता है वह उससे अधिक मिल रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

विद्युत् अगर ज्यादा मिलेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा और मोटर जल जायगा। लिहाजा ज्यादा विद्युत् ठीक नहीं है। मेरा मतलब यह है कि कल्पना यह थी कि 24 घंटे बिजली मिलेगी लेकिन लगभग 12-13 घंटे एवरेज बिजली मिली इसलिए उस मात्रा में पानी नहीं मिल सका। इसलिए नये तरीके से उसका पुनर्गठन करा रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

जब सिंचाई योजना के सुझाव पर यह योजना बनी और 57 गांव बतलाये हैं पेयजल की सुविधा पाने वाले, लेकिन यदि मेरी बात का विश्वास कर लें तो 27-28 गांवों को ही पानी मिल रहा है तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि चूंकि रेवेन्यू गांव के अन्दर कुछ चक भी आते हैं तो जो 57 गांव बतलाये गये हैं ये रेवेन्यू गांव हैं या चक हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

कुछ हद तक माननीय सदस्य की बात सही है। जितने गांवों को पेय जल मिलना चाहिए था उतनों को नहीं मिल रहा है। उसका एक कारण यह है कि अनवरत बिजली को न मिलना। दूसरा कारण यह भी है और मुझे भी हैरत हुई है यह जानकर योजना 190 किलोमीटर लम्बी थी। इसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें आती होंगी। तीन फेज में पंपिंग किया जा रहा था इसमें और फीट में लें तो 2970 फीट ऊंचाई पर पानी ले जाना था लेकिन मैं अपनी ओर से बहुत संतुष्ट नहीं हूं। इन योजनाओं में आखिर इतना रुपया खर्च हो रहा है और पूरी संतोषजनक रूप से कार्य नहीं हो रहा है तो यह दिक्कत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सुधार करने की चेष्टा की जा रही है जिसके लिए हम पुनर्गठन करने जा रहे हैं। पहले विचार था कि 5 गैलन प्रति व्यक्ति 24 घंटे पानी दें पर अब यह विचार है कि 10 गैलन प्रति 24 घंटे के हिसाब से पानी दे की व्यवस्था करें। एक करोड़ रुपया इसमें लगेगा। ये दिक्कतें हमारे सामने हैं।

श्री हुकम सिंह--

इस योजना पर करीब 88 लख रुपया खर्च हो चुका है तो क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि कितनी जनसंख्या इस पेयजल योजना से प्रभावित है और कितने लोगों को पानी मिल सकेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

इस योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि 33,335 को यह लाभ पहुंचेगा।

(व्यवधान)

(किसी सदस्य के मंत्री और अध्यक्ष पीठ के बीच में आने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

किसी सदस्य के मंत्री और अध्यक्ष पीठ के बीच में आने से जब मंत्री प्रश्न का उतर दे रहे हों तो चेयर और मंत्री के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़ी दिक्कत हमको यह पड़ रही है कि ग्रैविटी वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं और कोई रास्ता नहीं बचता है जिससे हम पानी ले सकें। लिफ्ट पंपिंग से हम जो पानी दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कास्ट आ रही है। लेकिन वह तो हमारी प्राथमिक आवश्यकता ह इसलिय उसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने की चेष्टा की जा रही है। इसके लिए वृहद् योजना बनाई जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी की व्यवस्था का जा सके। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं पहाड़ों पर क्षेत्रफल भी ज्यादा है और डेंसिटी आफ पौपुलेशन भी ज्यादा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, यदि मेरा विश्वास किया जाए तो इस योजना के बनाने में आधा रुपया तो ओवरसियर, इंजीनियर और सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर खा गए हैं। मैं इसकी जांच करवाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से भी यही जानना चाहता हूं कि क्या वे इसकी जांच कर येंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरी भावना को नहीं समझा। मैंने कहा कि प्रश्न के आने से पूर्व ही मैंने यह निदेश दिए हैं कि यह मालूम किया जाय कि क्या कारण हैं कि इतना धन व्यय करने के बाद भी जो लक्ष्य पूरे होने चाहिए थे, वे नहीं हो रहे हैं। मैं स्वयं पहले अपने स्तर पर संतुष्ट होना चाहता हूं और उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे तो मैं उसको दिखवा लूगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी ने कहा हैं कि 57 गांवों में पेय जल प्राप्त है और माननीय सदस्य जो उसी कांस्टीटुयेन्सी से आते हैं उन्होंने कहा कि केवल 27 गांवों को पानी मिल रहा है। तो या तो माननीय मंत्री जी की सूचना गलत है अथवा माननीय सदस्य की सूचना गलत है। माननीय सदस्य तो वहीं के रहने वाले हैं इसलिए उनकी सूचना पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री जी को जिन अधिकारियों ने गलत सूचना भेजी है उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन सदन को देंगे ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने कहा कि 86 राजस्व ग्रामों को देने की योजना थी और 25 हैमलेट्स की थी, लेकिन हम अभी केवल 57 गांवों को ही दे रहे हैं। लेकिन जसा विधायक जी कह रहे हैं हो सकता है कुछ अन्तर रह गया हो। उसको भी मैं दिखवा लूंगा।

श्री ख्वाजा हलीम--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे पता चलता है कि उनको भी शुबहा है कि उसके अन्दर गड़बड़ी हुई है। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारियों को जिन्होंने गड़बड़ी की है, सस्पेंड करके, विजिलेन्स द्वारा जांच कराने की मांग को स्वीकार करेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य की कल्पना है। मैंने तो यह कहा कि क्योंकि जो 190 कि0मी0 लम्बी योजना है, इतनी हाइट पर पानी ले जाना हो, पहला तजुर्बा हो तो उसमें कुछ टैक्निकल गलतियां भी हो सकती हैं, उसकी वजह से भी यह परेशानी हो सकती है। तो मैंने कहा कि इतनी लम्बी योजना यह बनी है, यह बात उनको समझ में नहीं आ रही है। तो पहले इसको देखा जाय, निरूपण किया जाय कि क्या दिक्कतें हुई, कितनी सफल हुई उसके बाद अन्य योजनाओं को टेकअप किया जाय।

बस्ती को तहसील डुमरियागंज के ऐंगडेंगवा तथा अकबरपुर ग्रामों का राप्ती नदी से कटान

*12--श्री माता प्रसाद पाण्डेय (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ग्राम ऐंगडेंगवा तथा अकबरपुर राप्ती नदी के कटान से कट रहे हैं ? यदि हां, तो इस गांव के बचाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के अन्तर्गत ऐंगडेंगवा तथा अकबरपुर राप्ती नदी से कट रहे हैं।

ग्राम ऐंगडेंगवा की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक योजना बनाई जा रही है। योजना तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करना होगा। ग्राम अकबरपुर छोटा गांव है इसके लिए योजना को कार्यान्वित करने में लाभ की अपेक्षा लागत अधिक आयेगी। अतः इस गांव के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

मान्यवर, यह गांव हमारे गांव से मिला हुआ है। दोनों गांव कट रहे हैं। मंत्री जी ने एक गांव की योजना तो बना दी। दूसरा छोटा गांव है लिहाजा उसके लिए योजना नहीं बन सकती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों गांवों के कटानों को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए कार्यवाही करेंगे ? क्योंकि दोनों गांव कट रहे हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, दोनों गांव कट रहे हैं ग्राम ऐंगडेंगवा की सुरक्षा व्यवस्था कर ली है जिसका स्टीमेट बन गया है टी0 ए0 सी0 से एप्रूवल होना है। वहां से आने पर काम शुरू किया जायेगा। अकबरपुर के बारे में काफी कटान हो चुका है। पांच सौ से कम की आबादी का यह गांव है, इसमें जो खर्च होगा वह काफी ज्यादा है इसलिए बड़ी परेशानी लेने में हो रही है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

एक की तो योजना बना दी और टी0 ए0 सी0 में भेजा है। दूसरा गांव छोटा है उसके लिए भी कोई व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को निर्देश देंगे ?

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या 12 श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ द्वारा पूछा गया।

[श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--]

हम खुद देखकर आए हैं बुरी तरह से गांव कट रहा है। उसके लिए भी टी० ए० सी० से प्लान पास करा कर काम कब तक शुरू कर देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

पहले के बारे में तो मैंने बता दिया ग्राम एंगडेंगवा के लिए 5 लाख का एस्टीमेट बन गया है ज्यों ही टी० ए० सी० से प्लान आयेगा काम शुरू कर दिया जायेगा, इसकी बैठक जल्दी हो और उसमें एप्रूवल करा लिया जाय यह निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अकबरपुर के बारे में यहां के लोगों को कहीं और बसाया जायेगा क्योंकि कटान को रोकने में जो खर्च होगा वह ज्यादा होगा उससे उतना लाभ नहीं होगा इसलिए इसको बनाने में कठिनाई है, उनको बसाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मंत्री जी ने कहा, गांव छोटा है और कटता चला जा रहा है, वहां के लोगों के जीवन की सुरक्षा प्रश्नगत हो गयी है। तो क्या उनके सुरक्षा के लिए कहीं अन्यत्र बसाने का प्रयास करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसके लिए जिलों को पहले ही आदेश हो चुके हैं कि जो गांव कट रहे हैं उनको बसाने की तुरन्त व्यवस्था की जाय, उस पर कार्यवाही हो रही है। अगर माननीय सदस्य बतायेंगे कि कोई दिक्कत है तो देख लिया जायेगा। जहां तक गाँवों के कटने की बात है, हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा नदियां हैं और उनके किनारे के गांव कट रहे हैं। हर गांव को बचाने के लिए इतना धन नहीं है, जितने साधन हमारे पास हैं उसके हिसाब से प्रयास कर रहे हैं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मंत्री जी ने कहा हमारे यहां नदियां बहुत हैं और उनके किनारे के गांव कट रहे हैं और इतने साधन नहीं है। तो क्या जो गांव नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके निवासियों को अपने जनजीवन से हाथ धोकर बैठ जाना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य समझ नहीं पा रहे हैं, उनको बसाने के लिए हर तरह की सुविधा दी जा रही है, लेकिन जहां हम कटान रोक नहीं पाते हैं। यह इतने कास्टली काम होते हैं। जहां कहीं भी हम कटान रोकने का काम करते हैं, खर्चा बढ़ता चला जाता है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जो हमारे साधन हैं, उसको देखते हुए हम योजना बनाते हैं और काम करते हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने कहा खर्च ज्यादा है कटाव रोकने के लिए, इसलिए उनको बसायेंगे, तो जो गांव आप बसायेंगे उसमें क्या मकान बनवाने के लिए भी आप लोगों को कोई अनुदान देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो नियम बने हुए हैं कि कच्चे मकान के लिए 500 रुपया और पक्के मकान के लिए हम 800 रुपया देंगे, उसी हिसाब से इसमें भी दिया जायेगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

लेकिन मकान तो इतने रुपये में बन नहीं सकते हैं, तो पूरे गांव की रक्षा में कितना व्यय होगा ?

श्री वीरबहादुर सिंह--

उस गांव में पांच सौ से कम की आबादी है। इस गांव को बसाने में आसानी है अपेक्षाकृत इसके प्रोटेक्शन पर जो खर्च करेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

दूसरी जगह बसाने का काम रेवेन्यू विभाग का है। आप उसको बचा नहीं पायेंगे, तो क्या आप जिलाधिकारी से कहेंगे कि आने वाली बरसात से पहले पहले उस गांव को दूसरी जगह बसा दिया जाये ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस तरह के आदेश बहुत पहले जा चुके हैं कि जितने गांव कट रहे हैं उन ग्रामीणों को दूसरी जगह बसाने के लिए तुरन्त इंतजाम किया जाये। यह आदेश बरसात शुरू होने से बहुत पहले जा चुके हैं।

श्री विजय सिंह राना--

जो नये गांव बसायेंगे, उसके लिए जगह एक्वायर की जाती है, तो आप उसके लिए जगह कहां एक्वायर कर रहे हैं और उसमें क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल--

मंत्री जी ने कहा कि आदेश बरसात से पहले ही दिये जा चुके हैं, किन्तु यह तो रूटीन वर्क है। यहां पर एक विशेष गांव अकबरपुर के बारे में प्रश्न है, जो कट रहा है और जिसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि बचाने में खर्चा ज्यादा होगा। इसलिए अन्यत्र बसायेंगे, तो क्या उसको अन्यत्र बसाने के लिए मंत्री जी ने कोई निर्देश दिया है या नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वह गांव कब से, देर से कट रहा है, यह नदी के किनारे बसा हुआ है और कटान वहां हो रहा है, यह धीरे-धीरे कटता जा रहा है। इनको बसाने के लिए कहा गया है कि कोई उचित व्यवस्था कर दी जाए, जिससे इनको कोई दिक्कत न होने पावे।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अभी मंत्री जी ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि जो जगह कट रही है, उनको अन्यत्र बसाने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो मैं जानना चाहती हूं कि जो सूचनायें उनके पास इस प्रकार की है कि जलभराव से लोगों को जीवन की आशंका है, तो क्या उन सब स्थानों के लोगों को बसाने का कोई प्रयास किया गया है ?

श्री वीरबहादुर सिंह

यह तो कटान का है, जलभराव का नहीं है । यह तो नदी से होने वाले कटान के बारे में है, इस कटाव से जिनके जीवन को नुकसान होगा उनको बसाने का प्रयास किया जाएगा ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न निश्चित नहीं था, आप निश्चित प्रश्न करें तो निश्चित उत्तर आवे ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैंने स्पष्ट प्रश्न यह किया था कि जल भराव के कारण या जो कटान के स्थान हैं, वहां के निवासियों को अन्यत्र बसाने के लिए क्या कोई प्रबन्ध किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह अनिश्चितता का प्रश्न है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैंने जिसके बारे में इत्तला दी है, उसके बारे में आज की कार्य-सूची में प्रश्न संख्या 7 के रूप में है । मान्यवर, वहां पर जलभराव के कारण झोपड़ियों के बहने की आशंका है । यह प्रश्न नीति का है ।

(व्यवधान)

(किसी सदस्य द्वारा हंसने पर)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहती हूं कि हर चीज पर हंस कर उसकी गम्भीरता को समाप्त करना उचित बात नहीं है ।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कटाव के कारण जिन स्थानों पर कोई खतरा पैदा हो गया है तो क्या उन स्थानों के लोगों को हटाने और अन्यत्र बसाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

"जिन स्थानों से" आपका क्या मतलब है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैंने जो प्रश्न पूछा है वह नीति के आधार पर पूछा है इसलिए नाम नहीं ले रही हूं ।

श्री वीरबहादुर सिंह--

जो लोग कटान से प्रभावित हैं, उनको बसाने के लिए प्रयास किया गया है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

मूल्य वृद्धि के कारण खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि

**1—श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार दैनिक उपभोग वस्तुओं की कीमतों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए खेत मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जी हां । कृषि कार्य में सेवायोजित कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित करने का मामला पहले से ही शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने तथा संबन्धित सदस्य के अनुपस्थित होने पर और अगला प्रश्न लिए जाने पर)

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, चूंकि यह प्रश्न बड़ा ही गम्भीर प्रश्न है । यदि उचित समझे तो इस पर 1–2 प्रश्न पूछने की अनुमति देने की कृपा करें ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो अगला प्रश्न ले चुका हूं । (कुछ रुककर) ठीक है, पूछ लीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि मजदूरी बढ़ानी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी ? या यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है कि मजदूरी की न्यूनतम दरों को बढ़ाया जाय या न बढ़ाया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोनों चीजें तय कर ली है कि मजदूरी बढ़ानी है और कितनी बढ़ानी है अगली मंत्रि परिषद् की बैठक में तय कर देंगे और इसका एनाउन्समेंट भी हो जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो मजदूरी की दरें बढ़ाने की बात है ये मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर बढ़ाने की बात है और क्या इनको लागू भी किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो भी कार्यवाही हो रही है वह उसी ऐक्ट के अनुरूप हो रही है । जहां तक लागू करने की बात है पूरी तरह से इस बात का प्रयास किया जायेगा और इसके लिए ए० डी० ओ० एग्रीकल्चर, ए० डी० ओ० कोआपरेटिव, बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० विलेज ऐण्ड पंचायत के इन्सपेक्टर नियुक्त किया गया है ताकि वे पूरी तत्परता से इसको कार्यान्वित करा सकें ।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री राजमंगल पाण्डेय द्वारा पूछा गया ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

माननीय, शायद यह इनकी विचारधारा है, क्योंकि ये कैबिनेट की बात करते हैं। कृषि कार्य में लगे लोगों की न्यूनतम मजदूरी 5 रुपये, 5 1/2 रुपये, 6 रुपये और 6 1/2 रुपये है तो क्या 5 वर्ष में निश्चित रूप से इनकी मजदूरी नहीं बढ़नी चाहिए ? अगर वे समझते हैं कि बढ़नी चाहिए तो क्या वे इस बात के समर्थक हैं कि बढ़नी चाहिए ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह बात तो उत्तर में ही बता दी गयी है कि मजदूरी बढ़ायी जा रही है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

केन्द्र में टीपरटाइट सम्मेलन में यह तय हुआ है कि ज्यों ज्यों महंगायी का सूचनांक बढ़ेगा त्यों त्यों मजदूरी भी बढ़ायी जायेगी, इससे इनफेलेशन बढ़ता है और समस्या का हल नहीं होता। तो क्या सरकार जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमत गिराने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है या करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस समय तो प्रश्न श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने का है। उसका उत्तर दिया गया है। जब वह प्रश्न पूछा जायेगा कीमत कम करने वाला तो उसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री काशी नाथ मिश्र--

यह माननीय, पालिसी का सवाल है, मैं स्पष्ट रूप से जानना यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की पालिसी क्या है इस बारे में कि वह कीमत को कम कराना चाहती है या महंगायी के साथ मजदूरी को भी बढ़ाते रहना चाहती है ? नीति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय, सरकार कीमतें कम करने का भी प्रयास कर रही है, मगर यह प्रयास एक दिन में तो सफल नहीं होता। जहां तक मजदूरी का सवाल है उस पर विचार किया गया है और वह बढ़ायी जा रही है। माननीय सदस्य की जो चिन्ता है वह अपनी जगह ठीक है और उस ओर भी सरकार का प्रयास है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह मिनिमम वेजेज ऐक्ट, जिसके अन्तर्गत वह मजदूरी बढ़ा रही है, वह सारे उत्तर प्रदेश में लागू है या केवल कुछ हिस्सों में ही ?

श्री अम्मार रिजवी--

इस समय पूरे प्रदेश में लागू है। केवल 2 जिले, जो नये बने हैं ललितपुर और गाजियाबाद, उसका भी प्राविधान इसमें कर दिया गया है।

श्री ऊदल--

1974-75 में जब माननीय अम्मार रिजवी साहब कैबिनेट के मंत्री थे उस समय यह ऐक्ट बना था और मेरी सूचना के मुताबिक यह सब जगह लागू नही है, तो इसका क्या कारण है ? दूसरी बात यह कि यह ऐक्ट जहां 20 मजदूरों से कम होते हैं वहां पर यह लागू नही होता, क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को है ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसके बारे में जहां से भी यह सूचना आयी कि यह लागू नही किया जा रहा है, इसकी जांच करायी गयी और यह आदेश दिया गया कि इसको तत्परता से लागू किया जाये । दूसरा प्रश्न जो 20 मजदूरों से कम पर लागू नहीं किया जाता पूछा गया है, यह सब पर लागू है, किसी तरह की छूट नही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी कृपया इस ऐक्ट को देख लें । उसमें यह है कि यह ऐक्ट 20 आदमियों से कम जहां पर काम कर रहे हैं उन पर लागू नही होगा । उसी का मान्यवर, बयान यह है कि जब से माननीय राज मंगल पाँडे श्रीमन् मंत्री थे, मजदूरी जब से बढ़ाने का सवाल आया, उस समय से एक भी आदमी को प्रासीक्यूट नही किया गया । क्या माननीय मंत्री जी वेजेज ऐक्ट को इस तरीके से इफेक्टिव करायेंग कि एक भी मजदूर जहां पर भी काम कर रहा हो, उसके हक को न मारा जाय । इतना डिफेक्टिव यह है कि आज तक कोई प्रासीक्यूट हुआ ही नहीं ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, इसको इफेक्टिव बनाने का जो कार्य है, जो पिछली कमियां थीं, उसको सामने रख कर, उसे इफेक्टिव बनाया जा रहा है ।

अलीगढ़ म हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच हेतु गठित जांच आयोग की समाप्ति

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ में गत वर्ष हुए साम्प्रदायिक दंगे की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

वर्ष 1978 में हुई साम्प्रदायिक घटनाओं की जांच हेतु 20-10-1978 को एक आयोग का गठन किया गया था और चार माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी । निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत न हो सकने के कारण आयोग के कार्यकाल में 31-3-1980 तक वृद्धि की गई । इस संपूर्ण अवधि में केवल 8 गवाहों के बयान लिए जा सके तथा लगभग 200 व्यक्तियों की गवाही होनी अवशेष थी । आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त कार्य की सम्पादन हेतु कम से कम डेढ़ वर्ष का समय और लगता ।

जांच में हो रहे अत्यधिक बिलम्ब के कारण जाचों का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जा रहा था । एसी परिस्थिति में शासन ने इस जांच को जारी रखना उपयुक्त नहीं समझा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर माननीय न्याय मूर्ति ने जो समय और मांगा था, उसको भी जोड़ लिया जाय, तो करीब-करीब पौन तीन वर्ष का समय इसमें बीतता है । मान्यवर, इसके पहले भी बहुत से कमीशन एप्वाइंट हुए हैं, कशिया में गोली चली थी, पिथौरागढ़ में एक घटना फायरिंग की थी, जिसमें तीन वर्ष का समय लगा था, वाराणसी में 2 वर्ष का समय लगा था, ग्राम दुर्ग. जिला मेहदावल में 2 वर्ष लग गए, ग्राम खेदना आजमगढ़ का मामला था, उसमें 2 वर्ष का समय लग गया था । जहां पर छोटी-छोटी घटनाओं का मामला था, 3-3 वर्ष हो गये थें । इसमें तो कुल मिला कर 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी शासन के सामन हो गयी थी कि इस न्यायिक आयोग को विघटित कर दिया ?

श्री ब्रह्म दत्त---

इस अवधि में केवल 8 साक्ष्य लिए गये और जो पत्राचार हुआ उससे यह पता चलता था कि यह लाभकारी नहीं था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि 3-3 वर्ष का समय तो सामान्य घटनाओं के लिए न्यायिक जांच आयोग ने ले लिया था, यह बड़ा भारी मामला था, अगर न्यायमूर्ति की सूचना सही मान लेते कि डेढ़ वर्ष में पूरा कर देंगे, तो शासन के सामने कौन सी बात आ गयी थी कि जांच ठीक नहीं है ? दूसरी बात क्या सही नहीं है कि सरकार के द्वारा समर्थित एक गोल्डेन नाम का समूह है, उसमें दंगा कराने की जिम्मेदारी म, गैंग के ऊपर आश्रित हो रहा था और इस भय से सरकार ने इसको वापस ले लिया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

यह बात मान्यवर, तथ्यों से सही है कि सरकार की तरफ से गोल्डेन गैंग वगैरह को कोई संरक्षण नहीं है । बहरहाल इसमें जो समय लग रहा था और जो प्रगति हो रही थी और उसके अलावा जो समय बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें भी लिखा था उससे यह उचित नही था कि समय बढ़ाया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने कहा था कि 3-3 वर्ष तो साधारण आयोग में लग गये थे, जहां छोटी-छोटी घटनाओं की जांच की गयी थी....

इतनी बड़ी घटना की जांच होनी थी । कौन से तथ्य सामने आये जिसके कारण इसको भंग करना जरूरी पड़ गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

प्रथम सूचना के अनुसार 212 व्यक्तियों की गवाही लेनी थी । 8 गवाहियां तीन साल में हुईं तो पता नहीं 200 गवाहियां कितने सालों में होतीं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने पूछा है कि अलीगढ़ में गत वर्ष हुए साम्प्रदायिक दंगे की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग भंग कर दिया गया है यदि हां, तो क्यों ? जब देखिए साम्प्रदायिक दंगे अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली, यही तीन स्थान हैं जहां पर होते हैं, इसके क्या कारण हैं, एक समाचार-पत्र कुछ लिख रहा है दूसरा कुछ, इसके क्या कारण हैं कोई बाहरी तत्व है, या पाकिस्तानी एजेंट हैं, कि इन्हीं तीन शहरों में साम्प्रदायिक दंगे शुरू होते हैं ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता के जो अहम सवाल हैं, उनसे सम्बन्धित जानकारी करने के लिए जो जांच आयोग नियुक्त किया जाता है, आप जांच आयोग को क्यों स्थगित करते हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि जांच आयोग की उपयोगिता नहीं थी ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाभकारी नहीं था । मैं यह पूछना चाहता हूं राजनीतिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

न्यायिक दृष्टि से ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैं जानना चाहूंगा कि जब आयोग नियुक्त किया तो क्या यह समझा जाय कि सरकार दिवालिया हो गयी दिमागी तौर से ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री मोती लाल देहलवी--

जब आयोग नियुक्त हुआ सरकार ने नियुक्त कर दिया तो क्या यह समझा जाय कि सरकार दिमागी तौर से दीवालिया हो गयी थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो प्रश्न नहीं बना ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जो आठ साक्ष्य लिये जा चुके थे, उनकी आपके पास क्या सारांशतः रिपोर्ट आयी है वह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आयोग से जो हमने सूचना मांगी वह उस पर भी सूचना दे नहीं पाये, हमने जारी रखने का औचित्य भी पूछा था, कोई अंतरिम प्रतिवेदन नहीं मिला हमने एक सूचना मांगी थी, पूरी-पूरी सूचना उपलब्ध नहीं करा पाये । जो सूचना भी उपलब्ध न करा पाये उसका कार्यकाल कैसे बढ़ायें ?

श्री ख्वाजा हलीम--

मैं जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के सिलसिले में जो आयोग बिठाया था उसको उठा लिया है, मुरादाबाद के बारे में जो आयोग बिठाया गया है क्या उसको चलायेंगे या उठा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे उठता नहीं है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

मुरादाबाद के बारे में आयोग बिठाया गया है । माननीय मंत्री ने कहा है वह तीन महीने में काम पूरा कर देगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

"आयोग" शब्द से सब आयोग जोड़ दें, ऐसा प्रश्न नहीं बनता ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि आयोग की परिधि में मौजूदा सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोग आ रहे थे इसलिए भंग कर दिया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

आयोग की परिधि में लोग नहीं आते, विषय आते हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि क्या सरकार की दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि अलीगढ़, मुरादाबाद और बरेली में साम्प्रदायिक दंगों की जांच करायी जाय और उसके कारणों का पता लगाया जाय ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पूरी दिलचस्पी है ।

श्री हुकम सिंह--

मैं पूछना चाहता हूं कि जो आयोग बिठाया गया था उसके टर्म्स आफ रेफरेंस क्या थे, सरकार उसके बारे में जानकारी नहीं करना चाहती ? टर्म्स आफ रेफरेन्स के अनुसार जानकारी को स्वीकार नहीं करना चाहती है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

उनमें जिन बिंदुओं पर आयोग सचिव से न्यायिक जांच कराने के लिए गठित किया गया था । शुरू में इस आयोग को अक्तूबर में घटित घटनाओं की जाच करनी थी और बाद में नवम्बर में जब घटना हो गयी तो उसकी जांच भी इसी आयोग को सौंप दी गयी । अक्तूबर और नवम्बर दोनों की ।

एक सदस्य--

टर्म्स आफ रेफरेन्स के बारे में कुछ नहीं बताया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

अतारांकित, प्रश्न

1—मित्र सेन--

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

बहराइच से कतरनिया घाट तथा नैपालगंज रोड के लिये राजकीय बसें चलाने की मांग

3-श्री जटाशंकर सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच से कतरनिया घाट एवं बहराइच से नैपालगंज रोड मार्गों पर राजकीय बसों के चलाए जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक चलना प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । सरकार का लक्ष्य मार्गों का राष्ट्रीयकरण क्रमागत ढंग से करने का है ।

4—श्री ऊदल--

[ग्राइवासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बस्ती के ग्राम धोबहा में राजकीय नलकूप

5—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड खुनियांव के ग्राम धोबहां के अन्तर्गत हाल में कोई राजकीय नलकूप लगाया गया है ? यदि हां, तो कब तक उससे सिंचाई का कार्य लेना प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां, ग्राम धोबहा में एक राजकीय नलकूप लगाया गया है । उसके उर्जीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है । उर्जीकरण के बाद नलकूप सिंचाई कार्य आरम्भ कर देगा ।

देवरिया के ग्राम बभनी में निर्मित पुल

6—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम बभनी, जिला देवरिया में नहर विभाग द्वारा वर्ष 1980 में 4 पुलों का निर्माण कराया गया था ? क्या जुलाई माह में ही चार में से तीन टूट कर ध्वस्त हो गये ? यदि हां, तो क्या सीमेन्ट और ईंट आदि वस्तुएं खराब व कम निर्धारित मात्रा में लगाने के कारण ही ऐसा हुआ ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1980 में ग्राम बभनी में बभनी माइनर और अहिलवार ताल ड्रेन में एक-एक पुल (कुल दो पुल) का निर्माण किया गया ।

जी नहीं दोनों पुल ठीक दशा में हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

7—श्रीमती गौरी देवी—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

रानीखेत तहसील में चिकित्सालय भवनों का विवरण

8—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बतायेगी कि रानीखेत तहसील में कहां-कहां चिकित्सालयों के भवन हैं ? कहां-कहां किराए के भवन में चिकित्सालय चल रहें हैं तथा भवन कब तक बन जायेंगे ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि चिकित्सकों के आवासीय भवनों की क्या व्यवस्था ह ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

(1) रानीखेत तहसील में रानीखेत, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, चौखुटिया, देघाट स्याल्दे, भतरोजखान तथा स्यालकोट में चिकित्सालयों के भवन हैं ।

(2) भिकियासेण, मनिला, पाली, पिलखौली, गोदी, भेनखाल, बराकन्डा, सिलोरम हादेव, नौधर (निशुल्क) डोगा, जोरासी, चनौली, नेल, विन्ता (निशुल्क), मजखाली, मछोड़, सिनेड़ा, विनायक जालली, सुरईखेत, सल्ट (महिला चिकित्सालय), छेनापोखड़, उत्तरासानी एवं बुनाकोरी (कम्पाउन्डर यूनिट) में किराये के भवनों में चिकित्सालय चल रहे हैं ।

(3) निश्चित समय देना सम्भव नही है ।

1—भिकियासेण में कार्य चल रहा है ।

2—मानिला में भूमि उपलब्ध है । कार्य निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी हैं । कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

3—पाली एवं पिलखोली में भूमि प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

4—अन्य 19 चिकित्सालय तथा एक कम्पाउन्डर यूनिट भवनों की स्वीकृति होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताड़ीखेत, सल्ट द्वारा हाट, चौखूटिया, देघाट पर एक चिकित्सक तथा एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी (द्वारा हाट में दो तृतीय श्रेणी कर्मचारी के) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौखुटिया एवं देघाट पर दो-दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास गृह उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त राजकीय चिकित्सालय स्याल्दे और स्यालकोट में समस्त कर्मचारियों के निवास गृह उपलब्ध हैं । रानीखेत में आवासीय भवनों के आगणन तैयार किये जा चुके हैं । महिला चिकित्सालय, भतरोजखान में आवासीय क्वार्टर नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील बागेश्वर की खरई पट्टी पेय जल योजना

9—श्री गोपालराम दास—

क्या सरकार को जानकारी है कि खरई पेय जल योजना, बागेश्वर तहसील, अल्मोड़ा के अन्तर्गत आरम्भ की गयी है ? यदि हां, तो इस योजना की लागत कितनी है ? और इसकी क्या प्रगति है ? यह पेय जल योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां, खरई पट्टी पेय जल योजना पर तहसील बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कार्य आरम्भ हो गया है। इस योजना की अनुमानित लागत रु0 144.00 लाख है। इस योजना पर मार्च, 1980 तक लगभग 49 लाख रु० व्यय किया जा चुका है। योजना के अन्तर्गत अब तक तीन ग्राम अस्थायी रुप से लाभान्वित किये जा चुके हैं। योजना का शेष कार्य प्रगति पर है व दिसम्बर 1982 तक पूरे किये जाने का लक्ष्य है।

10—श्री विद्या सागर नौटियाल—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

11—श्री बलदेव सिंह आर्य—

[8वें बुधवार के लिये स्थगित।]

राजकीय चिकित्सालय, आराकोट, उत्तरकाशी के लिये अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर

12—श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जानकारी है कि 1963–64 में जनपद उत्तरकाशी के आराकोट ग्राम के एक कृषक से चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु भूमि अध्यापित की गयी थी और अभी तक उस कृषक को अध्यापित भूमि का प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया ? प्रतिकर के भुगतान में इतना विलम्ब करने का क्या कारण है और अब इस प्रतिकर का भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

राजकीय चिकित्सालय आराकोट उत्तरकाशी के भवन निर्माण के लिये श्री धन सिंह काश्तकार से 2 नाली, 15 मुट्ठी भूमि उनकी सहमति से ली गई थी। प्रतिकर का प्रश्न अब कई वर्षों बाद उठाया गया है। इस आशय की छानबीन की जा रही है कि प्रतिकर देय भी है अथवा नहीं क्योंकि एक धारणा यह भी है कि प्रश्नगत भूमि दान–स्वरूप दी गई थी। स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद प्रतिकर के भुगतान का प्रश्न उठेगा।

राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा के भवन का निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्था

13—श्री गोपाल रामदास—

क्या सरकार जानती है कि बागेश्वर, अल्मोड़ा में राजकीय महाविद्यालय टिनसेड व अस्थायी भवन में गत वर्षों से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार महाविद्यालय के लिए एक नया भवन बना रही है और इसके निर्माण हेतु कृषकों से भूमि अधिगृहित कर ली है ? यदि नहीं, तो देरी क्यों हो रही है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां । नये भवन निर्माण हेतु चयनित कृषकों की कुल 328,7/16 नाली भूमि में से 279 नाली 1/4 मुठ्ठी भूमि क्रय कर ली गयी है । शेष भूमि के भूमि धर अपने घरों में उपलब्ध न होने के कारण भूमि क्रय की कार्यवाही में विलम्ब हो रहा है । सम्बन्धित भूमिधरों को ग्राम प्रधान के माध्यम से सूचित किया गया है कि वे भूमि के बयनामे के लिये उपस्थित हों ।

14—श्री गोपाल रामदास—

क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त राजकीय महाविद्यालय के लिए शासन ने वित्तीय व्यवस्था कर ली है ? यदि हां, तो उस धन का उपयोग अभी तक क्यों नहीं किया गया और यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां । नये भवन निर्माण कार्य की 12,64,300 रु० की लागत की स्वीकृति दी गयी है । जैसा उपर निवेदन किया गया है, भूमि क्रय हस्तान्तरण की कार्यवाही में विलम्ब के कारण निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो पाया है । अतः अभी से यह अनुमान लगाया जाना कठिन है कि उक्त लागत का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ।

गोरखपुर जिले में कुलमौल तथा बेलवा डाड़ी छलाई नामक कथित बांध

15—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के आमी नदी पर कुलमौल बांध एवं छलाई-बेलवा डाड़ी बांध का निर्माण कब हुआ और इन पर क्रमशः कितना धन व्यय किया गया था ? क्या इनकी मरम्मत हर साल होती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोरखपुर जिले में आमी नदी पर कुलमौल बांध एवं बेलवा डाड़ी छलाई नाम से कोई विभागीय बांध नहीं है ।

मरम्मत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पिथौरागढ़ के भवन विहीन अस्पताल

16—श्री चारुचन्द्र ओझा—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के कितने अस्पतालों के अपने भवन नहीं हैं वर्ष 1980-81 में किन-किन अस्पतालों के भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह--

एलोपैथिक चिकित्सालय--3,

होम्योपैथिक चिकित्सालय--2 ।

वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित अस्पतालों के भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है :--

1--महिला चिकित्सालय लोहाघाट ।

2--महिला चिकित्सालय डीडीहाट ।

3--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाराकोट ।

4--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोहाघाट (उच्चीकरण प्रस्तावित) ।

5--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कनालीछीना ।

6--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डीडीहाट (उच्चीकरण प्रस्तावित) ।

7--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बनकोट ।

8--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय होतीखान ।

9--राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय झूलाघाट ।

राजकीय हाई स्कूल, धौतरी, जिला उत्तरकाशी में ललितकला का प्रारम्भ तथा विद्यालय का उच्चीकरण

17--श्री ऊदल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल धौतरी, उत्तरकाशी में ललित कला 17-18 वर्ग (संगीत-वादन-नृत्य) सन् 1979 में ही स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इसको अब तक खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

18--श्री ऊदल--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल धौतरी, उत्तरकाशी को इन्टरमीडिएट हायर सेकेन्डरी में उच्चीकरण हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तरकाशी ने अपनी सिफारिश तथा संस्तुतियां उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मन्डल को हाल में भेज दी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज के उच्चीकरण हेतु स्वीकृति देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जी हां ।

जी नहीं, छात्रों की संख्या कम होने के कारण, उच्चीकरण हेतु अर्ह नहीं हैं ।

19--श्री राम आसरे वर्मा--

[8वें बुधवार के लिये स्थगित]

बस्ती जनपद के विद्यालयों में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों को दी गई आर्थिक सहायता

20--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद के कौन-कौन से विद्यालय हैं जिनम 1979-80 में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों को कितना-कितना धन किस-किस मद में किन--किन छात्रों को दिया गया है और उसका भुगतान करने का क्या तरीका था ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री छेदालाल चौधरी)--

व्यापक वर्षा तथा बाढ़ की स्थिति के कारण जनपद से अभी तक अपेक्षित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका ह । स्थिति सामान्य होने पर उत्तर दिया जायगा ।

टिहरी गढ़वाल जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मार्गों का चालू होना

21--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् 1975 अब तक नव निर्मित कितनी-कितनी दूरी के किस-किस मोटर मार्ग को यातायात के लिए खुले होने के प्रमाण-पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग में कब-कब दिए हैं ? क्या उन मार्गों पर व्यवस्थित यातायात चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं किया गया, तो क्या शासन ने इन मार्गों पर यातायात चालू करने हेतु कोई कालावधि निश्चित की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1021 पर)

श्री उपाध्यक्ष --

अब हम नियम 301 की सूचनाऐं लेते हैं । आज दिनांक 24-9-80 के उपवेशन के लिए नियम 301 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुयीं जिनमें 5 स्वीकार हुयी । जो इस प्रकार हैं ।

थाना कर्नलगंज, जिला गोण्डा के हवालात में श्री बिन्देश्वरी लोनिया की गला दबाकर हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

थाना कर्नलगंज, जिला गोण्डा के हवालात में श्री बिन्देश्वरी लोनिया

का गला दबाकर हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 1 मिनट)

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि थाना कर्नलगंज, जिला गोण्डा के थानाध्यक्ष श्री बी० बी० यादव तथा श्री टी० डी० सिंह, एस० आई० के कारण जनता अत्यन्त भयभीत है ।

दिनांक 3/4 सितम्बर, 1980 की दरम्यानी रात को गोंडा जिले की थाना कर्नलगंज के थानाध्यक्ष श्री बी० बी० यादव तथा एस० आई० श्री टी० डी० सिंह, श्री बिन्देश्वरी लोनिया को थाना पर बुलाकर मारा पीटा तथा हवालात में बन्द कर दिया । जब उसकी वृद्ध मां अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए थाने में गयी तो थानाध्यक्ष ने उसे गाली देकर भगा दिया तथा उसी रात में श्री बिन्देश्वरी लोनिया का गला दबाकर मार डाला जिससे जनता में भय व्याप्त हो गया ।

मान्यवर, उसकी वृद्धा मां न्याय की भीख मांगने के लिए दर-दर भटक रही है यहां ही नहीं मान्यवर, वहां की जनता दोनों थानेदारों के काले कारनामों से कितनी आतंकित है और वह स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं ।

अतः मान्यवर, घटना तथा थानेदारों के काले कारनामों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि सही जांच हेतु दोनों थानेदारों को अविलम्ब निलम्बित किया जाय और घटना की जांच की जाए ।

लखनऊ स्थित गाजीउद्दीन हैदर कैनाल में अचानक पानी बढ़ जाने से उसके किनारे की झोपड़ियों के बह जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुज्ञा से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि लखनऊ स्थित गाजीउद्दीन हैदर कैनाल में गत 22-9-80 की रात्रि को अचानक ही कुछ घंटों मे इतना भीषण पानी भर गया कि उसके किनारे पर बसी सैकड़ो झुग्गा झोपड़ियों को संभालने का किंचित मौका नहीं मिला । उनके बांस टट्टर सहित गरीबों के बरतन तथा गृहस्थी तक पानी में बह गयी ।

मान्यवर, वहां की विनाश लीला देखकर हृदय दुखित हो जाता है और शासन उनकी बिल्कुल सहायता न कर सका । आखिर इतना पानी अकस्मात कहां से आ गया । कल प्रातः 8·30 बजे तक 24 घंटों में 53 मि० मी० पानी बरसने के बावजूद महापालिका अधिकारी तय नहीं कर पा रहे हैं कि पानी आया वहां से प्राप्त जानकरी के अनुसार मान्यवर, यह विनाश लीला का कारण शारदा सहायक नहर द्वारा पानी छोड़ा जाना है । जिसकी कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गयी ।

मान्यवर, सभी तथ्यों की जानकारी करना आवश्यक है । यदि शासन की असावधानी है तो उसकी जांच होकर घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

शिक्षा दी जानी चाहिए। तथा विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु उचित कार्यवाही तत्काल अपेक्षित है ।

बांदा जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराये गये राहत कार्यों की मजदूरी न दिये जाने से मजदूरों द्वारा अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ऊदल--

माननीय, बांदा जिला गत वर्ष सूखा और अकाल के कारण प्रदेश में सर्वाधिक पीड़ित होकर भुखमरी का शिकार हुआ था और इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ आ जाने से भुखमरी की हालत और अधिक बिगड़ गई है। फरवरी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सन् 1980 तक तालाबों और सड़कों आदि पर जो राहत कार्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कराये गये थे उनकी मजदूरी का गल्ला अभी तक नहीं मिला। लाखों गरीब मजदूरों की हजारों टन गल्ला की मजदूरी बकाया है। जिन कार्यों की पैमाईश हो गयी है उनकी जांच हो रही है और इस कारण भी गरीबों की मजदूरी रुकी है। करीब दो सौ राहत कार्यों पर मजदूरों ने जिलाधिकारियों की इस घोषणा के आधार पर खुदाई का कार्य शुरू कर दिया था कि उन कार्यों की देख रेख के लिये बाद में कोई सरकारी कर्मचारी भेज दिया जायेगा और बाद में कार्य करने की स्वीकृति भी दे दी जायेगी। किन्तु काम शुरू होने और उसमें काफी अधिक प्रगति हो जाने के बाद भी उन कार्यों पर जिला अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी तथा गल्ले का भुगतान नहीं हुआ। जब जिले के अधिकारी कहते हैं कि इसी तरह से बिना स्वीकृति के किये गये कार्यों की संख्या सैकड़ों में है और राज्य सरकार को कई महीनों पूर्व उनको मजदूरी भुगतान करने पर स्वीकृति देने के लिये लिखा गया है। राज्य सरकार स्वीकृति नहीं भेज रही है। इससे साबित होता है कि गरीबों की बकाया मजदूरी न दिलाने और उनको भूखों मारने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश शासन पर है। बकाया मजदूरी का भुगतान न पाने से मजदूर हरिजनों में व्यापक असंतोष एवं रोष व्याप्त है। हजारों की तादाद में मजदूर जिलाधिकारियों के समक्ष जुलूस-प्रदर्शन करते हैं। 21 अगस्त सन् 80 से जिलाधिकारी बांदा की कचेहरी के सामने भूमिहीन मजदूर सभा बांदा द्वारा क्रमिक अनशन किया गया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के भीतर बकाया मजदूरी का भुगतान कर दिया जायगा किन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि अकाल और बाढ़ पीड़ित मजदूरों को न्याय, दिलाने और उनकी प्राण रक्षा हेतु बकाया गल्ला का भुगतान तुरन्त कराया जाय। लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए राहत कार्य चलाये जायं।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सठियांव, आजमगढ़ में अवैध हथियारों की बरामदगी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पंचानन--

आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार के संज्ञान में एक लोक महत्व की महत्वपूर्ण घटना लाना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव, आजमगढ़ में अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

आजमगढ़ जनपद में स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0, सठियांव, आजमगढ़ के प्रांगण में छापा मार कर पुलिस द्वारा 18 एवं 19 सितम्बर 1980 को बीच की रात को 10 बम, 6 जीवित एवं 6 खाली कारतूस, एक कट्टा तथा अन्य अवैध हथियार बरामद किये गये हैं । उक्त छापा मिल के बी ब्लाक कमरा नं0 23 पर मारा गया जिसमें अवैध हथियार सहित कुछ कर्मचारी अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है । चीनी मिल असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गयी है तथा यहां के कर्मचारी इस क्षेत्र में आये दिन हिंसक घटनायें करते हैं ।

इस घटना से क्षेत्रीय जनता में भय और आतंक व्याप्त हो गया है । चीनी मिल ठीक से काम न कर पाने के कारण निरन्तर घाटे में चल रही है जिससे प्रदेश के इस पिछड़े जिले के विकास में योगदान के लिए लगायी गयी यह मिल लाभकारी साबित नहीं हो पा रही है । जनता का भारी नुकसान हो रहा है ।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस घटना की तत्काल जांच करायी जाय दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय तथा प्रभावशाली कार्यवाही के द्वारा मिल को किसानों के लिए लाभकारी बनाया जाय ।

सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1980 के आवेदन-पत्र अभ्यर्थियों को न भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रियासत हुसैन--

इस वर्ष सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1980 के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फार्म्स के लिए मनीआर्डर द्वारा इलाहाबाद को रुपया भेजा इन फार्म के दिनांक 20 सितम्बर, 80 तक मांगने की अन्तिम तिथि थी और उन प्रार्थना-पत्रों को भर कर भेजने की अन्तिम तिथि 27 सितम्बर, 1980 निश्चित की गई है परन्तु खेद की बात है कि अभी तक अभ्यर्थियों को फार्म नहीं पहुंच सके हैं । आज 24 तारीख हो गई है और केवल 3 दिन बाकी रह गये हैं इस तरह हजारों अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र समय से लोक सेवा आयोग के सामने निश्चित तिथि के अन्दर नहीं जा सकेंगे इस कारण प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों में असंतोष और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है ।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय और निश्चित विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम के विरोध में पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

[12 बजकर 28 मिनट]

निजोजन मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के लखनऊ बिश्वविद्यालय के अध्यक्ष श्री मारकण्डेय सिंह आदि ने दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को लखनऊ विश्वविद्यालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ब्रह्म दत्त---]

परिसर में वृक्षारोपण के कार्यक्रम की घोषणा की थी । श्री रविदास मेहरोत्रा, भूतपूर्व महामंत्री छात्र यूनियन आदि छात्रों व अन्य लोगों ने उक्त कार्यक्रम में विघ्न उत्पन्न करने का निश्चय किया । अतः शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये कार्यक्रम स्थल पर पहले से ही एक क्षेत्राधिकारी व मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में समुचित पुलिस/पी० ए० सी० की व्यवस्था कर ली गयी थी ।

दिनांक 17 सितम्बर, 1980 को जब प्रातः 11·00 बजे राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वृक्षारोपण का कार्यक्रम चला रहे थे तभी उपरोक्त श्री रविदास मेहरोत्रा अपने 12 साथियों सहित वहां पहुंचकर शांतिपूर्वक चल रहे उक्त कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने लगे और एक छात्र के हाथ से टाट का फुहारा छीनने लगे जिसे पर उभय पक्षों में हाथापाई होने लगी । तदुपरान्त श्री मेहरोत्रा व उनके साथी अश्लील व भद्दी नारेबाजी के साथ ही गाली-गलौज करने लगे जिसके वृक्षारोपण कार्यक्रम में रत छात्र भी उत्तेजित हो उठे और स्थिति विस्फोटक होने लगी । मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जिस पर श्री रविदास मेहरोत्रा तथा उनके साथी अत्यधिक उत्तेजित हो गये और आवेश में आकर छात्रों को मारने दौड़े । अतः स्थिति की गभीरता को देखते हुये पुलिस ने श्री रविदास मेहरोत्रा व उनके 12 अन्य साथियों को धारा 151 द० प्र० स० के अन्तर्गत बंदी बना लिया तथा सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने के उपरान्त जेल भेज दिया । पुलिस द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, अगर इस पर स्पष्टीकरण नहीं होंगे तो यह पूरा नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे वक्तव्यों पर प्रश्न पूछने की परम्परा नहीं है । लेकिन फिर भी एक दो प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं ।

श्री गौरी शंकर भय्या--

ये राष्ट्रीय छात्र संगठन के लोग वहीं पर पौध लगाने जा रहे थे जिस जमीन पर वहां के युवा नेता स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, टेनिस कोर्ट के एक किनारे पर पौध लगा रहे थे और जिस घटना की बात कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रा० आसरे वर्मा--

जिस जगह पर वृक्षारोपण किया जा रहा है इससे पूर्व यह घोषणा छात्र नेताओं ने की थी कि शहीद रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा वहीं पर स्थापित की जायेगी ? यदि हां, तो जहां प्रतिमा स्थापित की जा रही थी वहां पर वृक्षारोपण का औचित्य

क्या था और दूसरी बात जो गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की तो उसका कारण क्या था ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वृक्षारोपण का औचित्य हर जगह है जहां वृक्ष लग सकते ह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या इसकी जानकारी है कि जो छात्रगण थे वे वृक्षारोपण के कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहे थ लेकिन उसके माध्यम से जो सत्तारूढ़ दल के एक विधायक का भाषण कराये जाने का योजना थी और अकारण उस जगह जान-बूझकर प्रशासनिक अधिकारियों ने उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की थी और उसके लिए विवाद हुआ और लाठीचार्ज जो हुआ ....

श्री उपाध्यक्ष--

केवल एक प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उन पर जो और चोटें आयीं क्या उसकी पुष्टि जेल का मेडिकल रिपोर्ट से होती है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जहां तक वृक्षारोपण में भाषण का सवाल था, तो अगर माननीय सदस्य भी भाषण करें, तो हम स्वागत करेंगे और जहां तक चोट लगन की बात है, उनका एक्जामिनेशन कराया गया और कोई चोट नहीं पायी गयी ।

श्री रियासत हुसैन--

शान्ति भंग होने की आशंका थी जिससे पहले से ही वहां क्षेत्राधिकारी और मैजिस्ट्रेट मौजूद थे । तो क्या स्पष्ट करेंगे कि शांति भंग की आशंका का आधार क्या था ?

श्री ब्रह्मदत्त--

शासन के अपने जरिये हैं और उसकी जागरूकता का प्रमाण है ।

श्री हुकुम सिंह--

जिन दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी लेकिन आश्चर्य यह है कि हाथापाई होती है दोनों पक्षों में और गिरफ्तार केवल एक पक्ष होता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि दोनों पक्षों म 151 के अन्तर्गत लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, कार्यक्रम हो रहा था बाहर से आकर कार्यक्रम में विघ्न डाला गया, हमला किया गया । तो दूसरी पार्टी को गिरफ्तार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय परिसर में यह जो वृक्षारोपण हो रहा था वह माननीय स्वर्गीय संजय गांधी की यादगार में हो रहा था । तो इसको देखते हुए सरकार को उसी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व यूनियन के अध्यक्ष श्री रवीन्द्र सिंह की प्रतिमा लगाने में क्या दिक्कत थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

विश्वविद्यालय परिसर में सरकार का प्रश्न कहां उठता है । यह तो विश्वविद्यालय का प्रश्न ह ।

विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति के गठन का प्रस्ताव

[12 बजकर 36 मिनट]

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि "विधान मण्डल सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों पर विचार करने हेतु "सामान्य प्रयोजन समिति" के गठन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 27 मार्च, 1979 को पारित प्रस्ताव, जिस पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने 16 अप्रैल, 1979 को अपनी सहमति प्रदान की, को निरस्त करते हुए यह सदन निश्चय करता है कि उक्त विषयों पर विचार हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की एक विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं अन्य उपलब्धियों सम्बन्धी समिति अध्यक्ष द्वारा गठित की जाय, जिसमें अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान सभा, के 10 सदस्य और सभापति, विधान परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के 5 सदस्य हों और जो अपने गठन के 6 माह के अन्दर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों को अपनी संस्तुतियां प्रतिवेदित करे । अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध लागू होंगे ।

यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से यह अनुरोध करता है कि वह कृपया इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान करे।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन की 4 सूचनायें प्राप्त हुई थीं और चारों अस्वीकृत की गयीं ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम गोविन्द––

मैंने सूचना दी थी.... ?

श्री उपाध्यक्ष––

आपने सूचना दी थी 16 तारीख की घटना के नाम पर । 301 में 10 तारीख को आप अपना मैटर पढ़ चुके हैं । अब आपने 16 की जगह पर 15 जोड़ दिया है, मैटर वही है । इसलिए इसको अस्वीकार किया गया ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह––

एक सूचना विशेषाधिकार की मैंने दी थी उसमें क्या निर्णय लिया ?

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, पहले अस्वीकृत करने का कारण बता देते थे । अब न बताने का क्या कारण है ? कल जो वक्तव्य आने वाला है, आज वकील बहिष्कार कर रहे हैं । इसको भी उसमें जुड़वा दें । ताकि हम लोगों को स्पष्टीकरण करने में सुविधा हो ।

श्री उपाध्यक्ष––

माननीय गुप्ता जी इस पर तो बजट पर बहस करेंगे ही और बजट में 25 तारीख को इसके अनुदान पर बहस होगी ही । तो इसके लिए कार्य-स्थगन का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मान्यवर, जब वक्तव्य दिलवायेंगे, तो हम लोगों को प्रश्न करने में आसानी हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब इस तरह से नहीं । आप बैठें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव वाली सूचना पर 16–9 को खाद पर विशद चर्चा हो चुकी थी । इसलिए अस्वीकार कर दिया ।

*श्री रियायत हुसैन––

मान्यवर, बलिया में छात्रों के साथ ज्यादती हुयी । 301 में हमने दिया था । मुझे आशा थी कि विषय की गम्भीरता को देखते हुये सरकार की तरफ से स्वयं ही कोई वक्तव्य आयेगा । लेकिन कोई वक्तव्य आया नहीं बावजूद इसके कि, यह बात सरकार के संज्ञान में, यह इशू हो चुका है । इस कारण सदन को असंतोष है और इसके विरोध में, मान्यवर, जनता पार्टी, सदन का त्याग करती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

एक सदस्य--

माननीय, आज की कार्य-सूची के नम्बर 4 पर मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार का प्रश्न जो आपने उठाया था, उसको जांच के लिये भेज दिया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने के बाद कार्यवाही हो जायेगी ।

1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 28, 41, 70, 71, 72, 75, 76, 82 व 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित अनुदान

[12 बजकर 41 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष--

अब 1980-81 के आय-व्ययक में अनुदान के प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,44,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के

लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतरिक्त 37,22,000 रुपये के अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,46,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावसिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि को पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,51,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,55,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 104--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,20,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकलापों और उत्तरदायित्वों के बारे में हम भलीभांति परिचित हैं । माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी के लिए जो हमारा साहित्य वितरित किया गया है उसका सिंहावलोकन और परफारमेंस बजट में जानकारी दी गयी इससे माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हो गये होंगे। संक्षेप में मैं इस विभाग की नीतियों के बारे में, हम क्या करने जा रहे हैं उस सम्बन्ध में मैं चंद शब्द आपके सामने रखूंगा । उसके बाद मैं आपके जो विचार होंगे, उनका आह्वान करता हूं और उन विचारों को सुनने के बाद अधिक से अधिक इसमें आपके सहयोग के साथ उन कार्यों

[श्री जगदीश प्रसाद--]

को पूरा करने में हम प्रयत्नशील होंगे। श्रीमन्, संक्षेप में इस विभाग में जो मुख्य कार्य हैं वह हैं सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव का और जिसमें प्रदेश के अंदर पड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल हैं, एवं उन पर पड़ने वाले पुलों का निर्माण एवं रखरखाव, विभिन प्रकार के (आवासिक, अनावासिक, कार्यात्मक आदि) भवनों का निर्माण एवं रखरखाव तथा उपरोक्त कार्यों के संबंध में अन्वेषण एवं विकास है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न शासकीय संस्थाओं के निक्षेप कार्य भी करता है जिसके लिए संबंधित संस्था ही धन की व्यवस्था करती है। ऐसे कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासकीय अनुदानों के माध्यम से कोई वित्त व्यवस्था नहीं की जाती है। राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण एवं रख खाव का व्यय भारत सरकार वहन करता है।

प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए समन्वित कार्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रदेश में सड़क बनाने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त इस कार्य को सिंचाई विभाग, वन विभाग, गन्ना विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, जिला परिषद्, मंडी परिषद् भी इन कार्यों को करती हैं। इसमें श्रीमन्, होता यह है कि कभी-कभी इन सड़कों के बनाने में डुप्लीकेशन हो जाता है। जहां हम अपनी सड़कें बनाने का प्रयास करते हैं या जिनकी स्वीकृति देते हैं, कभी-कभी ऐसा हुआ है कि वहां पर सिंचाई विभाग भी सड़क बनाने का कार्य करता है, मंडी परिषद् भी सड़क बनाती है। तो इन चीजों को देखते हुए हमने तय किया है इसको नियोजित ढंग से किया जाय जिसके लिए इसमें समन्वय की आवश्यकता होगी। अगर हम यह कार्यक्रम लेते हैं तो जो पास-पास सड़कें बन जाती हैं जिनका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है, अगर हम अच्छी तरह से एक दूसरे विभाग को समझकर, आवश्यकता को समझ कर इन सड़कों का निर्माण करें, तो पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ सकता है। इस कार्य को करने के लिए शासन की ओर से विचार किया जा रहा है। इसके लिए यह तय किया गया है कि प्रदेश स्तर पर प्रदेशीय सड़क विकास परिषद् का निर्माण किया जाय। यह परिषद् बन जाने से जो डुप्लीकेशन आफ वर्क है और जो आसपास सड़कें बन जाती हैं और उनका सही सदुपयोग नहीं हो पाता, उसका उपयोग हो सकेगा। जो नियम हम बनाने जा रहे हैं उस पर विचार कर रहे हैं। इसमें जिन लोगों को शामिल किया जायगा जिनकी राय ली जायगी, जैसे कि परिवहन विभाग आदि के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा उद्योग, व्यापार और परिवहन से संबंधित व्यवसायों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे यह समिति प्रदेश में सड़कों से समन्वित विकास के लिए नीति विषयक वृहद् प्रश्नों पर विचार करेगी और शासन को अपना परामर्श देगी। इस तरीके से जैसा माननीय, आप जानते हैं कि जिले से जो सड़कों की मांग होती है, सांसद और विधायक देते हैं, वह बहुत-सी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं जिससे सड़क का सही उपयोग नहीं हो पाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सड़क बनी लेकिन बीच में 2-4 मील छूट गयी है तो भी उस सड़क का सही उपयोग नहीं हो पाता है इसलिए जिला परिषदों में जिला सड़क समिति का हम गठन करने जा रहे हैं। इस समिति में जिला परिषद् के सदस्य रहेंगे, जिले के सांसद और विधायक सदस्य रहेंगे, जिले के डेरी, उद्योग आदि जिला स्तर के अधिकारी भी इसमें सदस्य रहेंगे। इन लोगों की राय ली जायेगी और राय पर विचार करने के बाद रोड्स बनाये जायेंगे जिससे वेस्ट रोड्स न बनें क्योंकि उनका उपयोग

आवश्यकता के अनुसार नहीं हो पाता है। यह कार्य होने से सड़क बनाने में जो सुविधा मिलेगी वह लाभदायक होगी।

(इस समय 12 बज कर 52 मिनट पर अधिष्ठाता) श्री राजेन्द्र सिंह यादव पीठासीन हुए)

इसके अतिरिक्त मान्यवर, यह भी विचार किया जा रहा है कि सड़क के बनाने के लिए मास्टर प्लान जिलों में बनाये जांय। इसके लिए पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं और बुलन्दशहर, रायबरेली, गोरखपुर म मास्टर प्लान बनाये जा रहे हैं। बुलन्दशहर का मास्टर प्लान आ चुका है, शासन के पास। इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में मास्टर प्लान तैयार करके सड़कों के निर्माण में हम कार्य करेंग।

मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो सड़कें बन रही हैं क्षेत्रीय विकास में उसमें हमको अधिक से अधिक योगदान मिल सके, उसको ध्यान में रखते हुए यह सब किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण में पिछले कई वर्षों से जो तदर्थता की नीति अपनाई जा रही थी उसको त्याग कर एक नेशनल पालिसी बनायी जायेगी। इससे हमारे गरीब प्रदेश को जो सड़कों के निर्माण कार्य के लिए, बहुत ही सीमित धनराशि प्राप्त होती है और सीमित धनराशि में हम किस तरह सड़कों का निर्माण करें, इस के लिए हमें अन्वेषण कार्य, इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, करना है। चूंकि सड़कों के बनाने में अन्वेषण कार्य अच्छी तरीके से के न होने से और जो डिजाइनिंग और सर्वे है उस पर अधिक ध्यान न देने से पिछले वर्षों में सड़कों के निर्माण म काफी कमी और गड़बड़ी भी रही है। इसलिए उसके सर्वे और डिजाइन से संबंधित विंग को इसमें व्यवस्था की जा रही है। इस विंग को कैसे मजबूत किया जाय इस पर गम्भीरतापूर्वक हम विचार कर रहे हैं। यह भी विचार किया जा रहा है कि भविष्य में जो सड़कें बनें, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि सड़कें यहां स्वीकृत हो जाती हैं लेकिन पुल के अभाव में वह सड़क बेकार रहती है, इसलिए भविष्य में इस पर विचार कर रहे हैं कि यदि सड़क की स्वीकृति दी जाय तो जो पुल उसमें पड़ते ह उनको भी साथ साथ स्वीकृति दी जाय। ऐसा न हो कि सड़क बन जाय और पुल छूट जाय तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरफ भी हम विचार कर रहे हैं।

मान्यवर, इस समय हमारे सामने एक और महत्वपूर्ण मामला है कि निर्माण कार्यों में बड़ी शिकायतें आती हैं। आये दिन इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और जो भी अधिकारी हैं उनके बारे में बराबर शिकायतें मिलती रहती हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि ठेकेदारी प्रथा का यहां होना। यह ठेकेदारी प्रथा 100 वर्ष से अधिक से इस विभाग में चल रही है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि न तो कोई काम हो पाता है और न इसकी जिम्मेदारी फिक्स हो पाती है। इसकी सामाजिक और ऐतिहासिक आवश्यकता चाह जो भी रही हो, वर्तमान परिस्थितियों में अब यह आवश्यक हो गया है और हमने इन सारी चीजों को देखते हुये यह तय किया है कि जो व्यवस्था चली आ रही है वह बहुत खर्चीली भी है और उसमें कुरीतियां भी हैं उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इसके पहले भी कुछ निर्माण इकाइयों में इसको समाप्त करने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी लेकिन उसको

[श्री जगदीश प्रसाद—]

अच्छी तरह से न तो लागू किया गया और जिन इकाइयों को यह कार्य दिया गया उन्होंन भी निर्माण कार्य को ठेकेदारों के द्वारा किया। इसलिए मुझे यह संदेह है कि यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने सात साल का एक टाइम लिमिट प्रोग्राम रखा है, हम निश्चित रूप से सात साल के अन्दर इसे समाप्त कर देना चाहते हैं और गुप्ता जी का सहयोग भी चाहेंगे। श्रीमन् हमारे माननीय सदस्यगण इसका विरोध करते हों तो मैं इस पर उनको सुनना चाहूंगा। अगर आपको विरोध है तो तदनुसार कार्य किया जायेगा। वैसे यह बहुत अच्छा कार्य है इसके द्वारा बहुत से मसले हल हो जायेंगे।

श्रीमन् गत वर्ष 1979-80 में विभाग को अनावासिक भवनों के लिए 1,20,49,000 रुपये, आवासिक भवनों के लिए 1,12,21,000 रुपये, कार्यात्मक भवनों के लिए 71,18,000 रुपये, आवासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 8,57,05,000 रुपय, अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 15,07,92,000 रुपये और कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 5,85,66,000 रुपय अर्थात् भवनों के लिए कुल 32,54,51,000 रुपये की धन-राशि उपलब्ध हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष में भवनों के इन मदों में मांगी गई राशि 42,71,98,000 रुपये हैं। भवन निर्माण के संदर्भ में इसका जिक्र करना भी असंगत न होगा कि वर्ष 1975 में स्थापित राजकीय निर्माण जिसके माध्यम से विभाग के आय-व्यय क में स्वीकृत काफी भवन निर्माण कार्य सम्पादित किय, जाता है, ने गत वर्षों में अपनी कार्य क्षमता एवं कार्यभार में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस प्रकार ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति एवं भवनों के तीव्रता से निर्माण किये जाने की दिशा में किये गए प्रयासों में उल्लेखनीय योगदान किया है। निगम की साख एवं कार्य क्षमता के कारण उसे विभिन्न ठेकेदारों की स्पर्धा में, अपन देश में बड़े-बड़े कार्यों जैसे सेन्ट्रल कोल फील्ड्स का बीना जयन्त आदि का एवं अमपरा जिला मिर्जापुर के सुपर थरमल पावर हाउ का कार्य (सब लगभग 14 करोड़) के अतिरिक्त विदेशों में भी कार्य मिलना प्रारम्भ हो गया है। निगम लीबिया में 3·25 (सवा तीन करोड़) रु0 के कार्य का निष्पादन कर रहा है।

सड़कें एवं उन पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए गत वित्तीय वर्ष में विभाग को लगभग 1,13,12,00,000 रुपये उपलब्ध हुये थे। गत वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रदेश में मार्गों की कुल लम्बाई 59,133 किलो मीटर हो गई जबकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय यह केवल 15,113 किलो मीटर थी। सड़कों तथा पुलों के रख रखाव के लिए प्रस्तुत अनुदानों के माध्यम से 40,32,47,000 रुपये एवं निर्माण के लिए 54,05,19,000 रुपये की धनराशि अपेक्षित है। चालू वित्तीय वर्ष में मैदानी क्षेत्र म 2,300 किलो मीटर सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण व 780 किलो मीटर सड़कों का पुनर्निर्माण तथा पहाड़ी क्षेत्र में 720 किलो मीटर सड़कों का नव निर्माण एवं 220 किलो मीटर सड़कों का पुनः निर्माण एवं पुलों का निर्माण आयोजनागत कार्यों के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आयोजनेतर कार्यों के अन्तर्गत 150 किलो मीटर सड़कों का पुर्ननिर्माण एवं सेतुओं का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें वे कार्य भी शामिल है जिनके लिये नए व्यय के रूप में इन- अनुदानों के माध्यम से 2,67,41,000 रुपये की मांग की गई है। गत वर्ष की सूखे की स्थिति से माननीय सदस्यगण भलीभांति परिचित हैं। मुख्यतया सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत विभाग ने गत वित्तीय वर्ष में लगभग 4200 किलो मीटर कच्ची सड़कों का निर्माण

किया था। इस वर्ष प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में 8·70 कि० मी० कंकड़ वाटर ग्राउन्ड मार्गों के आधुनिकीकरण की योजना है, खाद्यान्न योजना 4 के अतिरिक्त 600 कि० मी० मार्गों पर मिट्टी के पुलियों का निर्माण, खंड़जा लगाने की योजना है।

इस वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सड़कों को विशेष रूप से क्षति पहुंची है और उस क्षतिपूर्ति के लिए इन अनुदानों के माध्यम से मांगी गई सड़कों के सामान्य रखरखाव के लिए प्रस्तावित धनराशि के अतिरिक्त लगभग 48 करोड़ रुपये की आवश्यकता और की गई है। हमारा प्रयत्न है कि केन्द्रीय सरकार से इसके लिए अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त किया जाये, यह प्रयत्न आंशिक रूप से सफल हुआ है और 4 करोड़ रुपये फिलहाल भारत सरकार से प्राप्त हुये हैं। क्षतिग्रस्त मार्गों को यातायात के लिए खोलने तथा पूर्व स्थिति में लाने के लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है।

विभाग का बहुत सा कार्य आयोजनागत परिव्यय के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से पोषित होता है। आयोजनागत परिव्यय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में प्रारम्भिक रूप से मैदानी एवं पहाड़ी क्षत्रों के लिये अनुमोदित धनराशि के अतिरिक्त हमारे प्रभावशाली प्रयास के फलस्वरूप हाल ही में आयोजनागत परिव्यय के अन्तर्गत 14-50 करोड़ रुपये मैदानी क्षत्रों के लिए एवं 5·50 करोड़ रुपये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्राप्त हुआ।

सड़कों पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण में उ० प्र० राज्य सेतु निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विभाग के आय-व्ययक से पोषित होने वाले 30 मीटर से अधिक संख्या के पुलों का निर्माण इसी निगम के माध्यम से कराया जाता है। इस निगम की कार्यक्षमता एवं कार्यभार भी बराबर बढ़ रहे हैं। निर्माण निगम के समान यह निगम भी ठेकेदारी की प्रथा की समाप्ति एवं कार्य के शीघ्र निष्पादन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है एवं विदेशों में भी अन्तर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की स्पर्धा में, काम में सफल हुआ है, जैसे ईराक में यह निगम 16 (सोलह) करोड़ रुपये की लागत के 6 (छः) सेतु का निर्माण कर रहा है जिनमें से अधिकांश की परिकल्पना भी उसने स्वयं तैयार किया।

विभाग के प्रशासन में दक्षता एवं कार्य में तीव्रता एवं प्रशासकीय नियंत्रण में सुदृढ़ता लाने की दृष्टि से प्रशासकीय विकेन्द्रीयकरण भी हाल में किया गया है जिसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय उनके क्षेत्र मे ही होंगे और वहीं से वह इन क्षेत्रों का कार्य संचालित करेंगे। इससे जनता को भी अपनी समस्याओं के निवारण में सहायता मिलेगी क्योंकि उसे सामान्यतया लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को प्रमुख अभियन्ता के अधिकांश प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित कर दिये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ताओं की पारस्परिक ज्येष्ठता एक दशक से भी अधिक समय तक अनिश्चितता की स्थिति में थी। इस कार्य की ओर विशेष ध्यान दे कर दिनांक 29 जुलाई, 1980 को उनकी ज्येष्ठता सूची निर्गत करके सहायक अभियन्ताओं में से अधिकांश की वरिष्ठता स्पष्ट कर दी गई है।

[श्री जगदीश प्रसाद---]

शासन की नीति के अनुसार 3 वर्ष से अधिक से चले आ रहे अस्थायी पदों को स्थायी हो जाना चाहिये। सार्वजनिक निर्माण विभाग में पदों के स्थायीकरण के संदेश पिछली बार जनवरी, 1980 में जारी किये गए थे। उसके बाद इस वर्ष दिनांक 3 जुलाई, 1980 को बहुत बड़ी संख्या में अस्थायी पदों के स्थायीकरण के आदेश जारी किए गए। स्थायी किये गये इन पदों की संख्या 4,288 है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये हम बहुत जोरों से प्रयत्नशील हैं। और इस दिशा में पिछले 12 महीनों में शासन के जरिये से 119 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दंडित किया गया है और इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भी काफी मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाहीं की गई है जिनको नियुक्त करने का उनको अधिकार था।

जैसा कि आप जानते हैं आवश्यक सममान जैसे सीमेंट, लोहा तथा तारकोल आदि हैं उनकी दरों में काफी मंहगाई हमारे सामने आ रही है लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं उनको पूरी तरह से प्रदेश में उपलब्ध करा सकें। मेरा अन्त में माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो बातें मैंने उनके सामने रखी हैं उन पर वह विचार करें और अपने अच्छे तथा मूल्यवान सुझाव दें ताकि काम करने में हमें उनका सहयोग मिल सके। धन्यवाद।

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41 सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय--कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति को अलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की अलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82-सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने की उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है उसके बारे में कहने के लिये तो हम लोग कुछ भी कह लें, पास तो ये इसको करा ही लेंगे लेकिन अगर ईमानदारी के साथ देखा जाय तो आज का यह शासन इस काबिल नहीं है कि इनको एक रुपया भी दिया जाय । मान्यवर, लगभग 100 साल पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई थी और करोड़ों रुपयों का सरकारी अनुदान हर वर्ष इस विभाग को दिया जाता है । जब सरकारी पैसा इतना दिया जाता है तो यह भी देखने की जरूरत पड़ती है कि आखिर जिस जिम्मेदारी को निभाने के लिये यह विभाग उत्तरदायी है उसे इस विभाग ने बखूबी निभाया भी है अथवा नहीं ।

मान्यवर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है । नजदीक से ही मैं बताना चाहता हूं कि जो इमारतें अंग्रेजों के जमाने में बनी थीं उनके रख रखाव की भी पूरी व्यवस्था यह विभाग नहीं कर पा रहा है फिर भी वे इमारतें कायम हैं लेकिन जिन इमारतों को सर्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया होगा वे इमारतें खंडहर बन चुकी होंगी । मान्यवर, हम यहां बैठे हुये हैं और इसमें आप देखें कि कितनी जिम्मेदारी मंत्री जी या इनके शासन के लोग निभा रहे हैं कि आप ऊपर नजर उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जो पीतल के 13 पंखे थे वे मय जंजीरों के गायब हो गये हैं और मंत्री जी के लोगों को पता नहीं लगता है । इससे ऊपर अगर आप जायं तो मनों गंदगी इकठ्ठा है, अगर एयरकंडीशन न हो तो यहां पर बैठना माननीय सदस्यों के लिए मुश्किल हो जाय । वहां पर कृषि मंत्री होते तो उनको सुझाव देता कि एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री का काम ऊपर की गंदगी से हो सकता है । तो यह तो आप उत्तरदायित्व निभा रहे हैं । आप देखें कि सड़के बनाई गयी, अभी बरसात हुई हमारे प्रदेश की कोई सड़क ऐसी न होगी जो धंसी न हो, चाहे पिछले साल बनी हो या उससे पहले बनी है । आज आवागमन ठप पड़ा है । हमारे यहां हरदोई से लखनऊ और हरदोई से कानपुर बड़ा चालू मार्ग है यह मार्ग भी तीन-तीन और चार चार

[श्री राम आसरे वर्मा---]

दिन तक बंद रहा क्योंकि सड़क धंस गयी, ठेले, बस और दूसरी सवारियां कई दिनों तक फंसी पड़ी रही । न यह विभाग इन सड़कों का रख रखाव और न मरम्मत कर पाया । यही कारण है कि पी० डब्लू० डी० जिसके लिए यहां से करोड़ों रुपया खर्च करते ह इतनी दर्दनाक स्थिति पर पहुंच गया हैं ।

अभी माननीय मंत्री जी ने एक शोध संस्थान की बात कही । जिसका विकास करने की बात मंत्री जी ने कही । लेकिन यह विकास करायेंगे किन के जरिये ? विकास का मतलब यह है कि नयी टकनीक के आधार पर हमारा काम हो, तो वह उसी समय हो सकता है जब नयी तकनीकी जानने वाले अधिकारी हों । मैं बताना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी हों चाहे वह शोध संस्थान में काम कर रहे हों या दूसरी जगहों म काम कर रहे है वे नयी तकनीकी जानने वाले नहीं है जहां पर आप उनसे अपेक्षा करते हों कि नयी तकनीकी के आधार पर वह काम करें । इसमें आप का भी फर्ज बन जाता है कि उसके किए आप प्रशिक्षण दिलायें । अगर उसकी व्यवस्था नहीं करते तो भलेही विकास की बात आप करते रहे, पैसा फूंकते रहें आपका काम ज्यों का त्यों रह जायेगा । अभी थोड़े दिन पहले जनता शासन में आपके इस विभाग को भी जिम्मेदारी सौपी गयी थी कि खाद्यान्न योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाये । इस योजना का मकसद यह था कि जो प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है उसमें गरीब आदमी जिंदा रह सके और अपने परिवार को जिंदा रख सके । तो इस नियत से यह योजना चलाई गयी थी उसके साथ ही विकास का भी ध्येय उसमें था । लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें इस योजना के अंतर्गत घोटाला न किया गया हो । जहां तक मेरा अनुमान है जितना भी खाद्यान्न दिया गया उसका 50 परसेंट अधिकारियों के पास चला गया और 50 परसेंट ही शायद जन साधारण के पास गया होगा । खाद्यान्न योजना का मकसद यह नहीं था कि ठेकेदारों से काम कराया जाय उसका मतलब था कि कर्मचारियों के माध्यम से गरीब जनता को काम दिया जासके उनको काम पर लगा कर सीधें भुगतान किया जासके । तो किसी भी जिले में इस तरह का काम नहीं हुआ होगा उसकी आप कहीं भी जांच करालें खाद्यान्न योजना में जो सड़कें भी बनवाई गई वह भी बिलकुल नाममात्र के लिए । अब तो बहाना मिल गया--सड़क बनी थी, लेकिन इस अतिवृष्टि में वह सड़क बार्बाद हों गई या बह गई । अब आपके अधिकारी स्पष्टीकरण मांगने पर उनके बारे में यही जवाब देगे । । सार्वजनिक निर्माण विभाग जो सड़के बनाता है विकास के नाम पर, उन सड़कों के अन्तर्गत यदि किसी व्यक्ति की जमीन या किसी किसान का खेत आ जाता है, तो उसको उसका मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा नियम है । लेकिन मंत्री जी जनता शासन के पिछले दो साल को छोड़ दें और उसके पहले को भी देखें कांग्रेस शासन में जो सड़कें बनी थी, उनके अन्तर्गत पीड़ित लोग दौड़ कर आ रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है । जमीन, खेत लेने से उनको उनकी रोजी लेली गई और अब धन के अभाव में दूसरी रोजी भी वे नहीं प्राप्त कर सके हैं ।

हमारे जिले में जिले को उन्नाव से जोड़ने वाली जो गोसनगर-मेंहदी घाट सड़क है और जो करीब 42-43 किलोमीटर की सड़क है उसकी मिसाल दे रहा हूं । वहां पर सई नदी का पुल मंजर पड़ा है, लेकिन बन नहीं रहा है । वह इतना चालू मार्ग है कि लकड़ी के तख्ते डालकर पुल बना दिया गया है ।

एक जिले से दूसरे जिले को लिंक करने वाली सड़कों की भी यही दुर्दशा है। सड़कें एक तरफ बना दी जाती हैं और दूसरी तरफ खत्म हो जाती है। मंत्री जी जानते होंगे कि जितना मैटेरियल उन पर लगना चाहिए वह लग नही पाता है। कोलतार के अनुपलब्धता के बारे में मंत्री जी ने बताया, लेकिन मैं कहता हूं कि पूरे प्रदेश में हजारों ड्रम कोलतार बह जाता है और अधिकारी देखते हैं। बाद में उस कमी को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं दिखा दिया जाता है। तो जो सामग्री सड़क के लिए जरूरी होती है वह इस तरह से बह जाएगी, खत्म हो जाएगी तो सड़क पर मैटेरियल कम जरूर पड़ेगा और परिणामस्वरूप उससे वह सड़क कमजोर जरूर होगी। मंत्री जी अपने शासनकाल में बनी सड़कों के बारे में जरा जांच करा कर देख ल, तो सचचाई सामने आ जाएगी। आवास भवनों को बात कही गई। बहुत ताज्जुब हुआ। इसमें एक अनुदान संख्या 41, आवास भवन के बारे में है, जिनमें 50 लाख 19 हजार रूपये की मांग की गई है, उसके बारे में एक ही मिसाल दे रहा हूं। मंत्री जी को शायद इस बात की जानकारी नहीं है, उनके राज्य सम्पति विभाग ने 70 लाख रुपया पिछले वर्ष माल एवेन्यु पर एक कालोनी खरीदने के लिए दिया था, लेकिन वह कालोनी भी उनके हाथ नहीं आई और 60 लाख रुपया भी दे दिया और जहां पर 48-50 क्वार्टर्स बने हैं जो मिलने वाले हैं और जिनके बदले में डायमेन्ड डेयरी में दे दिये जाते हैं और उनका पैसा अलग से ले लिया जाता है। तो जो माल एवेन्यु की कालोनी के लिए रुपया गया था वह भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, यदि उसका ब्याज ही लगायें तो काफी हो जाता है। यदि आप अपने पुराने पैसे को वापस लेने की ओर ध्यान देते तो आपको यह बजट पेश करने की जरूरत ही नहीं थी।

कोई विभाग होता है तो उसके बारे में इतना ही नहीं सोचा जाता कि इस पर हम धन खर्च करते जायें बल्कि यह भी सोचा जाता है कि इससे हमें कुछ उपलब्ध भी हो। यह सही है कि आप जन साधारण को सुविधायें देने के लिए खर्च कर रहे हैं लेकिन क्या आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं, कि जिससे जो सड़कें बन रही हैं, उनके किनारे पेड़ लगा रहे हैं ? उनको तो आप वन विभाग को दे देते हैं जिससे जो पहले के फलदार और लकड़ी देने वाले पेड़ हैं दिन प्रति दिन उनकी कमी होती जा रही है और आपके विभाग को करोड़ों रुपये की लकड़ी बाजार से खरीदनी पड़ती है। जब आपके विभाग को ही लकड़ी की आवश्यकता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपको उन पेड़ों को वन विभाग को देने की क्या आवश्यकता है ? हो क्या रहा है ? निरन्तर पेड़ काटे जा रहे हैं। लोग वन विभाग के लोगों को 10-20 रुपया दे देते हैं और वहां से पेड़ काट लेते हैं उनकी जगह जो आप पेड़ लगा रहे हैं न उनमें फल ही होते हैं और न उनमें लकड़ी ही, उनकी उपयोगिता भी अधिक नहीं है।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि सड़कों के किनारे खास तौर से कस्बों में तमाम एन्क्रोचमेन्ट होता है पी0 डब्लू0 डी0 की जमीन पर, और आप उनको हटा नहीं पाते हैं। अगर हटाने जाते हैं तो आपके ही लोग उनके आड़े आ जाते हैं। अगर आप इन एन्क्रोचमेंट्स को हटवा नहीं सकते हैं तो इस जमीन को अगर आप लीज पर ही दे दें तो आपके विभाग का बहुत फायदा हो सकता है। सड़कों के किनारे जमीन पड़ी हुयी है। यदि आप उसको भी लीज पर देना शुरू कर दें तो

[श्री राम आसरे वर्मा---]

बेकार पड़ी हुयी जमीन आपके विभाग के लिए काम में आ सकती है और कुछ पैदा कर सकती है। यह एक पहलू मैंने बताया। आप सब विभागों को सुविधायें दे रहे हैं, सड़कें आप बना रहे हैं, सुविधायें भी दे रहे हैं चाहे कृषि विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो लेकिन उन सड़कों के नाम पर टैक्स की वसूली दूसरे लोग करते है और आपके विभाग के हाथ कुछ नहीं लगता है। जो सुविधायें आप देते हैं, उनके बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है लेकिन दूसरे विभाग उससे फायदा उठाते हैं। हमें तो कुछ डर लगता है। अभी मन्त्री जी ने प्रादेशिक विकास समिति की बात कही है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, अभी तो मेरा बहुत समय शेष है। कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वालों को 25 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी ने 20 मिनट का समय लिया था। आपके 16 मिनट हो चुके हैं।

श्री ऊदल--

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिए 25 मिनट से कम का समय नहीं होना चाहिए।

श्री राम आसरे वर्मा--

हमारे प्रदेश में एक प्रदेशीय विकास परिषद् बनायी गयी है जिसमें कई विभागों के अधिकारी हैं। अभी तक तो जो काम होता था पी0 डब्लू0 डी0 के सुपुर्द कर दिया जाता था। खाने पीने का धन्धा वहीं तक सीमित था, अब एक यह परिषद् बन गयी, अब इसमें भी वही धन्धा चलेगा। खड़ंजा आदि बनाने का काम पी0 डब्लू0 डी0 के सुपुर्द कर दिया जाता था, जो पैसा उनको दिया जाता था उसका 3/4 ही खर्च हो पाता था, शेष कमीशन में चला जाता था। हमारे क्षेत्र की माधवगंज मंडी समिति का रुपया राधवपुर मगरहा मार्ग के स्थान पर रूईया मार्ग बनाने के लिये दिया गया था और उसके लिये आदेश हुआ था, पर पता नहीं वह पैसा कहां गया और खड़न्जा भी नहीं बना। यही स्थिति सब जगह की है। अब दो स्तर पर लूट का माल बंटने लगेगा। माननीय मंत्री जी न प्रादेशिक विकास परिषद् में कुछ जन प्रतिनिधियों को भी रखा है, यह देखने की बात है कि वे कहां तक अंकुश रख पायेंगे क्योंकि वे लोग कोई न कोई ऐसा तरीका खाने-पीने का निकाल लेते हैं जिसको माननीय मंत्री जी भी नहीं जान पायेंगे। हम लोगों की बात तो जाने दीजिये।

शिकायतों की बात चल रही है। मैं आपको आंकड़े देकर बता रहा हूं कि 80 प्रतिशत मुख्य अभियन्ता के खिलाफ, 40 प्रतिशत अधीक्षण अभियन्ता, 20 प्रतिशत अधिशासी अभियन्ता, 10 प्रतिशत सहायक अभियन्ता और 3 प्रतिशत अवर अभियन्ताओं के खिलाफ जांच चल रही है, पर आज तक कभी भी किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी हो यह देखने में नहीं आया। दो एक मामले में यहां कहना भी चाहूंगा। जहां भ्रष्टाचार की बात है उसका तो प्रतिशत बंधा है, वह आप कम नहीं कर पायेंगे। चाहे ठेकेदारी प्रथा खत्म कर चाहे रहे,

नौकरशाही के खाने के रास्ते आप रोक नहीं पायेंगे । यह तभी सम्भव होगा जब नौकरशाही पर अंकुश आप लगायेंगे । चोरी और भ्रष्टाचार करने पर इस विभाग के अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाता । सहारनपुर के एक सहायक अभियंता के खिलाफ जांच हुई, उनके खिलाफ चरित्र हीनता के आरोप थे, वे सिद्ध पाय गये, उनका वहां से तबादला कर दिया गया, मगर दो साल के बाद में फिर वहीं पर लौट आये । इसी प्रकार एक सहायक अभियन्ता मुजफ्फरनगर के श्री मित्तल हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर पाये गये, 80 हजार रुपय की रिकवरी के उनसे आदेश हुये, वे वहां से हटाये गये, पर न रिकवरी उनसे वसूल हुई, और दो साल के बाद उन्हें फिर मुजफ्फरनगर में ही तैनात कर दिया गया । इसी तरह एक श्री बाबूराम थे, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खंड बलिया में, उनके खिलाफ भी आरोप थे और उनको भी मंत्री जी ने सहारनपुर भेज दिया, सिफारिश अपनी करके । बुलन्दशहर में बोसों घपले पकड़े गये और विजीलेंस इन्क्वायरी कायम हो गयी, आदेश हुआ कि उनको कोई काम न दिया जाय, लेकिन वह सहारनपुर नियुक्त हो गये । हर जगह जिसके खिलाफ चोरी के इलजाम, उसको सजा तो मिली ही नहीं, बल्कि उसका प्रोमोशन ही हुआ और अच्छी लूट-खसोट हो रही है । हमारे मन्त्री जी ने कर्मचारियों की हालत की तरफ कोई गौर नहीं किया । पूरा भाषण दे गये, सड़कें बना डाले, मकान बन गये, पुल बन गये, लेकिन कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहा । कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनकी हालत की तरफ नहीं ध्यान दिया । मन्त्री जी ने यह भी ध्यान नहीं दिया कि इनके विभाग में सेवानियमावली है, कि नहीं । अगर ह, तो क्या उसके तहत कार्यवाही हो रही है या जो कर्मचारी के दिन व दिन के जो दूसरे मसले हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया । जैसे पी0 डब्लू0 डी0 इम्प्लाइज यूनियन देहरादून, मजदूर संगठन पी0 डब्लू0 डी0, इलाहाबाद, पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारी संघ पर पाबन्दी लगा दी गयी । जिनको मान्यवर, 20 साल हो गये हैं, उनकी मान्यता पर रोक नहीं लगा सकते । और देखें, इसमें वर्किंग और नान-वर्किंग दो विभाग हैं । आपके पास पी0 डब्लू0 डी0 के दो हिस्से हैं और भ्रष्टाचार का मूल कारण इसी वर्किंग और नान-वर्किंग की वजह से है । हर कर्मचारी और अधिकारी वर्किंग सेक्शन में जाना चाहता है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम आसरे वर्मा जी, कृपया बैठ जायं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, नान-वर्किंग और वर्किंग के जो नियम बने हुए हैं, उससे भ्रष्टाचार फैलता है । अगर इसको समाप्त कर एक रूपता आ जाय, तो वह जो कमचारियों के लिए जो भीड़ लगी हुई ह उससे मंत्री जी भी राहत पा जायेंगे और कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर आग्रह करूंगा सदन से कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस बात को एक मत से कहें कि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को इस बात का अधिकार नहीं है कि जो मांग उन्होंने रखी है, उसको स्वीकार किया जाय ।

* श्री त्रिवेनी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह सार्वजनिक निर्माण विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण बजट है और श्रीमन् ऐसा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत पहले एक बाम्बे प्लान बना था, वह तो खत्म हो गया, तब से कोई प्लान नहीं बनाया गया । इस विभाग का इसलिए महत्व है कि ट्रान्सपोर्ट के लिये सड़कों का जो निर्माण होता है, उसी के जरिये से आज एक जनपद दूसरे जनपद से जुड़ा हुआ है ।

इसलिए कि उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश में इतनी रेलवे लाइन नहीं है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता निर्भर करे । इस लिए खास तरीके से सार्वजनिक निर्माण विभाग पर इस प्रदेश की यातायात सुविधा निर्भर करती है । मुझे दो तीन सुझाव देने हैं वह यह कि फिर से सर्वे करके एक प्लान बनाया जाय जैसा कि आज के बहुत पहले बाम्बे प्लान बनाया था और जिलों में काम कराया था। लेकिन तीन वर्ष तक जो पिछली सरकार रही, उसमें शायद पी० डब्लू० डी० मंत्री यह भी न जानते रहे हैं कि बाम्बे प्लान कब बना और किस आधार पर सड़कों का बटवारा किया जाय । तीन वर्षों में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ । जितनी सड़कें कांग्रेस शासन में बन रही थीं सब अधूरी रह गयीं । माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि पहले सर्वे कर लें कि किस जिले में रेलवे, ब्राड़गेज, मीटर गेज हैं और सुविधायें हैं । उसके हिसाब से जो जिले पिछड़े हैं जिन जिलों में कोई साधन नहीं है उन जिलों की ज्यादा सड़कें दें । जिस जिलों में और किस्म के साधन न हों, वहां पर अपने बजट का अधिक अलाटमेंट दें ताकि सड़कें पूरी हो ।

इनका ब्रिज कारपोरेशन भी काम कर रहा है । लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां सड़कें बन गयी हैं, जैसे आजमगढ़ में लालगंज क्षेत्र की ओर मैं ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन पुल नही बना है इस लिये वह असुविधा बनी हुई है । जब तक पुल निर्माण नहीं होता तब तक वह सड़क बेकार है ।

एक बात और कहना चाहता हूं । जो मौजूदा बाढ़ आयी है, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुलतानपुर बरबाद हो चुके हैं । सड़कों के बटवारे के समय आप उनकी ओर विशेष ध्यान दें । बाढ़ से सड़कें नष्ट हुई हैं उन सड़कों का पुनरुद्धार करना है ।

एक बात और कहनी है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सबसे कम सड़कें हैं । इतनी कम हैं कि कुछ सड़कें निर्माण हो जायं तो इंटर डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, बलिया से सम्बन्ध जोड़ती है, गाजीपुर से सम्बन्ध जोड़ती हैं, जौनपुर से सम्बन्ध जोड़ती हैं, वे अधूरी पड़ी हुई हैं, उन सड़कों का निर्माण पहले कराया जाय। बाम्बे प्लान में यह रखा गया है । मान्यवर, पहले (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट का समय और दे दें । उनके प्लान में रखा गया है कि उन सड़कों का विशेष ध्यान दिया जाय जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ती हैं और इस बात को प्राथमिकता दी जाय कि एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ती हैं, उनको पहले बनाया जाय । केन्द्र सरकार का यही प्रस्ताव है हर गांव को सड़क से जोड़ा जाय और हर चार-पांच हजार किलोमीटर का लिंक मुख्य सड़क से किया जाये । इसलिए माननीय पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री जी से कहूंगा कि अपने इस बजट को और विशेष रूप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में बढ़ा दें और ज्यादा से ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश के लिए लावें । में इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का बड़ा जोरदार समर्थन करता हूं क्यों कि यह बहुत अच्छा बजट है ।

[1 बजकर 41 मिनट]

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में और विरोधपक्ष ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जहां मंत्री जी ने अपने बजट में नयी बातों की तरफ इंगित किया है । मैं वहीं कुछ उनसे उनके बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूर्णतया टैक्नीक्रेट पर आधारित है । सारे डेवलपमेन्ट्स एक तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ कर्मचारियों में जो कमीशन लेने की बात है, वह आम बात है । यह इंजीनियरिंग विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर घूस की दर निश्चित है । डेवलपमेंट के काम धरती पर उतरने से पहले रेट निश्चित है । इंजीनियर से लेकर ओवरसियर, सुप्रिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर और कर्मचारियों में अलग-अलग परसेन्टेज बंध हुए हैं । तीस वर्षों में यदि आप देखें जितनी योजनाएं बनीं और उसमें जितना धन इस धरती पर लगाया गया अगर वहां सही मायने में 50 फीसदी भी धरती पर लगता जो देश आज कहीं का कहीं चला जाता, यह निश्चित बात है । आज आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं । मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज आज देश में नहीं रह गया है । अगर आप इसे रोकने के लिए एंटी नेशनल ऐक्ट के तहत ऐक्शन लें जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तो कुछ ही दिनों में काया कल्प हो सकता है और आज आप यह कह देते हैं जहां कोई बात ऐसी सामने आती है कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया । एक इंजीनियर ने किसी पुल का निर्माण कराया और वह कुछ ही दिनों में बेकार हो गया, तो आप कह देते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया । अगर आप यह कहने के बजाए उसके खिलाफ एन्टी नेशनल ऐक्ट के अनुसार कार्यवाही कर उसे दंडित करें तो कुछ सुधार आ सकता है । इसके अतिरिक्त मैं कहता हूं कि अभी मैंने कल एक प्रश्न किया, वह आ नहीं सका एजेन्डा लम्बा था । जिसमें शासन से पूछा गया था कि अकबरपुर दोस्तपुर तथा अकबरपुर सैदापुर-जलालपुर सड़क बन गयी तो जवाब आया कि बन गयी । लेकिन मेरे पास मान्यवर, सड़क रिकार्ड है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अलीपुर धौरवा तक सड़क नहीं बन पायी है और उससे पहले की बना दी गयी है और जवाब सदन में दिया जाता है कि सड़क बन गयी है । क्या इन्हीं तरीकों से आप जो नया बजट पेश कर रहे हैं इस प्रदेश के उत्थान के लिए क्या इन्हीं कर्मचारियों के आधार पर यह बजट आप धरती पर नही उतार पायेंगे । मुझे शक है आपके पास जो विभाग है वह मूल आधार है । देश आगे नहीं जा सकता है इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जब तक कि आप कन्वेन्श को डेवलप नहीं करेंगे, रोड का डेवलपमेंट नहीं करेंगे । आपके सामने आंकड़े हैं पंजाब, हरियाणा के रोड के परसेन्टेज में किलोमीटर में उत्तर प्रदेश कोई मुकाबला नहीं कर सकता है आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं फैजाबाद के जिलाधिकारी की बृहतरि है जिसमें सन् 71 की बाढ़ के बाद यह पूरी रिपोर्ट बनाई थी कि उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण होने पर किस जनपद का कितना डेवलपमेंट हो सकता है । आप रिकार्ड मंगाकर देखें । कौन

[श्री प्रियदर्शी जेतली—]

सी सड़कें बनी हुई हैं किसको प्राथमिकता पर आना चाहिये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे सामने एक रेकार्ड है उसमें अकबरपुर के बारे म लिखा हुआ है । अकबरपुर एक बड़ा कस्बा है इन्डस्ट्रियल टाउन है जो आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद, टांडा और लखनऊ को जोड़ता है यह इंजीनियर ने लिखा है यह सन् 69 की रिपोर्ट है उसने लिखा है कि करीब 22 सौ टन पर डे का ट्रेफिक लोड इस सड़क पर है और गेट हमेशा बन्द रहता है । उसने कहा था कि एक बाई पास अकबरपुर और दोस्तपुर की सड़क को जोड़ने के लिये हो ।

मैं कहना चाहता हूं अभी अकबरपुर के एक असिस्टेंट इंजीनियर की बात आई । फजाबाद जनपद के 9 में से 7 विधायकों ने कम्पेलेन्ट किया था, पूरे कर्मचारी वहां यह शिकायत करते थे कि काम करा लिया गया लेकिन तनख्वाह नहीं दी गई, जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिये । बड़ी मुश्किल से श्रीमन्, उसका ट्रान्सफर कर दिया गया लेकिन श्रीमन्, जो शिकायत थी उस पर डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी नहीं बैठाई गई । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इन कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की रूपरेखा के पैमाने पर तौल कर छोड़ देंगे तो इस देश और प्रदेश की गाड़ी चलने वाली नहीं है । मेरा निश्चित मत है कि इस प्रकार के कर्मचारी जो देश और प्रदेश को आगे ले जाने में भ्रष्टाचार करते हैं उनको एन्टी नेशनल ऐक्ट के अन्दर बन्द किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम सागर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पी० डब्लू० डी० के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । यह 30 वर्षों में लगातार कांग्रेसी सरकार ने सड़कों के माध्यम से बड़े-बड़े शहरों के सुन्दर बनाने के लिये अथवा किसी मन्त्री या महाराजा के गांव को जोड़ने के लिये इस योजना को सोभित रखा । मान्यवर, आप देखें जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें ज्यादा ऐसी सड़कें जो अंग्रेजों के शासन काल में बनी थी अथवा, 30 साल पहले बना थी वह ज्यादा टिकाऊ है जो सड़कें उसके बाद बनी वह एक-दो साल भी नहीं चल पाती हैं । इस तरह से श्रीमन् इस विभाग के अन्दर जो बड़े अधिकारी था कर्मचारी लगे हुये हैं वह बजट का आधा पैसा भी सड़कों पर नहीं खर्च करना चाहते हैं । सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इसकी जोरदार शब्दों में आलोचना की है । मान्यवर, पिछली जनता सरकार, लोकदल सरकार ने उपेक्षित गांवों को जोड़ने के लिए, विकास के लिए सड़कों की तरफ ज्यादा महत्व दिया था और अपनी योजनाओं के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की योजना बनायी थी । उसके तहत तमाम सड़कें बन रही थीं । परन्तु जब से कांग्रेस सरकार आयी है उनका बनाना रोक दिया है । जिन सड़कों पर काम चल रहा था कहीं भी उन पर काम इस समय चालू नहीं है । आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले में सिद्धौर क्षेत्र के अन्तर्गत कोठी से जैतपुर सड़क पी० डब्लू० डी० बना रही थी, काम प्रगति पर था लेकिन जैसे ही यह सरकार आयी, काम बन्द कर दिया गया । कैसरगंज, मोहम्मदपुर सड़क बन रही थी, सड़क बनाना बन्द कर दिया गया और जिन लेबरों ने काम किया था उनको पैसा भी भुगतान नहीं किया गया । अन्त में लेबर मिलना मुश्किल हो गया । जरौला-थनौली की

सड़क का काम धीमा हो गया है। मेरे क्षेत्र में हागीपुर, अशरफपुर टिकरा यादूपुर धातौरा एक ऐसा इलाका है जो गोमती, कल्याणी, गरी नइया नदियों से घिरी हुई है।

30 साल के शासन में इन इलाकों में कोई सड़क पी0 डब्लू0 डी0 ने निर्माण नहीं किया। उस इलाके को जाने के लिए एक नहर का ही एक रास्ता है। उस इलाके को जाने वाली सड़क है जो देवीगंज चौराहे से सूबेहा है। अगर उसको पी0 डब्लू0 डी0 बनवा दे और उस सड़क को सारी नदी और गोमती नदी के पुल बना दिये जायें तो उस बहुत बड़े इलाके का विकास हो सकता है। मवई से गतपतीपुर को सड़क उसकी नदी एवं नालों पर पुल नहीं बनायें गये ह अगर पुल बन जायें तो यह सड़क कारगर हो जायेगी और भी इलाके ह जिनमें बहुत ही इन्टीरियर इलाके ह जहां सड़कें नहीं हैं। भिठौरा नहर से अहमदपुर को जो सड़क जाती है अगर उसको बनबा दें तो विकास हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण इलाका है कोठी से हैदरगढ़ बाया पहला घाट सड़क का इसमें तमाम गांव पड़ते हैं। अगर इसको बनवा दिया जाये और पुल बना दिये जायं तो विकास हो सकता है। किसी क्षेत्र के विकास और प्रगति सड़कों पर ही निश्चित है। इसके प्रगति के लिए पिछली सरकार ने गेहूं के दाम 85 रुपये से 117 रुपये कर के जनता पार्टी को सरकार ने काफी गल्ला जमा करबाया था। इस बार यह कांग्रेस सरकार गेहूं का सही मूल्य निर्धारित नहीं किया है। नतीजा यह है कि कहीं भी गेहूं जमा नहीं हो रहा है और काफी किसानों को असंतोष है। जिससे कृषक गेहूं नहीं जमा कर रहे हैं। मान्यवर अगर ऐसा नहीं कराया गया तो सारी योजनायें खाद्यान्न का समाप्त हो जायेंगी और सड़कें भी नहीं बन पायेंगी।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप बैठें आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राम सागर--

और अपनी व्यवस्था दें। साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीना नाथ--

अधिष्ठाता महोदय, आज आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस सदन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी द्वारा लाये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, आज सदन में जो प्रस्ताव मंत्री जी द्वारा लाया गया है वह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और सड़कों के निर्माण के लिए कम है। क्यों कम है। 15 प्रतिशत रेल का भाड़ा बढ़ गया। प्रति लीटर डीजल में 65 पैसे की बढ़ोत्तरी हो गयी। लेबर चार्जेज भी बढ़ गये हैं। चाहे रेल द्वारा हो, चाहे ट्रक से सामान पहुंचाने में खर्च अधिक लगता है।

मान्यवर, 6ठीं पंचवर्षीय योजना का जो अधूरा कार्य है, मैदानी इलाके और पर्वतीय इलाके के कार्यों को पूरा करने के लिए 240 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान बस्ती जिले की तरफ दिलाना चाहूंगा। बस्ती जिला पूर्वी जिलों में जनसंख्या में सबसे ज्यादा है और गरीबी में भी सबसे आगे है। कारण क्या है? हमारे जिले में सड़कों का निर्माण कम हुआ है, पुलों का निर्माण कम हुआ है। मैं बांसी विधान

[श्री दीनानाथ—]

सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों और पुलों का बनना आवश्यक है। पहले जो वहां के विधायक थे उन्होंने क्षेत्र के ऊपर कोई कृपा नहीं किया। पथरा बाजार से पन्नो बाजार और मेहदावल से उस्का बाजार, 40 किलो मीटर की लाइन ऐसी है जहां सड़कें बिल्कुल नहीं हैं। कोई आदमी बीमार पड़ जाय तो 40 किलो मीटर की दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। किसानों के लिए अपने खेतों में पैदा हुई चीजों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी सड़कों का होना नितान्त आवश्यक है। यदि हमारे किसान अपनी चीजों को मार्केट तक नहीं पहुंचा पायेंगे तो उनकी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ेगी। जिगिनिहवा चोहिया मार्ग पर पुल का निर्माण हुआ है लेकिन उस पर आदमी नहीं चल सकता, गाड़ी और बैलगाड़ी चलने की तो कोई बात ही नहीं है। लकड़ी का पुल बना है। कोई काम नहीं होता है। पैसा दे दिया गया। कागज पर पुल बना दिया गया है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह जिगिनिहवा चोहिया मार्ग पर बने पुल को स्वयं जाकर देखें। इसी तरह से बांसी से धानी 32 किलो मीटर का मार्ग है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्वीकृत है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। इसी तरह से धर्मसिंह बाजार से बांसी तक और बांसी से लेकर पथरा और बांसी से बदौला तक मार्ग की तरफ ध्यान देना है। मान्यवर, हमारे बस्ती जिले में विधान सभा क्षेत्र बांसी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि वहां पर एक किलोमीटर भी रेलवे लाइन नहीं है। इसी के साथ यह भी कहना है कि हमारे यहां किसानों के उत्थान और उनकी उपज बढ़ाने के लिए सड़कों का होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की तरफ खासतौर से आकर्षित करना चाहता हूं कि जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को भी इस आजादी का थोड़ा लाभ मिल सके। मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, इस विभाग के अनुदान के सम्बन्ध में कहते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो अनुदान पेश किया गया है, इस पर बड़ी सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अगर सतर्कता के साथ युद्ध स्तर पर इस विभाग को नहीं देखेंगे तो अनुदान का सारा का सारा पैसा डूब जाने का अंदेशा है। तो इसके लिए सतर्कता शर्त है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विभाग लगता है कि भ्रष्टाचार की जननी है। जब इस विभाग की कहीं भी बात हो तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही चोर हैं। लगता है कि हमारे ऊपर खुद ही कहीं गड़बड़ी का आरोप है। यहां पर इस विभाग में भ्रष्ट अधिकारी ऊपर उठते जा रहे हैं और अगर कहीं 2/1 अच्छे लोग हैं, तो वे पिसते हुये चले जा रहे हैं। इस विभाग के अगर एक कर्मचारी को पकड़वाइये तो जो इनका वरिष्ठतम अधिकारी, इन-चीफ है, वह भी उसको सपोर्ट करेगा। यह इसी विभाग की खूबी है कि जो इस तरह की सपोर्ट करते हैं और भ्रष्टाचार करने वाला आदमी बच जाता है। यह इस विभाग की विशेषता है। मैं इस विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि एक कहावत है कि बरियार चोर सेंध में गावे, यह कहावत इस विभाग पर लागू होती है। ये खुद ही अपने आप की सफाई देते हैं।

माननीय, इस विभाग के कारनामों का एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। यहीं लखनऊ से एक सड़क सुल्तानपुर जाती है। थोड़ी दूर पर इन्दिरा कैनाल पड़ती है। वहां पर 20/25 दिन से पानी भरा हुआ है। उस पानी के कारण परिवहन का सारा यातायात ठप्प है। सारी सवारियां रुकी पड़ी हैं। छोटी बड़ी कोई गाड़ी जा नहीं सकती। परिवहन का हजारों, लाखों का नुकसान हो चुका है और यातायात के रुकने के कारण जनता को कितना कष्ट हो रहा होगा, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। मगर, इस विभाग के अधिकारियों की आंख नहीं खुली कि 4 मशीन लगाकर उस पानी को निकाल देते और परिवहन विभाग की तथा प्राइवेट गाड़ियों को आने-जाने की सुविधा खुल जाती। यह हैं इस विभाग के कारनामे जो सामने दिखाई पड़ रहे हैं।

माननीय, जो विभाग सड़कें बनवाये, पुल बनवाये और देहात में काम करवाये, तो जब यह विभाग सर पर नंगा नाच कर रहा है, तो दूर देहातों में इसके कारनामे की क्या हालत होगी? आप दारुलशफा की बिल्डिंग को ही देख लें। खिड़की का शीशा टूटा है, खिड़की टूटी है, छत से पानी रिस रहा है, पंखे के नीचे से पानी रिस रहा है यह आपके विधान सभा के सदस्यों के रहने की आवास की व्यवस्था है, तो देहात की इमारतों का क्या हाल होगा। देहात की सड़कों का क्या हाल होगा। आप लाखों की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर डीजल का दाम 65 पैसे बढ़ा तो ये 1500 बढ़ा देंगे। अगर 2 पैसे रेट बढ़ा तो 200 रुपये रेट बढ़ा देंगे। इसके बजट के आंकड़ों को छोड़ दें।

इन कारणों से, माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपका पी० डी० एक्ट है, यह इन सब पर लागू होता है। ये समाज विरोधी तत्व नहीं हैं बल्कि ये देशद्रोही तत्व हैं और इनको सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिये। तभी इस विभाग में कुछ सुधार हो सकता है नहीं तो सुधार नहीं होगा। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मुझे एक मिनट और दे दीजिये। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जब थे तो उन्होंने फैजाबाद डिवीजन में एक मीटिंग की थी और वहां सुल्तानपुर में कुड़वारघाट पर गोमती नदी पर एक पुल की स्वीकृति हुई थी, बजट पेश हुआ लेकिन आज तक वह पुल नहीं बना है। अन्त में मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आप सतर्क होकर इनको अपने चंगुल में दबोच कर रखें, नहीं रखेंगे तो आपकी स्वयं बदनामी होगी। इस सतर्कता के साथ बजट के जो अनुदान माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं उसको पास कर दिया जाय।

*श्री धरमपाल--

माननीय, इस बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव श्री राम आसरे वर्मा ने रखा है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को सार्वजनिक निर्माण विभाग कहना अपमान है। इसका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार विभाग, व्यभिचार विभाग, मटीरियल सप्लाई विभाग। इसकी भ्रष्टाचार की कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, टूटी फूटी सड़कें, टपकती हुई छतें और इमारतें, बैठे हुए पुल पुलिया विभाग की कहानी स्वयं कह रहे हैं। माननीय, इस विभाग के अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी उनके बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह गद्य में बोलें पद्य में नहीं ।

श्री धरमपाल--

इनकी स्थिति तो यह है कि बड़े-बड़े एग्रीमेंट प्यालों की टकराहट, खन-खनाहट और नोटों की सरसराहट के बीच होते हैं । मान्यवर, इस प्यालों की टकराहट और खनखनाहट में कभी-कभी छोटे अधिकारियों से लेकर मंत्री तक लिप्त देखे गये हैं । मान्यवर, दुख होता है कि प्रदेश की गाढ़ी कमाई जो हमारे गरीब भाइयों से एक-एक पैसा करके वसूल की गई है उसको इस तरह से मदिरा और सुरा में समाप्त किया जा रहा है । अधिकारी अपना घर भर रहे हैं, ठेकेदार दोनों हाथ से विभाग को लूट रहे हैं और मंत्री मूकदर्शक रह गये हैं । शर्म आनी चाहिये मंत्री जी को । मैं कहता हूं कि मंत्री जी गिरफ्तार कर लो इन अधिकारियों को, पकड़ लो इन ठेकेदारों को जिन्होंने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा लूटा है और अध्यासी का हिस्सा बन गये हैं । लटका दो इन ठेकेदारों को फांसी पर, खींच लो खाल इन अधिकारियों की और लटका दो चौराहों पर ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक लें कि प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लेने का यह अंजाम होता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है मशीनों और उनके पार्ट्स के रिपेयर के लिए । लेकिन यह लोग अपनी मशीनों को और पार्ट्स को अपने विभाग से रिपेयर नहीं कराते बल्कि प्राइवेट वर्कशाप से कराते हैं और फर्जी बिल दिये जाते हैं । मेरा स्पष्ट आरोप है, और तो और इनके यहां जो व्यवस्था है उसको देख लीजिए । बड़े-बड़े एग्रीमेंट होते हैं, कमीशन तो होता ही है उसको मैं भ्रष्टाचार नहीं कहना चाहता, आज एक नयी प्रथा चली है एडजेस्टमेंट की । सड़क के ऊपर, मैटीरियल सप्लाई के नाम पर, मरम्मत तो होती नहीं है एडजेस्टमेंट दिखा जाता है । इस विभाग के अधिकारी, चोर, भ्रष्टाचारी, बेईमान हैं, इन सारे अधिकारियों को एकदम से, मैं साफ कहना चाहता हूं कि इनको गिरफ्तार कर लो बजाय सस्पेंड करने के जेलों में बन्द कराकर जांच कराई जाय। मान्यवर, इसके बाद देखें इनके विभाग के अन्दर अनेक विभाग हैं । कोई टेंपरेरी डिवीजन है, कोई प्रोविंशियल डिवीजन है, ऐसे अनेक विभाग इस विभाग के अन्दर खुले हैं जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है । इनके यहां ऐसे भी विभाग हैं जहां वर्षों से केवल तन्ख्वाह बांटी जा रही है कोई काम नहीं लिया जा रहा है और न कोई काम उनके पास है ।

मैं, मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि या तो इन विभागों को तोड़ दें अन्यथा उनको कहीं न कहीं खपा दें ।

मान्यवर, निर्माण की गति को देखें तो मेटेरियल जो 12" का सप्लाई होना चाहिये वह 6" से 10" तक का होता है जिससे जो सड़क की स्ट्रेन्थ आनी चाहिये वह नहीं आती है । मेरा तो दावा है कि कोई भी इस प्रदेश की सड़कों की स्ट्रेन्थ पूरी दिखा दे, तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । ब्रिक्स मैटेरियल में क्लास तीन तक की ईंट लगाई जा रही है । पत्थर की गिट्टी 12" की जगह 6" से 10" तक की ली जा रही है । पेंटिंग संभवतः विभाग ही स्वयं कराता है । मान्यवर, इस विभाग द्वारा बी० ब्लाक के सामने एम० एल० ए० के रहने के लिये होस्टल बन रहा है, उसमें जो मेटेरियल मिलाया जा रहा था उसको मैंने स्वयं देखा है तो 1-2-4 के स्थान पर 1-3-6 मशियों से मिलाया जा रहा था । इसकी आप, जांच करा कर देख सकते हैं और

आर० सी० सी० की छतें अभी से टपक रही हैं। इसलिये जो मेटेरियल इस्तेमाल हो रहा था उसकी दशा बड़ी दयनीय थी।। बालू, मिट्टी सनी हुई कान्क्रीट वैसे ही मिक्सर से मिलाकर डाली जा रही थी और शायद मौरंग इंजीनियर के घर में इस्तेमाल हो गयी थी या चीफ इंजीनियर के घर में रिपेयरिंग की जरूरत पड़ने पर वहां चली गयी थी। इसलिये इस विभाग को विभाग कहने में मुझे शर्म आती है और एक भी पैसा इस विभाग को दिया जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह स्पष्ट बात है कि किसी देश या प्रदेश की प्रगति वहां की सड़कों से आंकी जा सकती है। मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश और प्रदेश है तो उसके विकास के लिये और कृषि के विकास के लिये यह सही है कि सड़कों का निर्माण हो और जो बड़े-बड़े गांव और कस्बे हैं उनको सड़कों से जोड़ा जाय। मान्यवर, जो इसमें कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि कुछ सुधार हो सके। मान्यवर, यह सही है कि इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये कि इस विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पुलिस विभाग तो बदनाम विभाग है ही लेकिन पुलिस विभाग से यदि कहीं अधिक भ्रष्टाचार है तो वह इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में है। लेकिन जिस तरह से माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश करके जो फांसी और गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि 3 साल इसके पहले वह हुकूमत में रहे तो तब भी इस विभाग में उतना ही भ्रष्टाचार था जितना कि आज है। तो उन्होंने इस दिशा में क्या कार्यवाही किया था ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जिसने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह शासन में नहीं रहे थे, वह इंडेपेन्डेन्ट हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मान्यवर, मैंने श्री वर्मा के बारे में नहीं कहा, बल्कि जो हुकूमत में साझेदार वहां बनकर बैठे थे उनके बारे में कहा है।

मान्यवर, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, उसको इंकार नहीं किया जा सकता है। बहुत से समझदार लोग तो यह कह रहे हैं कि प्लन्डर विदाउट डैन्जर इस विभाग का नाम होना चाहिये। इस विभाग में लूट होती है उसको करने में अधिकारियों को खतरा भी नहीं होता है। इसलिये इस विभाग का नाम प्लंडर विदाउट डेन्जर रख दिया है। इसलिये इस विभाग की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। चूंकि वह हमारे राष्ट्रीय चरित्र से बंधा हुआ है। इसलिये इसको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिये कि हमारे साथ में गिरावट आयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है माननीय मन्त्री जी ने स्वयं बताया कि सड़कों के मामले में हम पिछड़े हुये हैं। बाम्बे प्लान की तो बात बहुत बड़ी है। जो सरकार की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं 1979 के उनको देखते हुये बाम्बे प्लान की जो सीमायें निर्धारित थी उनको प्राप्त करना तो शायद हमारे लिये मुश्किल होगा। आप का जो 1979 का आंकड़ा है उसका अवलोकन करें। पंजाब में प्रति लाख जनसंख्या पर 223 किलोमीटर सड़कें हैं, हरियाणा में 155 किलोमीटर हैं, कर्नाटक में 191 किलोमीटर ह जब कि उत्तर प्रदेश में केवल 56 किलोमीटर सड़क प्रति लाख जन संख्या पर है। कृषि प्रधान देश होते हुये भी हम कितने पिछड़े हैं। मान्यवर, हमारे कृषि विकास के लिए, हमारी आर्थिक प्रगति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से भ्रष्टाचार से जूझते हुये, उसकी मार को कम करते हुये, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, इस विभाग के कार्यों में गति ली जाय।

एक और बात कहना चाहता हूं। यह एक बहुत गंभीर विषय है। कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसे आसानी से समझा जा सके। कुछ ऐसे विभाग बने हुये हैं जो जान बूझ कर भ्रष्टाचार पनपा रहे हैं, उसके लिए बनाये गये हैं। माननीय मन्त्री जी, मैं चाहता हूं कि आज इस पर विचार करेंगे। एक रूरल इंजीनियरिंग सर्विस मान्यवर, चल रही है। सड़क वह भी बनाती है देहात में, भवन बनाती है, तनख्वाह उस विभाग में मिलती है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि मैंने खुद देखा कि रूरल इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा बनी हुई सड़कें, भवन एक वर्ष में ही बरबाद हो जाती है। एक सड़क बनती है दूसरी कोने पर जाते-जाते पहला कोना बरबाद हो चुका होता है। इस विभाग का क्या औचित्य है। टेक्निकल नो हाउ इसको नहीं है, इसके पास यंत्र नहीं है। पी० डब्लू० डी० के बावजूद यह सड़कें बनाता है, भवन बनाता है और वे एक साल भी नहीं चल पाते। क्या माननीय मन्त्री जी जनहित में, प्रदेश के हित में और प्रदेश के विकास के हित में इस आर० ई० एस० को खत्म करेंगे और इसका समावेश सार्वजनिक निर्माण विभाग में करके इसके द्वारा संचालित कार्यों के लिए कोई एडिशनल चीफ इंजीनियर नियुक्त करेंगे? मान्यवर, इसी प्रकार जिला परिषद्, म्युनिसिपल बोर्ड सड़कें बनाता है। वहां पर न नालेज होती है, न यंत्र होते हैं, नतीजा यह होता है कि सड़क एक साल भी नहीं चल पाती है और प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद होता है। जिला परिषद् और म्युनिसिपल बोर्डों से सड़कों का काम ले कर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया जाय और एक एडिशनल चीफ इंजीनियर रहे जो इस काम को देखे तो सड़कें जरूरत से भी अधिक होंगी और जो भी संसाधन यह गरीब प्रदेश जुटा पा रहा है उस का सदुपयोग हो सकूंगा।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं। खाद्यान्न योजना के बारे में जो सड़कें बनाई जा रही हैं उनके बारे में चर्चा हुई। बिल्कुल ठीक बात है कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें निर्मित हुई उनमें भ्रष्टाचार तो हुआ ही साथ ही साथ मान्यवर, वे किसी उपयोग की सड़कें नहीं रहीं। इस बरसात में जगह-जगह चूंकि इन सड़कों में पाइप नहीं डाले गये, पुल नहीं बने, देहात पानी में डूबने लगा तो देहात के लोगों को अपने गांव को, अपने जीवन को, बचाने के लिए उन सड़कों को काटना पड़ा। खाली मिट्टी पड़ी थी और वह मिट्टी बरसात में बह गई और वह सड़क बिल्कुल कागज पर रह गई। मेरा

सुझाव यह है कि लोगों को रोजगार देने का दृष्टिकोण जो रहे लेकिन सड़क बनें तो ऐसी बनें जो कुछ वर्ष तक देहात के लोगों के लिए उपयोगी हो तब तो उससे लाभ होगा वरना आप कागज पर कहते रहिये । हजारों किलोमीटर सड़कें खाद्यान्न योजना में निर्मित कर दी लेकिन उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है ।

मान्यवर, मैं एक सुझाव अपने क्षेत्र के बारे में देना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक अमरतपुर-जतरपुर सड़क निर्मित हुई सन् 1974 में यह सड़क बनी । यह सड़क बदायूं और फर्रुखाबाद को मिलाती है । 1974 में जब मैं विधायक था तब भी श्रीमन् मैंने बार-बार सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र लिखे कि राजपुर में एक जगह पर, पुल बनना है, पुल नहीं बना । पुल 74 से लेकर 80 तक नहीं बन पाया, इसलिये फर्रुखाबाद से बदायूं तक आवागमन नहीं हो पाता है । 74 से 80 के बीच पूरी सड़क पर आवागमन चालू होना नहीं हो सका क्योंकि राजापुर पर पुलिया नहीं बन पाई । लिहाजा फर्रुखाबाद-कायमगंज बाई पास की बड़ी आवश्यकता है । कांग्रेस को सरकार ने 75 में 14.60 लाख रुपया स्वीकार किया था लेकिन आज तक वह केवल कागज पर ही स्वीकृत है । मैंने सवाल कर दिया तो यह इत्तिला दी गयी कि भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही हो रही है । जैसे ही पूरी होगी वैसे ही सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा । मैंने पूछा कि कब तक भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही शुरू होगी तो उसका उत्तर नहीं आ सका । इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाने की कृपा की जाय । एक विकास खंड है गंगा और राम गंगा के बीच में जो प्रतिवर्ष बाढ़ का शिकार होता है वहां पर राजेपुर कहर मार्ग ही आवागमन का मार्ग है । वह स्वीकृत पड़ा हुआ है लेकिन उस पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । प्राथमिकता के आधार पर उसे बनवाया जाय, ताकि वहां पर रहने वालों के लिये आवागमन का साधन उपलब्ध हो सके । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में माननीय मंत्री जी शीघ्रता के साथ व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को जनोपयोगी विभाग बनाने की कृपा करेंगे ।

श्रीमती बेनीबाई--

मान्यवर, किसी भी प्रदेश की प्रगति, उसके यातायात साधनों पर निर्भर करती है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगी कि सूखे के अन्तर्गत जितनी सड़कें जिले में बनाई गयीं उनको निश्चित पक्का कराया जान चाहिये नहीं तो इस साल बारिश में कुछ बह गयी और कुछ अगले साल बारिश में बह कर साफ हो जायेगी । आपने जो यह कहा कि एक हजार से डेढ़ हजार आबादी वाले गांवों को लिया गया है मैं यह चाहूंगी कि 500 की आबादी से लेकर डेढ़ हजार तक की आबादी वाले गांवों को लिंक रोड से जोड़ने की कृपा करें । कानपुर से बम्बई के लिये जो रोड जाती है उरई तक तो यह सड़क चौड़ी कर दी गयी है लेकिन उरई से लेकर झांसी तक यह रोड बहुत छोटी है । स्थिति यह है कि जब ट्रैफिक उस पर चलता है तो एक दूसरे को पास देने में ट्रक आपस में टकरा जाते हैं और इस प्रकार रोज एक्सिडेंट्स होते हैं । इसलिये इसको चौड़ा किया जाय । दूसरे झांसी जिले में एक सड़क राजेपुर कहलाती है यह रैकपा से इमलिया गांव तक 18 किलोमीटर कच्चो है इस पर बस चलती है जो साल में 5 महीने बन्द रहती है, इसको अवश्य पक्का बनाने की आवश्यकता है । इसी तरह से झांसी जिले में मऊरानीपुर तहसील में सुखनेई नदी बहती है उस पर एक रिपटा बना हुआ है जो बारिश में हफ्तों बन्द रहता है । तीन साल पहले उस रिपटे को 6 फुट ऊंचा करने की स्वीकृति दी गयी थी लेकिन वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ

[श्रीमती बेनीबाई---]

है । मैं निवेदन करूंगी उस रिपटे को 6 फुट ऊंचा कराया जाना चाहिये । इसी तरह से बेतवा नदी पर रामनगर घाट पड़ता है बहुत नीचा रिपटा बना हुआ है । इसे भी छः फुट कराया जाय जिससे आवागमन सुचारु रूप से हो सके । यह भी जुलाई से नवम्बर तक बन्द रहता है । उसमें एक छोटी सी किश्ती चलती है जिसकी स्थिति यह है कि 5-5 रुपये फी सवारी वह लेता है और लोगों को लूटता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर इस घाट को भी 6 फीट ऊंचा कर दिया जाय तो उससे भी आवागमन के साधन हो सकते हैं । इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया ह उसका मैं स्वागत करती हूं, उन्हें धन्यवाद देती हूं, उसका समर्थन करती हूं और कटौती का जो प्रस्ताव माननीय रामआसरे वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है उसका विरोध करती हूं ।

श्री धनीराम वर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मुझे अवसर प्रदान किया है । मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे सरकारी पक्ष के लोग भी इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त है । मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि जो सड़क या पुलिया अथवा कोई इमारत बनायी जाय और अगर वह गिर जाती है तो बनाने वाले इंजीनियर को जिनके अन्डर में वह बनायी जाती है उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाय और उनको फांसी की सजा दे दी जाय । क्योंकि आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले की बात है इटावा में औरैया और इटावा के बीच में सड़क पर बहुत से पेड़ गिर गये थे और लगभग दो महीने तक वे गिरे हुये पेड़ सड़क से नहीं हटाये गये । अभी 10-12 दिन पहले ही वहां से हटाये गये जब कि उनसे एक बस टकराई क्योंकि पेड़ सड़क पर पड़ा रहा और बस के टकराने से 6 आदमी बुरी तरह से मर गये और पूरी बस क्षतिग्रस्त हो गई तथा बीसों आदमी घायल हो गये ।

जब यह बात मालूम हुई तब वह पेड़ वहां से हटाया गया । अभी भी बहुत से पेड़ सड़क पर वहां पड़े हुये हैं । इसी तरह से औरैया और दिवियापुर मार्ग में चिचौली नामक स्थान पर एक पुल है वह 4 साल पहले बना था । उसमें हजारों रुपया सरकार का लगा था वह टूट गया और बहुत दिनों तक उसमें यातायात रुका रहा । इसके अतिरिक्त हमने देखा है कि बहुत से ऐसे पुल सड़कों पर बने हुये हैं जिन पर बालू लगाई गई है और सीमेन्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है जिसके कारण ये पुल अथवा पुलिया थोड़े समय के बाद ही टूट जाती हैं । एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई प्रयास आगे के लिये नहीं किये हैं ।

जनता सरकार को तो केवल 3 साल का ही अवसर मिला लेकिन कांग्रेस सरकार जो कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है शासन पर, उसने आजतक यातायात के साधनों में वृद्धि का कोई प्रयास नहीं किया है । उदाहरण के तौर पर हमारे क्षेत्र में हरचरनपुर ग्राम जो और विधूना दो तहसील में हैं तथा कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें एक हजार से ज्यादा आबादी है । सरकार ने एक योजना बनायी थी कि इतनी आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा । बहुत पहले से यह योजना चली आ रही है किन्तु उसके बारे में अभीतक कोई कदम नहीं उठाया गया है । वहां पर 2 इन्टर कालेज हैं और चार हजार से ज्यादा की वहां की आबादी है लेकिन 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर कोई ऐसी सड़क नहीं है । जहां से हरचरनपुर सड़क से आया जा सके । इसलिए औरय्या भरसेन

और दौलतपुर को जोड़ने के लिए सड़क बनाई जायं जहां की आबादी पांच हजार से ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि औरय भरसेन-जौर सड़क का निर्माण कराया जाय। जैसे भरथना और इटावा सड़क बनी है उसी तरह से विधूना-औरया में सड़क बनाई जाय। विधूना-दिवियापुर सड़क जो दिवियापुर को जोड़ती है सन् 52 से पी0 डब्ल्यू0 डी0 के अन्तर्गत है लेकिन आज तक उसका काम पूरा नहीं हुआ उसम मिट्टी पड़ी है उसे भी पूरा किया जाय। इससे औरैया-विधूना तहसीलों के बीच कई गांव पड़ते हैं जिनकी आबादी तीन चार हजार से ज्यादा है, लाभ होगा। इसी तरह दिवियापुर यकूबपुर सड़क सहायक होते हुए बनाई जाय। इसमें वर्षों से काम चल रहा है कहीं-कहीं मिट्टी पड़ी है। कचोसी मंडी से लहरापुर होते हुए पक्की सड़क का निर्माण कराया जाय यह सड़क पी0 डब्लू0 डी0 के हाथ में है और इसमें मिट्टी पड़ चुकी है। मधुवापुर में अरेन्द नदी पर पुल नहीं बना है उसे शीघ्र बनाया जाय। इस सड़क पर मिट्टी पड़ी है लेकिन आज तक पक्का नहीं किया गया कंकड़ और डामर पड़ा हुआ है। औरय्या से जोरा सड़क पर सेंगुर नदी पर जौराघाट में पुल का निर्माण कराया जाय। इस क्षेत्र के पूर्वी अंचल में आज तक एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। मेरा निवेदन है कि वरीयता के आधार पर पिछड़े हुए इलाकों में सड़कों क काम किया जाय। इसी तरह पुलों के निर्माण में भी किया जाय। यमुना नदी में सेरगढ़ घाट पर पुल बनाया जाय जो कि बहुत इम्पाटट पुल है। मधुवापुर में अरैन्द नदी में पुल बनाया जाय।

एक और निवेदन है कि दिबियापुर बेलातिरवा रोड पर 13वें मील पर कई दफे सड़क टूट चुकी है यहां पर पुल का निर्माण कराया जाय। यहां पर भी मिट्टी पड़ी है लेकिन काम अधूरा पड़ा है उसे पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि भ्रष्टाचार का तो हमारे उधर के सदस्यों ने समर्थन किया है अब हमारे कटौती के प्रस्ताव का भी समर्थन करेंगे।

श्री पन्ने लाल--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसा कि उसके नाम से विदित होता है वह जनसाधारण का बजट है। जिसमें सब का समान अधिकार है चाहे वह राजा हो या रंक हो चाहे गरीब हो या अमीर हो। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय नेता सदन ने अपने बजट भाषण में कहा था कि क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मुन्डेरा बाजार क्षेत्र, गोरखपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस क्षेत्र में केवल 18 कि0मी0 सड़कों का निर्माण पिछले 32 सालों में हुआ है। इस क्षेत्र में कुल 266 ग्राम हैं जिनम से 112 ग्राम बाढ़ से घिरे रहते हैं। माननीय, इस क्षेत्र में राप्ती तथा गुर्रा नदी तथा मझने नाले से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। गुर्रा नदी पर तीन पुलों की आवश्यकता है उसमें इटवाघाट, पुल, गौरीघाट पुल तथा तिघरीघाट पुल परम आवश्यक है और महत्वपूर्ण हैं। इससे क्षेत्र के 112 ग्रामों का उद्धार किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया यहां पर नाममात्र को केवल 18 किलो मीटर सड़कें है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेरे क्षेत्र पर अपना

[श्री पन्ने लाल]

ध्यान दें और वहां देवीपुर मोड़ से देवी तक कुतहा राजमार्ग, मिट्ठावेल, खोरमा, कन्हौली राजमार्ग, ब्रह्मपुर, मिट्ठावल, बोहावरा राजमार्ग, लेवड़ी, जमरू, सरार मझगावा होते हुए गजपुर राजमार्ग का निर्माण कराकर इस क्षेत्र का पिछड़ापन को दूर करने में वह अपना सहयोग दें । मैं मंत्री जी का ध्यान वहां के एक स्थान चोरीचोरा की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां पर से आजादी की लड़ाई की शुरूआत हुई थी । कहते हैं कि शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही आखरी निशां होगा । हमारे मंत्री एक नौजवान हैं और उनसे मुझे काफी उम्मीद है । कहा गया है जब देश का नौजवान चलता है तो बुड्ढा रुक जाता है, जब नौजवान जाता है तो बुड्ढा बैठ जाता है, जब देश का नौजवान बैठ जाता है तो देश का बुड्ढा सो जाता है और जब देश का नौजवान सो जाता तो देश का बुड्ढा मर जाता है । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पुनः कटौती प्रस्ताव की घोर निन्दा करता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गौरीघाट का पुल का निर्माण अपने इसी बजट से कराने की कृपा करें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए म आपका हृदय से आभारी हूं । इस भीड़ भाड़ वाले वातावरण में अपने इस अकिंचन को याद किया यह आपकी महानता है। इस प्रदेश के योग्यतम सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के साथियों द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इस बेबुनियाद कटौती के प्रस्ताव का मैं हृदय से विरोध करता हूं । मान्यवर, आपके माध्यम से महामना मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सार्वजनिक निर्माण विभाग का पक्षभार उन्होंने संभाला है वह एक विभाग का नहीं, डाकुओं की सेना का पदभार संभाला है । मान्यवर, आप जिस समय प्रातः काल अखबार पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो सड़कें 2 महीने पहले बनी हैं, उनकी परतें और आंत तक उखड़ चुकी हैं । हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कानून मंत्री भी हैं, अगर उन्हें देश से प्यार है, इन्दिरा जी से प्यार है तो वे आज सदन में घोषित करें कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको वे मीसा में बन्द करा देंगे । हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने नजरबन्दी कानून की बात कही लेकिन मेरा कहना है कि यह तो राजनीतिक लोगों के लिए है, सम्मानित लोगों के लिये है, देशद्रोहियों के लिए तो मृत्यु दंड है, जो उन्हें देना चाहिए । मान्यवर, आपकी कुर्सी के पीछे महात्मा गांधी का चित्र टंगा हुआ है । उसके बाद नेहरू जी की याद आती है और आज इंदिरा गांधी जी शासन चला रही हैं । अगर ऐसे अधिकारियों के हाथ में यह प्रदेश चलता रहा तो एक दिन अवश्य डूब जायेगा ।

[2 बजकर 40 मिनट]

मान्यवर, कल भी मैंने यह बात कही थी कि अगर ये अधिकारी सोचते हैं कि मेरा मंत्री मुझसे प्रसन्न है और मैं सफल रहा हूं तो यह उनकी भूल है । कांग्रेस (इंदिरा) में जो लोग आते हैं, वे अपने हाथों में गद लिए हैं, उनके द्वारा देश द्रोहियों को छोड़ा नहीं जायेगा । जनता के शासन और लोकदल के शासन में जो गलत परम्परायें पड़ गयी थी (व्यवधान) आज उनका निर्वहन हमारे काल म भी हो रहा है । फैजाबाद के अभिशासी अभियन्ता हमारे यहां है । मैं सबसे पहले श्री मजूमदार साहब को तारीफ करता हूं । वे विभाग में कुछ सुधार करना चाहते

हैं लेकिन उनके नीचे उनकी ही आस्तीन में छिपे हुए सांप एक मिनट भी उनको चलने नहीं देते हैं । हमारे यहां पर एक श्री बी० के० श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता हैं वे 1 हजार रुपया अधीक्षण अभियन्ता को देते हैं । एक-एक के नीचे 16-16 सहायक अभियन्ता होते ह। अगर सब एक-एक हजार रुपया देते हों तो उसे 16 हजार रुपया मिल जाता हैं। हमारे राष्ट्रपति को 10 हजार रुपया वेतन ही मिलता है लेकिन ये लोग 80-90 हजार रुपया प्रति वर्ष पा जाते हैं । यह हाल तो वहां के अधीक्षण अभियन्ता का है, मुख्य अभियन्ता का तो हाल ही क्या हो सकता है । जूनियर इन्जीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पैसा, एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के लिए पैसा, सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर के लिए पैसा, सार्वजनिक निर्माण बिभाग में पैसा ही पैसा चलता है । वहां पर बिना पैसे के कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं । सारा विभाग एक धोखा है । कागज पर सड़कें बन जाती हैं, और अगस्त मुनि की तरह सारा पैसा इनके पेट में चला जाता है । इसी विभाग में एक श्री माथुर नाम के पी० ए० हैं । 5 हजार रुपया उनकी फीस हैं जो राज्यपाल के वेतन के बराबर है । इसी विभाग में एक रिजवी साहब अधिशासी अभियन्ता हैं जो इलाहाबाद में हैं । उनको कहा गया कि तुमको तनज्जुल किया जाता है, नोटिस होता है । (व्यवधान) ।

माननीय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री कानून मंत्री भी हैं और उन्होंने कानून और सड़को को ऐसा मिला दिया है कि सड़कों का कहीं पता ही नहीं चलता (हंसी)।

मेरे क्षेत्र की 10 सड़कों के लिये बजट में प्राविधान किया गया हैं, उनको तत्काल बनवाया जाये और शरीफाबाद ब्लाक हरख का रेस नदी का पुल बनवाया जाये । इसके अलावा तीन सड़कें और हैं जो छूट गयी ह--मकनपुर मंसूपुर सड़क त्रिवेदी गंज ब्लाक में, सतरिख-सराय पर सन्डा सड़क ब्लक हरख में तथा गौरा त्रिवेदीगंज सड़क हैदरगढ़ ब्लाक में, इन तीनों को भी बनवाया जाये ।

बाराबंकी के जूनियर इन्जीनियर एक श्री वासुदेव हैं जिनका 4 माह पूर्व ट्रान्सफर हो गया था, उन्होंने चार्ज नही लिया है, उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिये । वहां के जो तीन और इन्जीनियर्स हैं जो पिस्तौल तान कर चलते हैं, उनको वहां से हटाया जाये । आप उनको नही हटायेंगे तो कांग्रेस (आई) के विधायक स्वयं उनको बदल देंगे । अंत में फिर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । इतना और कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को इस 5, और 10 और 20 हजार की परम्परा को तोड़ना पड़ेगा, वे नहीं तोड़गे तो हम तोड़गे ।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

माननीय बाजपेयी जी को सुनने के बाद, वे बोल सत्ता पक्ष से रहे थे यद्यपि उनकी भाषा विरोध पक्ष वाली थी, मुझे एक शेर याद आ रहा है--

न पूछो क्या गुजरती हैं दिले खुद्दार पर अकसर,
जब किसी नामेहरवां को मेहरवाँ कहना ही पड़ता है ।
हमारे सामने जिसने बहारें अनजुमन लूटी,
उसी को अब करोगे अनजुमन कहना ही पड़ता है ।
यह दुनिया है यहां सब काम होता है करीने से
यहां पत्थर को भी लालें गिरां कहना ही पड़ता है ।।

[श्री गौरीशंकर एडवोकेट--]

मान्यवर, यह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इसके लिये जो बजट अनुदान रखे गये हैं मैं उनका विरोध करने के लिये तथा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक रुपये का जो कटौती का प्रस्ताव आया है, हम लोग बहुत लिबरल हैं । जब सरकार का मंशा और इरादा ही ठीक नहीं है तो एक रुपया देना औपचारिकता मात्र है, जब कि इन्हें एक रुपया भी नहीं मिलना चाहिए ।

आपने भी मान्यवर, सड़कों पर सफर किया होगा, बड़ा बड़ी नेशनल हाइवे की जो सड़कें हैं उनकी हालत तक बड़ी खराब है । उन सड़कों पर कब्रगाहे खुदे पड़े हैं, अगर गाड़ी को सचेत होकर न चलाया जाये तो पता नहीं कब उस कब्रगाह में फंस जाये । मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग को उतनी ही सड़क खुदवाना चाहिये जितने मार्ग को वह बनवा सकें । काम तो बाद को होता है मगर डिस्ट्रक्शन पहले ही शुरू हो जाता है । इस कारण बहुत असुविधा होती है । पी० यू० सी० का सदस्य होने के नाते मुझे ब्रिज कारपोरेशन का भी कुछ जानकारी है । यह निगम दूसरे प्रदेशों से भी टेन्डर प्राप्त करता है, नेपाल आदि से भी आते हैं । एक अच्छी बात है यह लेकिन यह कौन सा इन्साफ है कि उत्तर प्रदेश का तो धन लो और काम किये जायें दूसरे प्रदेशों के (व्यवधान) इस निगम को अपने यहां के कामों को पहले प्राथमिकता देना चाहिये । जिन सड़कों और पुलों को बहुत पहले बन जाना चाहिये था उसकी शुरूआत तक नहीं हुई है ।...

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, हमारे जनपद में 1975 में औरैया फफूंद मार्ग पर सेंगर नदी का पदीनका पुल सरकार ने स्वीकृत किया है उसे टेक-अप कर लिया । लेकिन 5 साल हो गये अभी तक उसकी कोई चर्चा नहीं है । तो मैं यह जानना चाहता हूं ऐसा क्यों ? करप्शन है, यह ब्रिज कारपोरेशन है, यह उत्तर प्रदेश के लिए निर्माण किया गया था या दूसरे प्रदेश के लिये किया गया था । श्रीमन्, बाजपेयी जी ने लाखों रुपयों के गोलमाल का इशारा किया । पी० डब्लू० डी० का नाम ही पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट दिया गया । सिंचाई विभाग, ले लो, अन्य डिपार्टमेंट ले लो...(व्यवधान) सभी के यही हाल हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के बजट, कोई कभी, कोई कभी, तो आते ही रहते हैं और उन पर विचार भी माननीय सदस्य करते रहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, इस विभाग का जो ढांचा बन गया है, उसमें हमारे ही छोटे भाई, बड़े भाई हैं । आपके विभाग में जो बेईमान से बेईमान होगा, परसेंटेज उसका बंधा हुआ है । सबसे ज्यादा आपका पाता है जे० ई० । इसकी सबको जानकारी है ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

प्रदेश का हित तब तक नहीं होगा जब तक आप सहयोगियों की हिमायत करना नहीं छोड़ेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मेरा तो निवेदन है कि अच्छे अधिकारी जो हैं, उनको अच्छी जगह पर लगाइये और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको ऐसी जगहों पर लगाइये जहां पर रुपये पैसों की हेरा-फेरी न हो सकती हो । जो तुलनात्मक तरीके से अच्छे

अधिकारी हैं उनको अच्छा काम करने का मौका दें । विगत सरकार ने योजना नं0 5 में कुछ सड़कें ली थी । आपकी जो नं0 4 और 5 की सड़कें थीं, उन पर आपने कुछ सीलिंग का काम किया है । निश्चित रूप से आपने बधाई का काम किया है । सड़कों पर तो हर विचारधारा के लोग चलते हैं । हर पार्टी के लोग चलते हैं । इसलिए हम लोगों को राजनैतिक विचारधारा से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए । आज जो आपने एक योजना बनाया है, आप एस0 एन0 डी0 का काम टेक-अप नहीं कर रहे हैं । उसमें होता क्या है कि सीलिंग जब पड़ जाय, उसके बाद पेंटिंग करें । श्रीमन् हमारे क्षेत्र में आपने सुना होगा, हमारा क्षेत्र और जनपद खासतौर से जो मानसिंह और लाखन सिंह के नाम से प्रसिद्ध रहा है, आज कल वह मलखान सिंह आदि के नाम से प्रसिद्ध है । वहां पर पहुंचने के लिए जिस तरह के मार्गों की आवश्यकता है श्रीमन् उस पर ध्यान नहीं दिया गया है । वहां के लिए सड़क पहले प्रस्तावित हुई थी । वहां पर भीखेपुर जूहीखर रोड जो है, उस पर काम बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी है । श्रीमन् आपके माध्यम से, अपनी बात समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां अस्सू से अहेरीपुर तक जो सड़क बनी हुई है, उसे आगे तक जाने दिया जाय ताकि और लोगों का लाभ हो । बड़ेरा से राष्ट्रीय मार्ग तक और राष्ट्रीय माग से सांसर तक और इसी तरह से जो और सड़कें हैं उनका प्रस्ताव लिखित रूप से माननीय मंत्री को प्रस्तुत करूंगा । जो सड़कें बन चुकी हैं अटूस अछल्दा मार्ग पर सेंगर नदी का पुल, मुरादगंज फफूंद मार्ग पर सेंगर नदी पर ऊंचा का पुल निर्माण करवा दें । यदि आप यह कर देंगे तो मैं कटौती के प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वह कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो निश्चित रूप से मुझे मजबूर हो कर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ेगा ।

(व्यवधान के मध्य)

*श्री भोला पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, आपने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका आभारी हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध देश और प्रदेश के विकास के साथ जुड़ा होता है, देश और प्रदेश की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ होता है । मान्यवर, इस विभाग के अन्दर जो सबसे पहले काम आता है सड़कों के बनाने और मरम्मत करने का है । दुर्भाग्य से जनता पार्टी और लोक दल की हुकूमत इस प्रदेश के अन्दर लगभग तीन वर्ष तक रही । उसमें यह देखने को मिला जिस जिले का मुख्य मंत्री होता था उसी जिले का पी0 डब्लू0 डी0 मंत्री भी बनाते रहे और अधिकतर यह देखने को मिली कि उसी जिले के अन्दर नयी-नयी सड़कों का निर्माण कराया गया जिसमें मुख्य मंत्री महोदय रहा करते थे । जो रिपोर्ट दी गई थी ।

सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में, कि पटेल कमीशन के आधार पर नयी सड़कों का निर्माण कराया जाय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर में, पटेल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था उसके आधार पर नयी-नयी सड़कों के निर्माण की बात कही गई है । नयी सड़कें तो बनायी जांय लेकिन जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत कैसे कराई जाय इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, दोआब क्षेत्र बलिया में जय प्रकाश नगर से सीधे रानी गंज बाजार तक पक्की सड़क बनानी थी वहां तक काम नहीं हो पाया है । (व्यवधान)

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भोला पाण्डेय]

आप शान्त रहिए, आपसे ज्यादा हल्ला कर सकता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो सड़कें अधूरी बनी हुई हैं उसको तत्काल पूरी कराने का प्रयास करें।

दूसरी बात, खाद्यान्न योजना भ्रष्टाचार का एक अड्डा बनी हुई थी जनता पार्टी और लोक दल की हुकूमत में। कुछ सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना में बनायी गयीं। मेरी मांग है कि जो सड़कें खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनायी गयी हैं उन पर कंकड़ डालने के बाद पक्की कराने का प्रोग्राम जल्द से जल्द बनाया जाय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्दर खाद्यान्न योजना को लेकर विशेष रूप से कार्यक्रम को तत्काल लागू किया जाय। बहुत देर से सुन रहा हूं इस विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार है। नौकरशाही में भ्रष्टाचार उसी तरह से व्याप्त है जैसे और विभागों में व्याप्त है। लेकिन सवाल यह है कि माननीय सदस्य को इस बात का सुझाव देना चाहिए कि भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

शान्त रहिए।

श्री भोला पाण्डेय—

भ्रष्टाचार को दूर करने के कौन से तरीके हैं इस पर विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप नियम बनाएं कि जिस इंजीनियर के नेतृत्व में जो सड़क या पुल बनाया जाय उस इंजीनियर से प्रमाणपत्र लिया जाय कि इतने दिन की सड़क की अवधि या पुल की अवधि है। उस अवधि के अन्दर अगर पुल ढह जाता है और गिर जाता है, तो माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को तत्काल जेल के शिकंजे में जकड़ा जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करें। मान्यवर, भ्रष्टाचार रोकने का यही एक तरीका है। केवल सदन में चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता मैं समझता हूं कि इस ओर क्रांतिकारी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है मान्यवर, एक शिकायती कोष बनाया गया है, जिसमें

(शोर)

आप लोग शांत रहिए। मैंने कहा आप लोग शांति से सुनिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया शांत रहिए। आप लोग बैठ जाएं।

श्री भोला पाण्डेय—

तो मान्यवर, शिकायती कोष का काम यह था कि वह जगह-जगह जो भ्रष्टाचार और काले कारनामें हुआ करते हैं, ऐसे मामले को उसमें ले जाया जाए और वह उसकी जाँच करता। लेकिन मान्यवर, वह शिकायती कोष स्वयं एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, तो वह दूसरे मामलों की जांच क्या करेगा। इसलिए आपकी मारफत से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर एक गैर-सरकारी कमेटी नियुक्त की जाए, जिससे वहां व्याप्त भ्रष्टाचार रोका जा सके। दूसरी चीज मान्यवर,

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें, बोलने दें ।

श्री भोला पाण्डेय--

पुल निर्माण का काम भी पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा होता हैं । इसलिए मान्यवर, मैं आपकी मार्फत से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक तरफ लास्ट छोर पर बलिया के मशहूर बाजार रानीपुर पड़ता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाता है । वहां एक नाला है जिस पर बहुत सकरा पुल बना हुआ है, जिस पर से केवल एक रिक्शा ही निकल सकता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस पुलिया का निर्माण तत्काल करा दें, जिससे वहां जो लाखों आदमियों का रोज गुजर होता है, आसानी से हो सके । दूसरी चीज वहीं पर एक चकिया गांव जमालपुर है

(शोर)

उस पर निर्माण भी कराने की कृपा करें । एक सुझाव और देना चाहता हूं कि छोटे कर्मचारियों ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांति से बैठें ।

श्री भोला पाण्डेय--

यह ठेकेदारी प्रथा के बारे में कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर ठेकेदारी प्रथा जो है, उसे समाप्त किया जाए और इनके विकास के लिए समितियां बनायी जाएं, जो गैर सरकारी हों ।

(व्यवधान)

आप लोग शांति से सुनिए, वरना हम आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं और बोलने की ताकत रखते हैं । मान्यवर, अगर कोई सदन के अंदर किसी व्यक्ति के ऊपर टीका-टिप्पणी ।

(शोर)

जैसा कि मैंने कहा कि [× × ×]

एक सदस्य--

यह मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

बैठ जाइये, शांत रहिए और माननीय सदस्य आपको सदन में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

जैसे कि अभी हमारे एक साथी द्वारा जो गलत बात का प्रयोग किया गया है, उसके लिये मैं अपने विरोध पक्ष के साथियों से क्षमा मांगता हूं और.... ।

(व्यवधान)

नोट : [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी इसी सदन में आप भी सुन रहे थे माननीय सदस्य श्री भोज पाण्डे इतने आवेश में आ गये कि उन्होंने आपके सामने विरोध पक्ष के सदस्यों को धमकी दी

[× × ×]

यह सदन में विरोध पक्ष के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से धमकी दी है ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य क्षमा मांगे नहीं तो मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(सदन त्याग नहीं किया) (व्यवधान)

श्री कुबेर--

आप कुर्सी पर बैठकर यही करायेंगे ?

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या कोई सदस्य जिनका इतिहास अच्छा न रहा हो, जिनका हिंसात्मक प्रवृत्ति का इतिहास रहा हो क्या सदन के किसी सदस्य को धमकी दे सकते है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैंने क्षमा मांग लिया अब इसको समाप्त करें और भाई-भाई की तरह बैठें ।

श्री अधिष्ठाता--

बाजपेयी जी, आप बैठें ।

श्री रुद्र प्रताप सिंह--

इन अल्फाजों को वापस करायें नहीं तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री खवाजा हलीम--

इन अल्फाजों को वापस कराये नहीं तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय देहलवी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपने व्यवस्था दी कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

कार्यवाही देखकर अगर कोई बात असंसीय है तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब किसी अनुदान पर बहस होती है हर पार्टी के चीफ हिप अपनी पार्टी के नाम दे देते हैं । आज आपने जब पहली बार तीन सदस्यों के नाम दे देते हैं । आज आपने जब पहली बार तीन सदस्यों के नाम पुकारा वह सदन में नहीं थे । परम्परा यह रही है कि सदन में लोग खड़े होते हैं या तो उनका नाम पुकारते हैं या उंगली से इशारा करते हैं कि आप बोलिये, आप मान्यवर चिट का ढेर लगवा रहे हैं मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि सदन को कैसे चला रहे हैं और कैसे बोलवा रहे हैं ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता--

जो लिस्ट आती है पार्टियों की, सहायता के लिए, लेकिन यह पीठासीन अधिकारी के विवेक पर भी है कि जिसे चाहें उसे बुलायें ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी--

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा करने का अवसर दिया और मैं जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कुछ सुझाव जो अत्यावश्यक हैं, मैं देना चाहता हूं । आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद क्षेत्र से मैं श्रीमन्, आता हूं । इसके बारे में जानकारी है 32-33 लाख आदमी रहते हैं । वहां पर कोई भी रोजी-रोटी के लिए न फैक्टरी है न कोई दूसरे साधन । बहुत घनी आबादी है । सड़कों के माध्यम से कुछ विकास हो सकता है उसके लिए 2-4 सुझाव रखता हूं । आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे । जो पैसा है उसमें से जो खाद्यान्न योजना में सड़कें बन रही थीं उन पर आप पुलिया जरूर बनवायें । दूसरी बात जिन सड़कों पर ईंटा बिछवा दिया है उनको पहले बनवायें । मेरा सुझाव है कि उन पुरानी सड़कों को पहले ठीक करें । निजामाबाद क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं वहां पर दुर्वाशा ऋषि का स्थान है ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ माननीय सदस्य पैर रखकर सदन में बैठे हैं, क्या यह उचित है ?

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी--

वहां पर एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है । टोंस नदी पर एक पुल बनाना बहुत जरूरी है । सुना गया था कि कुछ रुपया भेजा गया था लेकिन विभाग वाले तय नहीं कर पाये और ऐसा सुना गया कि वापस आ गया है । आजमगढ़ में तो टोंस और मुझाई नदी है उस पर पुल बना दिया जाये, बीनापुर एक स्थान है जो कुंवर नदी के पास है उसके पास इंटरमीडिएट कालेज है । बरसात के दिनों में लड़कों की पढ़ाई बिल्कुल बन्द हो जाती है यह भी प्रस्ताव में आया है । तीसरी बात फूलपुर से रानीपुर चौराहा पुरसराय से पी0 डब्ल्यू0 डी0 से स्वीकृत है । उस पर कार्य हो जाना चाहिए और बीच में दत्तात्रेय स्थान पर काठ का पुल बना है । यातायात ठप्प है । कृपया इसको बनवा दें । (व्यवधान) अगर अभी न बोलें तो ठीक है । न मैं इधर की शिकायत कर रहा हूं और न उधर की । जो अच्छी बातें हैं उसको सुनें और कार्यान्वित करें । अगर पैसा हो । अच्छे सुझाव देने चाहिए जिससे जो सम्बन्धित कर्मचारी हैं, सब बदमाश हैं, चोर इकट्ठे हो गए हैं, यह सब हने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बातें और बताना चाहता हूं । फूलपुर रानीपुर सराय जहां लाखों लोग जाते हैं उसको तुरन्त बीच रोड कर दिया जाए । सामग्री सब रखी है । छतवारा रेलवे स्टेशन से शाह खजरा तक जहां ईंटा पड़ा है उसको लेने की कृपा करें । बरामदपुर तक करा देना चाहिए । पी0 डब्ल्यू0 डी0 के लोगों को चाहिए कि वे हमारे साथियों की बातों को सुनें और उसको

[श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी—]

बाद जो चीजें बिभाग के लिए अच्छी हैं जिससे उन पर लांछन आता हो या बाधा पड़ती हो उसको निकाल देना चाहिए।

श्रीमन्, एक बात और कहनी है। हमारे यहां मंत्री जी और उनके विभाग के लोग अगर कुछ सड़कों को वरीयता क्रम में दे दें, कोई मिल, कारखाना नहीं है, 32–33 लाख की आबादी है और साढ़े 10 लाख कुल खेत हैं बाकी ऊसर बंजर है, आपकी कृपा से, सदन की कृपा से यह विभाग दे दे तो हमारा कुछ विकास हो सकता है। उससे जनता का कल्याण हो सकता है। इसलिए जरूरी ह कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। जो पैसा है उस आधार पर आजमगढ़ को भी कुछ दिया होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दृष्टि से नहीं, कोई बड़ी लाइन नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, विकास की दृष्टि से आप उसमें कुछ मील अधिक सड़कें और पुल कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

आपने समय दिया, इसका आभारी हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे इलाकों का अनुपालन ठीक से होगा।

धन्यवाद।

श्री ऊदल—

माननीय, आज के सभ्यता के युग में इस विभाग की बहुत ही आवश्यकता है और यह विभाग सचमुच में हमारे देश और प्रदेश में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है और इसीलिए इस विभाग की आवश्यकता महसूस हुई थी और जैसा वर्मा जी ने कहा था कि 100 वर्ष पहले इसको बनाया गया था। श्रीमन्, पुराने जमाने के कामों को देखें 2–3 स्थानों का जिक्र करूंगा। हमारे जौनपुर जिले में गोमती का शाही पुल और सई नदी में जलालपुर में एक नदी है बरखुदर का पुल है। मुगल जमाने का है। इतनी बाढ़ के धक्के के बाद भी आज भी उस पुल की हालत खराब नहीं हुई और आज अगर हम विचार करें तो श्रीमन्, हालत यह है कि जैसा, हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जो मैटेरियल इस्तेमाल हो रहा है रद्दी है और इतना कम इस्तेमाल हो रहा है कि घटता जा रहा है। यह हमारा दुर्भाग्य है और उसका नतीजा है कि बाढ़ से नये पुल, इमारतें और सड़कें नष्ट-भ्रष्ट हो रहे हैं। इस विभाग की उपयोगिता को हम देखें और दूसरी ओर इसकी कार्य प्रणाली को देखें तो दोनों में कोई मेल नहीं है। इसलिए इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सरकार को भी विचार करना चाहिए और इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस पर विचार करना चाहिए। इधर से कम आलोचना हुई। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि इतने दिन हो गए और हम सड़कों और पुलों को नहीं बनवा सके। श्रीमन्, दारूल सफा को देखिए। पूरी छत चू रही है। मैं जिस कमरे में रहता हूं 148 नम्बर में, वह कमरा नीचे तक भीग गया है। मैं इसके ऊपर गाली दूं या फांसी पर लटकाने की बात कहूं। क्या कहूं। कल ही सवाल हुआ। मंत्री जी ने जवाब दिया कि 76 में सड़क मंजूर हुई बाबतपुर से जमालपुर तक। जमीन नहीं मिली। मंत्री जी से जवाब दिलवा दिया गया कि जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही हो रही है। 76 से क्या कर रहे थे। एक और मिसाल रखना चाहता हूं कदवा से बड़गांव तक की सड़क का। 9 किलोमीटर जिला परिषद् की सड़क थी। जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास कर दिया। मैंने एक पत्र लिखा था उसका उत्तर संतोषजनक नहीं था तब मैं संयुक्त सचिव पंजवानी साहब से मिला। बहुत शरीफ हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं जैसे मजूमदार साहब हैं। उन्होंने

कहा डिप्टी सेक्रेटरी ने लिखा है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता को भज दिया जाय । मैंने कहा कि फाइल आपके पास ही है ऐसा क्यों लिखा गया उन्होंने कहा कि रोटीन वर्क में भेज दिया गया । मैंने कहा यही रोटीन वर्क है । जब मैंने ढुढ़वाया तब वह प्रस्ताव मिला । उसमें था बताया गया कि यह 9 कि0 मी0 है या 11 कि0 मी0 । इसी झगड़े में 200 मीटर लिया गया । बाकी छोड़ दिया गया । सेतु निगम बना है । वरुणा नदी है उसमें कालिका धाम का पुल बन रहा है, पूरा नहीं हुआ । नीचा बना दिया गया । 69 से बन रहा है । 10 वर्ष हो गए । तकनीकी जांच कराई गई तो पाया गया कि पुल नीचा बन गया है । सन् 78 की बाढ़ आने से मालूम हुआ वाराणसी में एक पुल था कचहरी के पास उसको सन् 43 में बाढ़ की वजह से तोड़ना पड़ा डाइनामाइट से । दूसरा पुल बनवाया गया है वरुणा नदी में यह बाढ़ बड़ी थी । आज उसका डेटा और पानी का स्तर क्यों नहीं देखा गया आज तक ? कालिका धाम का भी पुल नहीं बना । अगर विभाग इस तरह से काम करेगा तो मैं समझता हूं कि इस माननीय सदन का और माननीय सदस्यों की आलोचनाएं बिलकुल सही हैं । आप देखें यू0 पी0 निवास में माननीय सदस्यों के रहन का सुविधा थी । नये आदेश निकाले गए कोई सदस्य तीन दिन से ज्यादा नहीं रह सकता । अगर रहेगा तो 52 रुपये प्रतिदिन देना पड़ेगा । मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे चलेगा । अधिकारियों के लिए नियम कुछ और कर्मचारियों के लिए और सदस्यों के लिए और । इस तरह से यह विभाग काम करता है । जैसा कहा गया इस विभाग के बारे में भ्रष्टाचार में परसेन्टेज तय है ।

श्रीमन्, आपके सामने यह पत्र पढ़ना चाहता हूं । जरा आप देखें कि क्या हालत है । मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बनारस में 4 सड़कें मन्जूर की गयी जिसके बारे में बहुत दिनों से प्रस्ताव था । यह पत्र मुख्य अभियन्ता का । प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा । लेकिन इस विभाग के अफसरों की पूरी टोली चुनाओं में घूमती रही । हजारों रुपया खर्च किया और एलान करवाया कि इन सड़कों की मन्जूरी हो गई । मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह टोली क्यों घूमती रही । मान्यवर मुझे हराने के लिए शासनतंत्र का पूरा दुरुपयोग किया गया । जब शासन से पूछा तो आज तक सड़क मन्जूर नहीं हुई । लेकिन चिट्ठी भेज दिया गया कि सड़क मन्जूर है । मान्यवर, इसके बारे में कल के एजेंडे में सवाल है । बड़ागांव, कुंडी, चिलबिला कुसमार्य तथा चिरईव घैकलभुज मार्ग जिला वाराणसी को पक्का कराने के बारे में प्रस्ताव था । श्रीमन्, इसमें मुख्य अभियंता के पत्र की नम्बर और तारीख पड़ी हुयी है मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से जांच कराना चाहता हूं कि यह टोली चुनाव के दिनों में घूम घूम कर झूठा पत्र लेकर क्यों प्रचार कर रही थी । अगर यही काम ढफली बजाने और शासन को खुश करने का करना है, इनसे, तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का और देश का भला नहीं हो सकता ।

मान्यवर, यह टेकनिकल विभाग है, श्रीमन्, इसमें टेकनिकल लोगों की आवश्यकता है । इसमें सर्वे विभाग अलग खुला हुआ है, प्लानिंग का अलग खुला है, टेकनिकल अलग है, सेतु निगम अलग है । किसी का कोआर्डीनेशन है ? कहीं भी कहीं कोआर्डीनेशन नहीं है मनमानी और घरजानी ये कर रहे हैं और सभी जगहों पर लूट का बाजार गरम है । श्रीमन्, सुल्तानपुर के एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे । सतर्कता विभाग उनके बारे में जांच कर रहा है । वे सस्पेंड थे

[श्री ऊदल—]

गवर्नर रिजीम में सस्पड थे और उनको बहाल किया और बनारस में ताला तोड़कर चार्ज दिलवाया गया । अगर इस तरह से हुकूमत को चलाना है और विभाग को चलाना है, तो इस तरह से देश और प्रदेश और जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दूरुपयोग हो रहा है, यह होता ही रहेगा । तो मैं चाहता हूं कि इस विभाग का पुनर्गठन किया जाय और जो लोग भ्रष्ट हैं और निकम्मे हैं, उनको सजा दिलवायी जाय ।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, आबादी और साइज के ख्याल से यह देश का छटवां हिस्सा है और इसकी 85 प्रतिशत जनसंख्या गावों में रहती है । इसलिए जब मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया अपनी नजर गांवों की तरफ जरूर रखें । इस प्रदेश की ज्यादा जनसंख्या गांवों में ही रहती है । इसलिए जब भी सड़कों के बनाने की तरफ ध्यान रखें, तो गांवों में ज्यादा बनवायें ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात सदन में क्या करूं । भ्रष्टाचार तो पूरे देश के जनजीवन के साथ इस तरह से लिपटा हुआ है कि चाहे सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र हो, चाहे राजकीय नौकरियां हों, सभी जगह यह लिपटा हुआ है, रही बात कमी और बेशी की तो इसका निर्णय यहां बैठकर नहीं हो सकता । माननीय मंत्री जी, यहां पर कहा गया है कि इस विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है लेकिन आप सौभाग्य से न्याय मंत्री भी हैं तेली और तंबोली का काम एक साथ आपको सौपा गया है इसलिये हमें उम्मीद है कि जो कुछ भ्रष्टाचार के बारे में कहा गया है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे । जो कुछ आपसे बन सके उसको करने की कृपा करेंगे । मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मे सेतु, राजकीय भवनों के साथ-साथ सड़कें बनाने का महान कार्य है । मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सड़कें गांवों में बनें । मान्यवर, अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं, मान्यवर, मेरे क्षेत्र जनपद आजमगढ़ से मंगलदेव विशारद जी, सोशलिस्ट पार्टी के, संविद सरकार में मंत्री थे घोसी-बेलथरा रोड जो हमारे यहां है, यह 100 साल पुरानी सड़क है । मधुबन में आजादी की लड़ाई में वहां जो कुछ हुआ लोग शहीद हुये उसकी चर्चा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी हुयी थी ।

मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि तत्कालीन मंत्री श्री मंगलदेव विशारद जी ने घोसी बेलथरा रोड के बारे में अधिकारियों से नहीं कहा होगा, उन्होंने बनाने के बारे में जरूर कहा होगा । आज भी वह सड़क वैसी ही है । मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी अगर उस क्षेत्र में चलना चाहेंगे, मैं उन्हें ले चलूंगा कुछ महीनों में तो उनको दिखायी पड़ेगा कि मंत्रियो की उन बातों को किस तरह रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया और आज तक उस सडक पर कंकड़ शिवशंकर की पिंडी की तरह मुह उठाये आने जाने वालों की घायल कर रहे हैं । मैं निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र का तकाजा है, सबसे पहले उस सड़क को ले लें । मैंने कई बार मांग किया और मुझे बताया गया कि वह सड़क काली हो रही है लेकिन यह जो पुस्तिका छपी है इसके पेज 18 पर छपा है आजमगढ़ जनपद में घोसी और मधुबन मार्ग का पुन निर्माण ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

मान्यवर, इसमें घोषी बेलथरा रोड नहीं लिखा है मेरा अनुरोध है कि इस तरह से यह सड़क फिर अधूरी रह जायेगी घोसी बेलथरा रोड बेलथरा तक बननी चाहिए । यह सैकड़ों साल पुरानी सड़क है, हजारों शहीद वहां मारे गये हैं । लेकिन इस सड़क की दुर्दशा लोगों की अपना इतिहास बता रही हैं । इसके अलावा और भी बहुत सी सड़क हैं । मान्यवर, इसी तरह से मंझबारा मधुबन शहीद रोड है, इसकी सेन्टल रोड फंड के प्रयास से इस पर कुछ होने जा रहा हैं । इसी तरह से चकौत से असमा रोड है, यह आकर बंधनपुर गांव के पास अपने गंतव्य स्थान, चकौत से 3 किली मीटर पहले आकर रुक गयी है । मैं मंत्री जी से स्पस्टीकरण चाहूंगा कि इसको गंतव्य स्थान तक बनवा दे । इसी तरह से बुबारी-सोंनाडीह रोड का रास्ता दुबारी गांव तक ले जाना चाहिए लेकिन अधिकारी इस गांव के दक्षिण से गरीबों की जमीन पर से यह ले जाना चाहते हैं जो गलत है । इससे काम में बिलंब होगा और अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होगा । कर्मचारियों और अधिकारियों ने इसका रास्ता बदल दिया है ताकि मामला लटका रहे ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, एक मिनट और दे दें । मान्यवर, इसी तरह से फतेहपुर-बरहिम पट्टी रोड है, वहां सड़क तो बनी है लेकिन पानी को निकासी के लिए पुलिया नहीं है । यहां पानी के निकासी की व्यवस्था की जाय । सूरजपुर से बंधा तक एप्रोच रोड है । बाढ़ पीड़ितो की बाढ़ राहत कार्य पहुंचाने के लिए यह एक मात्र सड़क है । इसको पी0 डब्लू0 डी0 अपने हाथ में ले ले और इसका निर्माण करायें । मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ में मंत्री जी ने जो अनुदान रखे हैं उनका समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष ने जो एक रुपये कर देने का प्रस्ताव रखा हैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें ।

[12 बजकर 40 मिनट]

*श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं केवल इतना आग्रह करना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, क्रांतिकारी कटौती का जो एक रुपये का प्रस्ताव रखा गया है तो उससे यह कौन सी सड़क और कौन सा सुधार कार्य करेंगें, इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं ।

मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के कुछ अनुभवों को आपके सामने आग्रह करूंगा जिनको मंत्री जी सुनने का कष्ट करें । मान्यवर, आज सार्वजनिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—]

निर्माण विभाग की कैफियत पर दोनों पक्षों से माननीय सदस्य बोल रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जितनी सड़कें कटी वह हर साल पानी के अवरोध से कटती हैं । इसलिए मेरा पहला सुझाव है कि चाहे राष्ट्रीय मार्ग हो या छोटे हों यदि उन पर पुलिया बनाने की मंत्री जी व्यवस्था कर दें, तो यह सड़के कम कटेंगी । इसलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों पर पुलिया बनाने की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, हमारे प्रतापगढ़ जनपद में 284 पी० डब्लू० डी० की सड़कें इस बार कटीं । जैसे प्रतापगढ़-ढकुआपट्टी रोड, प्रतापगढ़-बादशाहपुर रोड, प्रतापतढ़-लखनऊ रोड पर लालगंज, कालाकांकर रोड, प्रतापगढ़ लाल गोपालगंज रोड पानी से कट गये थे । इसलिए जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद इत्यादि सभी जगहों के मार्ग इस बार पानी से अवरुद्ध हो गए थे इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा, कि इन स्थानों पर अविलम्ब पुलिया बनवाने की व्यवस्था करने की कृपा करें ।

मान्यवर, प्रतापगढ़ बीरापुर क्षेत्र सड़कों से हीन है । रानीगंज पट्टी रोड पर सई नदी म जाम ताली पर एक पुल की अत्यन्त आवश्यकता है । यह पट्टी तहसील को दो टुकड़ों में बांट देती है जिससे पट्टी तहसील हेडक्वार्टर जाने के लिए 45 किलो मीटर का चक्कर करना पड़ता है, इसलिए जामकाली पर यदि पुल बना दिया जाय तो यह चक्कर काटना नहीं पड़ेगा । मुझे मालूम हुआ है कि इस पुल को पहले नम्बर पर भेजा जा चुका है, इस वर्ष मान्यवर, इस पुल का काम अविलम्ब शुरु कर दिया जाय तो अच्छा होगा । इसके अलावा मान्यवर, एक रोड गाजा का बाग से मुबारकपुर जाती है जो कि इलाहाबाद जिले को मिलाती है, इस रोड पर काम शुरू होने की बात है लेकिन वह अभी नहो हो रहा है, इस लिये इस पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय । मान्यवर, दूसरी रोड झुरकुटी से ले कर सेखूपुर रामनगर होते हुए दादूपुर इलाहाबाद जनपद को रोड से मिला दी जाय तो बड़ी कृपा होगी । जामतोली पर पुल बनने से इलाहाबाद, जौनपुर और आजमगढ़ का सीधा मार्ग हो जायेगा । इस लिए भी इस पुल पर अधिक जोर दिया जाय ।

मान्यवर, जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य का सम्बन्ध है, मैं आग्रह मन्त्री जी से करूंगा कि जितने अधिकारी हैं इस पी० डब्लू० डी० बिभाग में उनके हिसाब किताब और उनके रिश्तेदारों के लेखे जोखे ले लें तो आपको फांसी पर उनको चढ़ाना नहीं पड़ेगा बल्कि उनके सारे धन को सीज करके सरकारी कोष में डाल दिया जाय और अधिकारियों को जेल में रहने का मौका मिल जायेगा । इसमें जल्दी ही कार्यवाही करें क्योंकि एक-एक सहायक अभियन्ता के वहां 8-8 नौकर काम करते हैं । तो जितना उनका वेतन नहीं है उतने उनके यहां कर्मचारी कैसे काम करते हैं । तो यह अधिकारीगण देश का पैसा नौकरों पर खर्च करके बेकार कर रहें हैं ।

एक सदस्य—

यदि उनको जेल में बन्द कर देंगे तो आप को चन्दा कहां से मिलेगा ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

चन्दे के सम्बन्ध में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की रीतिगों नीतियों में जो विश्वास करने वाला और श्रीमती इंदिरा गांधी के रास्ते

पर चलने वाला होगा वह इस चन्दे पर राजनीति नहीं करेगा, यह आप लोगों ने तीन वर्षों में किया है, वही आप हमारे लिये सोच रहे हैं । देश की अखंडता अक्षुणता को कायम न रखने वाला और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला व्यक्ति कांग्रेस म रहने योग्य नहीं है, यह हमारा 30 वर्ष का अनुभव है । इस लिए कि आप कृपया इस विभाग पर सख्ती से नियन्त्रण नहीं करेंगे तो अब तक तो 5 प्रतिशत चलता था कहीं 16 प्रतिशत चलता है कहीं 20 प्रतिशत चलता है, इसको अविलम्ब रोकने के लिये कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ जो मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की घोर भर्त्सना करता हूं ।

श्री शम्भू नाथ--

अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । मैं आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आया हूं । अनरौलिया विधान सभा क्षेत्र में 1976 में एक सिकन्दर, नरियांव सड़क स्वीकृत हुई, पूरी हुई, बीच में एक पिकिया नदी पड़ती है जिसमें पुल बनना है, पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ । निरांवा बुनकरों का केन्द्र है । वहां के लोग अपनी वस्तुओं को खलीलाबाद, गोरखपुर ले जाते हैं । पुल न होने के कारण पचास किलोमीटर दूर हो कर जाते हैं । इस क्षेत्र में सड़क का बहुत ही अभाव है । कुछ सड़कें बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया है उनको बनवाने की स्वीकृति दी जाय ।

जहां तक सड़कों का सवाल है, उत्तर प्रदेश में सड़कें विकास की माध्यम हैं । मैं अधिष्ठाता महोदय, आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनता शासन में 70 जूनियर इंजीनियरों का जिन्होंने नाजायज कार्य किया था स्थानान्तरण हुआ लेकिन जनता पार्टी के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने सभी जूनियर इंजीनियरों का स्थानान्तरण निरस्त करके नाजायज धन कमाया । मैं चाहता हूं कि यहां पर गरमागरम जो बहस हुई, फांसी दी जाय, सजा दी जाय, जनता पार्टी के मन्त्री नें जूनियर इंजीनियरों को लूटा, उनका स्थानान्तरण निरस्त कराया पहले उनको फांसी दी जाय, उनको सजा दी जाय ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शम्भू नाथ--

उन 70 जूनियर इंजीनियरों का स्थानान्तरण इस शासन में पुनः हुआ लेकिन उन्होंने आज तक चार्ज नहीं लिया । मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि उन जूनियर इंजीनियरों को सजा दी जाय । मैं चाहूंगा कि आप इसकी घोषणा करें.... ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री शम्भू नाथ--

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

अधिष्ठाता महोदय, भाषण करते-करते भावुकता में यह कहा गया कि जनता पार्टी और लोक दल के मन्त्री ने धन कमाया । लेकिन मान्यवर, जो सदस्य इस समय सदन में नहीं हैं उसके बारे में परम्परा रही है कि उनकी आलोचना नहीं की जा सकती । कोई उत्तर देने के लिये मौजूद नहीं हैं । यह परम्परा रही है ।

श्री शम्भू नाथ--

स्थानान्तरण निरस्त कर के पैसा कमाया और पुनः नई सरकार ने उनका स्थानान्तरण किया है । उनके खिलाफ कार्यवाही हो । उनका स्थानान्तरण हुआ है । विधान सभा में घूम रहें हैं । पिछले जो मन्त्री थे उनकी जांच करें और उन अधिकारियों की जांच करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

कृपया आप इस पर व्यवस्था दें और उन शब्दों की कार्यवाही से निकलवाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने नाम नहीं लिया है और नाम लेना भी नहीं चाहिए ।

श्री शम्भू नाथ--

यह सही है कि मैंने नाम नहीं लिया है और जनता पार्टी तथा भूतपूर्व मन्त्री मैंने कहा है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय सदस्य आजमगढ़ ने स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाये कि धन उगहाने में दो इंजीनियरों के साथ मन्त्री महोदय ने हिस्सा लिया । क्या ऐसा स्पष्ट आरोप लगाने के लिए माननीय सदस्य आजमगढ़ कोई बयाने हल्फी सदन को देंगे ? क्योंकि यह आरोप बड़ा गम्भीर है (व्यवधान तथा शोरगुल) अगर स्थानान्तरण रोकने से ही माननीय सदस्य इस निष्कर्ष पर पहुंच गये कि माननीय मन्त्री ने रिश्वत ली है तो मैं 100 उदाहरण दे सकता हूं जिनमें इस सरकार ने स्थानान्तरण रोके हैं तो क्या यह कहा जाय कि सम्बन्धित मंत्रियों ने रिश्वत ली है ?

श्री शम्भू नाथ--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने जो कहा है उसे कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है भाषण में आप या दूसरे लोग अपनी बात कह सकते हैं और वही बात कही गयी है । किसी पर नाम ले कर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

अधिष्ठाता महोदय, ग्रामों का सर्वोतमुखी विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक सड़कों का विकास न हो । किसानों को शोषण से बचान के लिए ग्रामीण अंचलों में सड़कें अनिवार्य हैं । यह प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जहां यह प्रदेश बहुत सी चीजों में पिछड़ा हुआ है वहां यह सड़कों तथा पुलों के मामले में भी छोटे से प्रदेश हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल तक से पिछड़ा हुआ है । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । आज मैं इस इन्तजार में था कि माननीय मन्त्री जी कुछ अपने मंत्रिमण्डल के निर्णयों की कुछ नई उदघोषणायें करेंगे ।

लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मंत्रि-मण्डल को गठित हुये इतने दिन हो गये हैं उन्होंने कोई भी अपने विभाग से सम्बन्धित नया निर्णय नहीं किया है । मैं यह सुनना चाहता था कि उस उदघोष में कम से कम मन्त्री जी यह घोषणा करेंगे कि लोक दल को सरकार ने यह घोषणा की थी कि 5 वर्ष के अन्दर हम तमाम गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे । माननीय मन्त्री जी ने और उनके नये मंत्रि-मण्डल ने 5 वर्ष की घोषणा के बजाय 6 वर्ष की होती, 7 वर्ष की होती तब तो कुछ समझ में आता अथवा अपने विभाग का कम से कम कुछ समयबद्ध कार्यक्रम रखा होता और उसके साथ बांधा होता । इन्होंने बांधा किससे, 7 वर्ष के अन्दर ठेकेदारी समाप्त कर देंगे । 7 वर्ष तक तो मन्त्री जी भी यहां नहीं बैठेंगे । तो इस तरह की उद्घोषणा का कोई अर्थ नहीं होता । घोषणा की जाती कि हम 5 साल या अपने कार्यकाल में प्रदेश के आधे गांवों को सड़कों से जोड़ देंगे, तो उसका स्वागत होता । लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई ।

यदि यह घोषणा नहीं कर सके थे तो यही घोषणा कर दिये होते कि लोक-दल की सरकार ने जिन सड़कों पर मिट्टी का काम किया है, जिन पर सरकारी धन खर्च हुआ है उसको बचाने के लिये, उसको सुरक्षित रखने के लिए कम से कम यही घोषणा करते कि उन पर खड़ंजे ही डाल दिये जायेंगे । वह भी नहीं किया यही घोषणा कर दिये होते कि लोकदल की सरकार ने जो अधूरी सड़कें छोड़ दी हैं उनको ही पूरा कर दिया जाता । नहीं किया । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अगर यह भी कुछ नहीं कर सके थे तो सदन में मन्त्री जी के सामने जो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जितने भी विधायक हैं जो इस विभाग के बारे में बोले हैं किसी नें यह नहीं कहा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है । हर विधायक ने कहा है कि यह विभाग भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है ।

ऐसी हालत में यह तकाजा है इस सरकार का और यह सरकार के लिये चुनौती है कि इसको स्वीकार करने के लिये हम आशा करते हैं कि जब मन्त्री जी अपना उत्तर भाषण करें तो उसमें यह घोषणा करें कि जिन इमारतो के बारे में, जिन सड़कों और पुलियों के बारे में माननीय सदस्यों ने संकेत दिया है भ्रष्टाचार का, उसकी जांच के लिए वे एक आयोग का गठन करेंगे । अगर इस सम्बन्ध में किसी आयोग का गठन हो जाय तो मेरा अपना विश्वास है कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी दण्ड पा सकेंगे और उसी के लिये यह नसीहत होगी । मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस तरह की घोषणा करेंगे । मान्यवर, मैं यह तो नहीं कहता कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को फांसी दे दी जाय या जेल में डाल दिया जाय लेकिन इस बात की जरूरत है कि भ्रष्ट लोग सेवा में न रहने पायें ।

[श्री मोती लाल देहलवी--]

क्योंकि इस विभाग के लोग ही इस बात को बताते हैं कि जो पैसा कमीशन की शक्ल में जूनियर इंजीनियर को देते हैं वह नीचे से ऊपर तक जाता है। यही वजह हैं कि निरन्तर इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस विभाग में भ्रष्टाचार और कमीशन का एक संक्रामक रोग लगा हुआ है। म चाहूंगा कि मन्त्री जी इसकी घोषणा करें कि इस संक्रामक रोग से छुटकारा दिलाने के लिए विकल्प दे रहे हैं तो जिस तरह से गत वर्षो में इस विभाग का करोड़ों रुपये का बजट आता रहा और बहुमत के बल पर पास हुआ उसी तरह इस साल भी होगा और पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मन्त्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि वह कोई विकल्प दे रहे हैं।

भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उनको चाहिये, कि वह अपने उत्तर भाषण में घोषणा करें जैसी कि उन्होंने घोषणा की है कि 7 वर्ष में ठेकेदारी प्रथा को दूर करेंगे, उसके बजाय उद्घोषणा करें कि उसे अपने कार्यकाल में ही खतम करके ही हटेंगे तो इसका स्वागत होगा। मेरी जानकारी में है कानपुर में एक इंजीनियर के खिलाफ जांच चल रही ह उसको कई साल हो गये, विजिलेंस में भी इन्क्वायरी चल रही है लेकिन आज तक उस जांच का कोई परिणाम नहीं निकला। उस अधिकारी ने अपने ही रिस्तेदार को टेका दिया हुआ ह। तो जब कोई अधिकारी अपने ही रिस्तेदार को ठेका देगा तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से होगा, जो स्वाभाविक है, उसे कोई हटा नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने अभी हाल में बजट के पहले इस सरकार को लिखा था जो अपने को असांप्रदायिक कहती है मेरे क्षेत्र कानपुर के बिल्हौर में मकनपुर गांव हैं जहां पर दरगाह सरीफ है। बीच में एक ईसन नदी पड़ती है उसमें पुल बनाने की बात है। बहुत अर्से से मैं निवेदन कर रहा हूं। बजट से पहले भी मैंने इसकी आवश्यकता पर बल दिया था लिखा था कि यहां पर दरगाह शरीफ है दोनों तरफ सड़क बनी हुई है, जो पैसा इसमें सरकार का खर्च हो गया है वह बेकार जा रहा है क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि ईसन पर पुल न बन जाय। मैं निवेदन करूंगा कि अपने को असांप्रदायिक कहने वाली सरकार उस हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए मकनपुर गांव के लिए ईसन नदी पर पुल का निर्माण किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

माननीय, मैं मंत्री जी का ध्यान उस जिले की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां का नाम सुनने से लोग आनन्द से झूम जाते हैं। और वहां की दुर्दशा सुनने पर आवाक रह जाते हैं अर्थात् मैं बलिया जिले की बात कहना चाहता हूं, यह पूर्वी जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है। अन्य जिलों में चमकती हुई, चौड़ी-चौड़ी सड़कें हैं, किन्तु बलिया की ओर इस सम्बन्ध में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया

हैं । खासकर हमारे इलाके रसड़ा में कोई सड़क नहीं है, सिवाय मऊनाथ भंजन से बलिया वाली सड़क को छोड़कर । इसलिए वहां जनता के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है । मेरा निवेदन है कि पहले विभाग से ठेकेदारी प्रथा को आप समाप्त करें । इससे 22 परसेन्ट कमीशन लेने वाले ठेकेदार का और 44 परसेन्ट कमीशन लेने वाले अधिकारियों की लूट समाप्त हो जाएगी और यह 66 परसेन्ट पैसा जनता के लिए अन्य निर्माण के कल्याण कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा । आप इस 66 परसेंट की भारी लूट को जरूर रोकें । 66 परसेन्ट लूट लिया जाता है और बकिया में घटिया निर्माण कार्य होता है ।

(व्यवधान)

भूतपूर्व एक सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मंगलदेव विशारद रहे हैं, उन्होंने करीब 17 हजार अस्थायी मजदूरों को परमानेन्ट किया था । इसलिए आप भी इस पैसे को रोककर 70 हजार अस्थायी मजदूरों को इस विभाग में परमानेन्ट की हालत में रखें । आप गरीब समाज से आये हैं और उम्मीद है कि गरीबों पर ध्यान देंगे । खतरनाक सड़कें जो टूट गई हैं, उनकी मरम्मत पहले होनी चाहिए । एक बात यह कहना है विभाग के मजदूरों को 5-6 रुपया रोज मजदूरी मिलती है और अधिकारियों को लूटाचार के साथ-साथ बड़ी-बड़ी तन्खवाहें भी दी जातीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि जो उसमें मजदूर कठोर परिश्रम करते हैं और अपना खून-पसीना बहाते हैं उनकी कम से कम 13 रुपया मजदूरी होनी चाहिए । इसके लिए उनको अधिक भोजन और विटामिन चाहिये । मैंने देखा है कि इस विभाग में 2-3 साल काम कराकर मजदूर की छंटनी कर दी जाती है, इस प्रथा को समाप्त कर उन्हें परमानेन्ट किया जाए । मेरे रसड़ा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कोई काम नहीं हुआ है । हलधहपुर से जमदरा, पहासा से चकरा की सड़क और जो पुल ह जो गाजीपुर से मिर्जापुर को जोड़ेगा उस पर बिहारीपुर टोंस पर पुल बनवा दिया जाए ।

(व्यवधान)

पियरा-मिर्जापुर बांध जो टूट गया है, उसको तुरन्त बनवाया जाए और लिंक रोड की जो कमी है उसको भी रसड़ा क्षेत्र में बनवा दिया जाए । सिकन्दरपुर से बगराभीमपुर मार्ग से पुरा पतो होते हुए रोड का निर्माण कराया जाए मैं चाहूंगा कि कार्य पर आप इस ओर जल्दी ध्यान देंगे मान्यवर, मजदूर चाहे वे निर्माण विभाग के हों या किसी और विभाग के हों सब एक है । मैं चाहूंगा कि इस विभाग में मजदूरों को समुचित वेतन दिलाया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठे आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए कुछ बातें अपने क्षेत्र की सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं । मान्यवर, प्रतापगढ़ जिले में एक सड़क मन्जूर हुयी थी जिस पर वर्ष 1976 से काम आरम्भ हुआ था जबकि कांग्रेस का शासन था । 3 वर्ष जनता शासन के भी बीत गये लेकिन

[श्री राम नरेश शुक्ल—]

अभी तक भी वह सड़क जो सगरा सुन्दरपुर से पहाड़पुर तक जाती है पूरी नहीं हो पायी है। क्या कारण है कि हर साल वह बनती है और हर साल वह बह जाती है। उसके बनवाने में जमीन की भी कोई बाधा नहीं है, न मजदूरों की ही कमी है और न वहां पर अन्य किसी प्रकार की कोई रुकावट ही है। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जो सड़कें मन्जूर हों, उनके पूरा करने का कोई समय निश्चित करना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इलाहाबाद से लखनऊ तक सड़क आती है। उससे जोड़ने के लिये माहनगंज से शमशेरगंज तो बनी है और इसी प्रकार से सगरा सुन्दरपुर से लछमणपुर तक बनी हुयी है। लेकिन दोनों तरफ से तो 10–10 किलो मीटर सड़क बन गयी है लेकिन बीच में 4 किलो मीटर छोड़ दी गयी है। अगर एक तरफ से किसी किनारे से बनती तो उचित होता। वह इस ओर से भी बन गयी है और दूसरी ओर से भी बनी है लेकिन बीच में बनाने से छोड़ दिया गया है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इसके बारे में वे पूछ–तांछ करें कि इसके पूरा होने में क्या बाधा है वह कब तक बन कर पूरा हो जायेगी।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि सगरा सुन्दरपुर से लक्ष्मणपुर होते हुये भभई तक एक सड़क बना है और बढ़नी से बाबूगंज जो सड़क है उस पर मोहनगंज में एक छोटा सा नाला है क्योंकि उस पर पुल के निर्माण की मन्जूरी नहीं की गयी है। जब तक यह पुल नहीं बनेगा तब तक इधर और उधर दोनों तरफ से यह सड़क रुकी हुयी पड़ी है। अगर इस छोटे से नाले पर एक पुल बन जाये तो प्रतापगढ़ से कुन्डा और इलाहाबाद और लखनऊ से भी जुड़ जाय।

इसके अलावा आज तमाम सदस्यों ने यहां पर आम तौर पर कड़ी आलोचना की है लेकिन कोई सुझाव नहीं दिया कि विभाग में ये–ये कमियां हैं और वे कैसे दूर की जा सकती हैं। मैं एक प्रश्न अपनी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि ये सड़कें बरसात में जब पानी बरसता है, क्यों बैठ जाती हैं। मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए कोई कमीशन बैठाया जाय जो इस बात को देखे कि क्या इनमें कम मैटिरियल लगाया गया है या और कोई कमी है? वह कमीशन इस विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, उनका भी पता लगाये और मूल कारणों का पता लगाये।

एक बात मुझे यह भी कहनी है कि जो इमारतें बनती हैं, इनमें जो ऊपर प्लास्टर लगता है, उसको बन्द करा दिया जाय। मान्यवर, आपने पहले कलक्टरी और दीवानी कचहरियों की बिल्डिंग्स देखी होंगी, वे खुली हुयी हैं, उनमें लाल ईंट होती हैं। अगर ऊपर का प्लास्टर लगाना बन्द कर दिया जायेगा तो एक तो खर्चा होगा, दूसरे उसमें जो रद्दी ईंट लगती हैं, वे नहीं लग पायेगीं। उसके बदले में अधिष्ठाता महोदय, सीमेन्ट से ही ईंट को पक्की चुनायी करवा दी जाये, प्लास्टर करवाने की जरूरत नहीं है। इससे इमारत की उमर भी बढ़ जायेगी और बेइमानी करने का साधन भी खत्म हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अमर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी मेरा जनपद सहारनपुर है, जिसका पूरा पश्चिमी सरहद हरियाणा से मिलता है, जो एक छोटा राज्य है

मान्यवर, म हरियाणा गया था, पहले मैंने देखा था कि वहां गांव को रास्ते नहीं मिलते थे, शहरों का गांव से कोई सम्बन्ध सड़कों से नहीं था, पर आज हम देखते हैं कि वहां पर हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है, यह है वहां की प्रगति। उसके मुकाबले में आज जब हम अपने उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो देख कर बड़ी शर्म आती ह। आज 33 वर्षों के बाद भी हमारे गांव को सड़कों से नहीं जोड़ा जा सकता हैं। मैं जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं वह सहारनपुर का उत्तरी भाग ह जहां तमाम नदियां बहती हैं, वहां पर सड़कों का नितान्त अभाव ह सन् 1952 में श्रमदान द्वारा वहां पर 3 सड़कें बनायी गयी थीं सहारनपुर से जहानपुर जनता रोड-24 मील, कैलाशपुर माजरी खिजनावर से जनता रोड-9 मील और बिहारी गढ़ से बुग्गवाला पिरानकलपुर जनता रोड 16 मील, लेकिन चूंकि आज तक इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बनाया गया, वे अधूरी पड़ी हैं। म निवेदन करूंगा कि इन सड़कों को बनवाने की ओर सरकार तुरन्त ध्यान दे और प्राथमिकता के आधार पर इनको बनवाया जाय।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने 9 अनुदान आज पेश किये हैं, जिनमें 7 अनुदानें ऐसी हैं जो भवन निर्माण के लिये हैं और 2 ऐसे हैं, जो सड़कों से सम्बन्धित हैं। इस तरह 45 प्रतिशत धन भवनों आदि पर और 55 प्रतिशत धन सड़कों पर खर्च किया जायेगा। इस बजट में 2,850 किलो-मीटर लम्बी सड़के बनाने का प्राविधान हैं। इस प्रकार एक एम0 एल0 ए0 के क्षेत्र में औसत 5 किलोमीटर सड़क हो आती है। कुल 26 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव हैं। यह पुल भी कई एम0 एल0 ए0 के बीच एक जाकर पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि आप कुल बजट का, जो आज इस विभाग के लिये रखा गया हैं, 90 प्रतिशत आप सड़क निर्माण पर व्यय करे और 10 प्रतिशत ही भवनों पर खर्च करें।

अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ भाइयों ने बातें कहीं। उनकी बातों में सच्चायी होगी तभी वह बातें कही गयी हैं। लेकिन यह बात सही है कि नीचे से जो इस्टीमेट बन कर आता है और जो स्वीकार होता है उसके अनुसार सामान (सीमेंट, ईंट आदि) नहीं लगायी जाती है। भवन बनता है, साल दो साल बाद ही उसकी छत टपकने लगती है। सड़क बनती है, साल भर बाद वह उखड़ जाती है। पूरे इस्टीमेट का जो स्वीकार होता है, मुश्किल से 60 प्रतिशत खर्च होता है, बाकी बच जाता है और 40 प्रतिशत उसमें बचत रहती है। ऐसी हालत में जब ठेकेदार लोग चोरी करते हैं, तो फिर उसका परमात्मा ही मालिक है। अगर आज बारिस होती है, तो 3 दिन तक मकान की छतें टपकती हैं।

श्री जै राज गौतम--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कम से कम 20 बार उठने-बैठने के बाद आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस माननीय सदन में दो शब्द कहने का अवसर दिया हैं। श्रीमन्, मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का जोरदार समर्थन करते हुये माननीय विरोधी दल के सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका जोरदार शब्दों से मैं विरोध करता हूं। श्रीमन्, किसी भी जिले का या

[श्री जै राज गौतम--]

प्रदेश का या गांव का विकास सीधे-सीधे आपके यातायात से जुटा हुआ है और जिसमें आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों का सम्पादन, श्रीमन्, इसकी कई एजेंसियां हैं, जिसके माध्यम से आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्य करवाता है : (1) विभागीय पद्धति से लेवर लगवा कर काम करवाते है, (2) वर्क आर्डर के द्वारा काम करवाते हैं, (3) टेंडर करके अनुबन्ध बना कर काम करवाते हैं। श्रीमन्, मुझे आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से कहना है कि यह जो वर्क आर्डर है, मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इस विभाग के जूनियर इंजीनियर, असिस्टट इंजीनियर और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जब ये भारी रकम खाना चाहते हैं, तो य वर्क आर्डर दे कर भारी रकम लेते हैं, इसलिये कि उसका टेंडर नहीं होता है और सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं और सरकारी रकम उनकी जेब में चली जाती है।

तो श्रीमन्, इसकी पाबन्दी होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां से सौभाग्य से हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जो कई वर्षों तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि मैं हूं। जब से वह मन्त्री हुए हैं, कई बार उनका आकस्मिक दौरा वहां पर हुआ है। उन्होंने क्षेत्र का दौरा करके, वहां की क्षेत्रीय समस्याओं को व्यक्तिगत रूप देख रखा है। मैं यह कहना चाहता हूं, आज भी उस समय में, जब कि भीषण वर्षा से प्रदेश की सारी सड़कें एकदम बरबाद हो चुकी हैं, आवागमन एकदम अवरुद्ध हो चुका है। इनकी पक्की सड़कें बीसों-बीसों स्थानों पर कट चुकी हैं। आप फैजाबाद, सुलतानपुर किसी भी प्रदेश के जिले में जाना चाहें श्रीमन्, आसानी से नहीं जा सकते हैं। तो श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र कादीपुर की सबसे बड़ी सड़क करौंदी से रवनियां तक जो जाती है, कई वर्षों से मांग होती रही है कि यह सड़क बना दिया जाय। तहसील मुख्यालय से 30 किलो मीटर की दूरी विजुथुआ से सरवाघाट की यह सड़क बरबाद हो चुकी है। वहाँ के लोग अपने मुकदमों में तहसील मुख्यालय में आना चाहें तो श्रीमन्, दो दिन का समय लगता है। तो श्रीमन्, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सबसे महत्वपूर्ण दायित्व और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग का है। यह विभाग तभी कार्य कर सकता है जब इनके ऊपर जबरदस्त अंकुश हो और तभी इस विभाग का विकास हो सकता है, नहीं तो आपका इक्जीक्यूटिव ईंजीनियर कंकड़ से तारकोल तक खा लेते हैं। उनका हाजमा इतना दुरुस्त हो चुका है। इस पर आप रोक लगाएं, जिससे क्षेत्र का विकास आप कर सकें। चूंकि आपने मुझे मौका दिया है एक निवेदन और करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। फैक्टरी से सीमेन्ट की उपलब्धता के बारे में अधिक सुना जाता है, उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गयी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें।

श्री जराज गौतम--

चूंकि आप समय काट रहे हैं मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाते हुए, उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और माननीय विरोधी दल के सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका जोरदार विरोध करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को बोलने के लिए पुकारे जाने तथा श्री जसवन्त सिंह बिष्ट के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

बिष्ट जी आप बैठिय, गुप्ता जी को बोलने दीजिये ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

बैठिए । माननीय राजन्द्र कुमार गुप्त जी आप बोलिए ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

जो माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट जो बोल रहे हैं वह कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । बैठ जायं ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

श्री अधिष्ठाता--

गुप्त जी, आप भाषण प्रारम्भ करें । (श्री जसवन्त सिंह बिष्ट से) आपका भाषण हो गया । बैठ जाइये ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

[* * *]

नोट--[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, निर्दलीय दल के नेता द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले मैं माननीय श्यामलाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने अपने दल की नीति उजागर कर दी । उन्होंने घोषणा की है कि उनके दल की योजना के अनुसार दफ्तरों में जाकर हाथापायी किया करेंगे । इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कहे हुए शब्दों को वह तोड़ मरोड़ कर न रखें । इस तरह की हाथापाई करने की प्रथा आर० एस० एस० में हुआ करती है, कांग्रेस में नहीं है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस सदन में भ्रष्टाचार की बात बहुत कही गयी है । सतर्कता आयोग की आयोग में भी कहा गया है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पी० डब्लू० डी० में है । लेकिन यह कैसे ठीक होगा । मैं माननीय श्यामलाल जी की दिल की पीड़ा समझता हूं । लेकिन यह केवल अधिकारियों को गाली देने से ठीक नहीं होगा । सबसे बड़ी आवश्यकता है दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की । मैं शून्य प्रहर की एक घटना का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । सिंचाई मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे थे । एक आदमी घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया । लेकिन उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी लेकिन जिस व्यक्ति ने पकड़वाया था उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । जिसने घूस लिया उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसने घूस दिया उसके खिलाफ कार्यवाही हो रही है । इस प्रकार भ्रष्टाचार आप खत्म कर पायेंगे कम से कम इसका विश्वास नहीं है ।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि इस सरकार से किसी नये काम की आशा नहीं की जा सकती है, जो पुरानी सड़कें मान्यवर, टूट-फूट गयी हैं, उन्हीं को ठीक करा दें तो बहुत बड़ी बात होगी । यह अपने बजट में कोई नयी योजना रखें और उसे यह पूरा कर पायेंगे, हमें तो ऐसी आशा नहीं है । दूसरी बात मान्यवर, यह कि आयोजनेत्तर मदों के अन्तर्गत गत वर्ष 8.93 करोड़ रु० का प्राविधान किया गया था और इस चालू वित्तीय वर्ष में 9.28 करोड़ रु० । तो मान्यवर, इन बढ़ी हुयी कीमतों से लागत बढ़ जाने से यह बढ़ी धनराशि पहले से कम हो जायेगी । दूसरी बात मान्यवर, हमारे सीतापुर क्षेत्र में एक सरांय नदी है, जिस पर सेतु निगम पुल बना रहा है, लेकिन अभी तक वह कई वर्षों से बन ही रहा है, मान्यवर जिस समय पिछली बाढ़ आयी । उस पुल के पिलर्स पर लगभग ढाई फिट पानी था । इस सम्बन्ध में मैंने सदन में प्रश्न भी उठाया था कि इस पुल का निर्माण न होने के कारण ही वहां तमाम आदमियों की जानें गयीं, सरकार ने आश्वासन दे दिया कि शीघ्र ही बना दिया जायेगा । लेकिन कोई पुल नहीं बना अभी तक ।

उसी दरम्यान विधान सभा के चुनाव आ गये तो उस पुल का निर्माण बिल्कुल बन्द करा दिया गया यह कह कर कि कुछ राजनीतिक कारण हैं । सन् 61 में जो मान्यवर, बाढ़ आयी उसमें सढ़े चार फिट पानी ऊपर चल रहा था । मान्यवर, पुल आदि के निर्माण में नियम यह है कि पिछले सौ वर्षों का रिकार्ड

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाढ़ को देखा जाता है । उस जलस्तर के रिकार्ड देखकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाता है कि कितना ऊंचा या कितना नीचा रहना चाहिए । लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं किया गया । इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम द्वारा इस बात की मांग करूंगा कि उन सारे पिलर्स को ऊंचा कराइये और मामले को जांच कराइये । मान्यवर, एक बात और कह कर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में नगरपालिकाओं के अन्तर्गत जो पुल का निर्माण पी० डब्लू० डी० द्वारा हो रहा है डिपाजिट स्कीम द्वारा 3 लाख रुपये में, उसमें बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं, उस पुल को कम चौड़ा किया जा रहा है, नक्शा जो बना है, उसके अनुसार नहीं बनाया जा रहा है । इसके लिए जब हमने शासन को पत्र लिखे और सरकारी पक्ष के भी एक माननीय सदस्य हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया अन्दोलन में । लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुयी और पुल का निर्माण कार्य बन्द हो गया । तो इससे यह हुआ कि अबकी जो बाढ़ आयी, उससे काफी नुकसान हुआ । तीसरी बात सीतापुर जिले की नेशनल हाई वे की बात करता हूं, जिस पर वी० आई० पीज निकलते रहते हैं । उसकी हालत भी ठीक नहीं है, उस पर चलिए तो पता चलता है कि जैसे एक्सपन्ज पर चल रहा हूं मैंने खुद उस पर पैदल चल कर देखा है ।

दूसरी बात मान्यवर, सीतापुर से शाहजहांपुर जाने के लिए एक बाई-पास बनाना (इस समय 4 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) आज से 13 वर्ष पूर्व स्वीकार हुआ था । लेकिन वह भी अभी तक नहीं बन सका। अब मान्यवर, एक बात और कह कर अपनी बात को खत्म करता हूं वह है रामपुर जिले में एक नदी है बुल्ला, जिस पर पुल का बनाया जाना बहुत आवश्यक है । आज मान्यवर, विधायकों को कमरों के आवंटन पर बहुत चर्चा हो रही है । मान्यवर, आज भी तमाम विधायक ऐसे हैं, जिनको कमरा आवंटित नहीं हो सका है अभी तक । मैं अपनी बात क्या कहूं कि अभी तक मुझे भी कोई कमरा एलाट नहीं हुआ है । इसके लिए मैंने राज सम्पत्ति अधिकारी से कहा, उनके पास गया और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखकर दिया । लेकिन आज तक मुझे कमरा आवंटित नहीं हो सका । जिस कमरे में मैं रह रहा हूं मान्यवर, वह मिन्टीनेन्स का कमरा है, टूट-फूट का सामान उसमें रखा जाता है । हमारे साथी यहां बैठे हैं

माननीय सदस्य रामपुर श्री बलवीर सिंह बैठे हुये हैं उनको भी कोई कमरा नहीं आवंटित किया गया है । जाहिर है मुख्य मंत्री, राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारी चेहरे देखकर कमरे आवंटित कर रहे हैं । पार्क लेन पर जो कमरे बने हुये हैं, पता नहीं उनका आवंटन किस आधार पर किया जा रहा है, मान्यवर, पिस्तौल की नोक पर कमरों पर कब्जा किया गया है । मान्यवर, इस तरह से यह सरकार भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती है बल्कि नियमों के अनुसार कार्य करके इसको दूर कर सकती है । इन शब्दों के साथ जो माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, इस प्रदेश की विशाल जनसंख्या को देखते हुये पर्याप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मारकण्डेय चन्द्र—]

नहीं कहा जा सकता है । यह प्रशंसा की बात है कि माननीय मंत्री ने सड़कों को यातायात का महत्व को बड़ी ईमानदारी से महसूस किया है और यह माना है कि प्रदेश की 85 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है जो नदी नालों के कारण छिन्न-भिन्न अवस्था में है और सड़कें ही एक माध्यम हैं जो एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ती हैं लेकिन इतनी विशाल जनसंख्या के सामने यह धनराशि जो रखी गई है मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और यातायात के साधन को बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयास करना चाहती है लेकिन मान्यवर, सरकार वास्तव में प्रयास नहीं करती है । यूं आपके बजट में यह घोषणा की गई कि ठेकेदारी की प्रथा को हम समाप्त करेंगे ।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री से कि इस कोढ़ को आपने 7 वर्षों में समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है जहां तक उसको समाप्त करने की बात है इसको आप जितनी जल्दी समाप्त करें वह आपका यश होगा, इसके द्वारा विभाग का आधा पैसा उनकी जेब में चला जाता है और सड़कों की दुर्दशा आपके सामने है और हर वर्ष उनके मेन्टीनेन्स के लिये लम्बी धनराशि की व्यवस्था होती रहती है । अगर आप इस कार्य को अपने कार्यकाल में समाप्त कर सकें तो बड़ी कृपा होगी । माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि 15 सौ की आबादी के गांवों को हम मुख्य सड़क से जोड़ेंगे । यह काम कई योजनाओं में घोषित हुआ है लेकिन इतनी महत्वपूर्ण चीज को जो गति मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल रही है । अगर आप इस दिशा में ठोस कार्य करना चाहते है तो बजट में सिर्फ कह देना पर्याप्त नहीं होता है । इस दिशा में ठोस प्रयास करना चाहिये ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं यह जो योजना सड़कों की बनती है वह किस आधार पर बनती है, क्या उसकी महत्ता होती है या आपके प्रदेश के अधिकारी के सिफारिश से बनती है या जिलों के जिलाधिकारियों से परामर्श करके किया जाता है, इसका मापदण्ड क्या होता है ? मैं यह जानना चाहता हूं । हमारे गोरखपुर जनपद में जो सिंहावलोकन की पुस्तिका प्रस्तुत किया है उसमें नक्शा दिया है उस नक्शे में पूर्वी क्षेत्र के 15 जिले हैं अन्त में लिखा हुआ है उनमें 10वें नम्बर पर गोरखपुर का स्थान आता है । जो पूर्व की 980 सड़कों की लम्बाई 1585 किलोमीटर है । मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक सरकार के सामने यह बात रखना चाहता हूं और इसलिये रखना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री के साथ न्याय मंत्री भी हैं मैं मंत्री जी से न्याय चाहता हूं । आपके विभाग के अधिकारियों ने लिखा है धुरियापार विधान सभा क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़क है । 32 वर्षों की आजादी के बाद भी 10 मील पक्की सड़क बनाया गया है । तो इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ होगा । जिस ढंग से गांवों की तरफ ध्यान दिया है मुझे विश्वास है कि जहां अन्याय हुआ है वहां यह न्याय भी करेंगे । 80-82 गांवों का एक क्षेत्र है दुाबा । वहां एक इंच कंकड़ नहीं है । आप प्रगतिशील मंत्री हैं, प्रगतिशील दिशा में सोचते हैं, ऐसी दशा में न्याय मंत्री की हैसियत से निवेदन कर रहा हूं ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया ।

एक सदस्य—

बहुत से लोग बोलना चाहते हैं उनके सुझाव तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

में आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मुझको सहयोग करेंगे । समय की तरफ भी ध्यान दें ।

*श्री रामआसरे वर्मा—

मान्यवर, हमारे कटौती के प्रस्ताव पर इस सदन में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं चाहे वे पक्ष में हों या विपक्ष में । आभार व्यक्त करते हुए यह बात दोहराना चाहूंगा कि सदन के जो सदस्य हैं, माननीय मंत्री जी से यह कहिये कि शासन ने इस सदन के सदस्यों को क्या तोहफा दिया है उसकी तरफ संकेत करना चाहूंगा । मान्यवर, दारुलशफा की कहानी कह दी गई, आवंटन की बात उठा दी गई और उसके साथ-साथ दिल्ली में जो यू० पी० निवास हैं और जो विधायकों के लिए हैं वहां पहले यह था कि अगर किसी विधायक को 4-6 रोज रहना पड़ता था तो रुक सकता था और अब प्रबन्ध कर दिया गया है 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता । खुद शासक दल के सदस्यों ने पी० डब्ल्यू० डी० को जिन शब्दों में परिभाषित किया है वह भी देखें । मान्यवर, अगर इस तरह के विभाग को एक भले आदमी के हाथ में देंगे, विश्वास के साथ कह रहा हूं कि वह इसको सुधार नहीं पायेंगे ।

हर सदस्य ने चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसने भ्रष्टाचार की कहानी कही है, किसी ने भी सराहना नहीं की है और जो भी दूसरे क्रिया कलाप रहे ह, में 30 सालों और 3 सालों के फर्क में नहीं जाता, उसकी आलोचना की है । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनीं, सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र में बनीं थीं, चिन्तित हैं कि किसी तरह से जो मिट्टी डाली गयी थी कहीं पर बाढ़ में बह न जाये । एक बाढ़ में कुछ बह ही गयी अगर दूसरी आ जाये तो, मैं समझता हूं कि कागजों पर तो पूरी ही बह गयी होगी ।

शुरू में जब मैंने इनीशियेट किया था कटौती के प्रस्ताव को उस समय एक बात उठाया था कि एक तरह से पी० डब्ल्यू० डी० किसानों के बीच में बहुत बदनाम हो रहा है । जिनकी रोजी लेकर सड़कें बनायी जा रही हैं जिनके खेत ले लिये जाते हैं वे बेसहारा हो जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है । मेरे क्षेत्र में एक किसान है, दयाल दास, सारे खेत ले लिये गये । पैसा तक नहीं दिया गया । अदालत में जाता है, उसकी डिग्री होती है, 77-78 और 80 में । कुल मिलाकर 2 लाख के ऊपर हो जाता है । लेकिन कहा जाता है कि 20 प्रतिशत 30 प्रतिशत कमीशन दो तब तो पैसा दिया जायेगा वरना नहीं दिया जायेगा । विधायकों और मंत्रियों के आवास की साज-सज्जा के लिए जरूरत की चीजों के लिए जो सामान खरीदा जाता है उसमें बड़ा घोटाला हो रहा है ।

आज भी तमाम सामान सड़ रहा और जानकारी यह मिली है कि पी० डब्ल्यू० डी० के लोग 50 प्रतिशत कमीशन पर ही सामान खरीदते हैं । यह हम लोगों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामआसरे वर्मा—]

तोहफा है। एक माननीय सदस्य से बात हुई, गोरखपुर के एक अधीक्षण अभियन्ता हैं कोई मित्तल। बड़े गम्भीर आरोप हैं लेकिन उनके खिलाफ वहां के कर्मचारियों ने आन्दोलन, हड़ताल कर रहे हैं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो सदन में भावनायें व्यक्त की गयीं उनको हम नैतिकता की कसौटी पर कसना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी आलोचना की है और यहां तक की है कि जो भ्रष्टाचार के दोषी हैं उनको फांसी तक पर चढ़ा दिया जाये। नैतिकता की कसौटी है कि मेरा कटौती का प्रस्ताव नैतिकता का एक मिसाल बनेगा। उन्होंने जो आलोचनायें की हैं उससे मुझे विश्वास है कि मेरे कटौती के प्रस्ताव का साथ देंगे और इसका विरोध करने में समझूंगा कि कमायी में अपना इजाफा करने के लिए यह उन्होंने एक मुद्दा फेंका। इन शब्दों के साथ मैं एक अपने क्षेत्र की बात माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

बिलरायां–पनवारी मार्ग जो कानपुर से कन्नौज में मिलता है। बीच में मान्यवर, गंगा पड़ती है। सड़क बन गयी है लेकिन बीच में गंगा का पुल अवरोध बना हुआ है। अगर उसकी तरफ माननीय मंत्री जी ध्यान दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं सुझाव के तौर पर कह रहा हूं और पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि सत्ता पक्ष के जिन माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्रिया कलापों की आलोचना की है, अगर वह नैतिकता के आधार पर निश्चय करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अगर वे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हैं तो यह बात साफ है कि वह मुंह से कुछ और कहते हैं और मन से कुछ और। इन शब्दों के साथ म अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बड़े बहुमूल्य सुझाव दिये सड़कों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में और मकानों के आवंटन के बारे में। इस विभाग ने और भी जो कार्य किये हैं उनके बारे में काफी अच्छे–अच्छे सुझाव दिये हैं। समय अधिक न होने के कारण कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव बाकी रह गये। मैं चाहता था कि उनके द्वारा भी सुझाव मिलते जिससे में सुधार करने में सक्षम हो पाता। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने सुझाव किसी न किसी रूप में हम तक भेजें मैं पूर्ण रूप से उनको देखूंगा। वे इसमें हमको सहयोग दें। मैं जहां तक हो सकेगा अपनी क्षमता के मुताबिक इनको दूर करने का प्रयास करूंगा। आज जो विशेष चर्चा थी सड़कों के बारे में, आप जानते हैं दैवी आपदा के कारण जो इस वर्ष नुकसान हुआ है, भीषण वर्षा के कारण जो बाढ़ इस वर्ष नदियों में आई है, उससे कितनी चुनौतियां उत्पन्न हो गयी हैं। आप देखें कि वह सड़क जो जी० टी० रोड कही जाती है, और जो पुरानी सड़कें थीं जो लोहे की मानी जाती थीं, इस बरसात में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं।

मकानों के आवंटन की बात कही जाती है। इस प्रदेश में हमारे आपके मकानों की क्या दुर्दशा हुई है, वह सभी दयनीय दशा में पहुंच गये हैं। जो शिकायतें आई हैं उनमें बहुत सी बात सच भी हैं और विचारणीय भी। मैं आश्वासन देता हूं कि उनको मैं देखूंगा। उनकी जांच कराऊंगा। यदि कोई बात है तो अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी। हमारे साथी ने यह सुझाव दिया कि 302 में उनको फांसी दे दी जाये। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह माननीय

फखरे आलम साहब से राय ले लें कि क्या उसे फांसी दे सकते हैं । (श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर) बैठ जाइये । आपने कहा हो किसी ने कहा हो ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप ही के दल के सदस्य हैं । उनको समझा दीजिये ।

श्री जगदीश प्रसाद—

चाहे इधर के हों या उधर के हों । फखरे आलम साहब से मिल लें । वह समझा देंगे ।

माननीय सदस्य ने कहा यू० पी० निवास के बारे में । उसमें तीन दिन रुकने का प्राविधान ह । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह आदेश पहले ही रद्द कर दिया गया । अब 7 दिन तक विधायक रह सकता है । यह प्राविधान इसलिए किया गया था कि कभी हफ्तों राजेन्द्र गुप्ता जी पड़े रह जाते थे तो राम आसरे वर्मा जी को मौका नहीं मिल पाता था । कई शिकायतें आयी थीं और यह प्राविधान किया गया था । अब यह प्राविधान रद्द कर दिया गया है । 7 दिन तक रह सकते हैं । कुछ बातें खाद्यान्न योजना के बारे में कही गयीं, मजदूरों को वेतन न मिलने के बारे में, विलम्ब के बारे में । इस बारे में निवेदन करूंगा कि 3-4 माह से खाद्यान्न की कमी थी । इसी कमी के कारण मजदूरों को वेतन नहीं मिल पाया । मैं पूरे तरह से विश्वास दिलाना चाहूंगा कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था की जायेगी । श्रीमन्, कच्ची सड़कों पर सोलिंग के बारे में कहा गया । वह ईटों की उपलब्धता के बाद ही हो पायेगा । जैसे ही ईटें उपलब्ध हो जायेंगी कार्यवाही की जायेगी । माननीय राम सागर जी ने कुछ सड़कों के बारे में शिकायत किया है और भुगतान वाली बात कही है । मैं उन शिकायतों को भी देखलाऊंगा और शीघ्र ही उन शिकायतों को दूर कराने का प्रयास कराऊंगा ।

इसी तरह से, श्रीमन्, कुछ और भी छोटी-मोटी बातें हमारे सामने आयी हैं ? मैं उनको पूरी तरह से दिखलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उनको आपके सहयोग से दूर कर सकें और जो भ्रष्टाचार की बात आयी है, उनके बारे में भी गम्भीरता से जांच कराऊंगा और जो अधिकारी और कर्मचारी उसके अन्दर आयेंगे, उनको छोड़ा नहीं जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय रामआसरे वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें जिससे उनके यहां की और दूसरे सभी माननीय सदस्यों के यहां का काम पूरा हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राम आसरे वर्मा से) क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, ऐसी कौन सी बात हो गयी ? मान्यवर, हमने सत्ताधारी पक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं को व्यक्त किया है । उनकी भावनायें उनके क्षेत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा –]

की जनता की भावनाओं का द्योतक हैं । इसलिये उनका सम्मान करते हुये हमने इस कटौती के प्रस्ताव को रखा है । तो माननीय, मैंने पूरे प्रदेश की जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुये कटौती का प्रस्ताव रखा है । इसलिये उसको वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या––28 सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 53,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41––सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70––सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत होने

वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,44,37,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 37,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,46,35,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75-सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

[श्री उपाध्यक्ष---]

के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,51,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76---सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,48,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82---सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82---सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,55,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104---सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 104-सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,20,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 51 के अन्तर्गत आज कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना स्वीकृत की गयी है और वह नैनीताल जनपद की तराई में स्थित प्राग फार्म के मालिकों द्वारा 3 भूमिहीनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है स्वीकृत की गई । बाकी श्री सन्त बख्श रावत, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री फिरंगा प्रसाद विशारद और श्री किरन पाल सिंह की सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, हमारे यहां डकैती में पुलिस पकड़ी गयी है । लोग जब थाने में उनको लेकर गये हैं तो 3 बंदूकों को पुलिस वालों ने छिपा दिया और पूरी जनता पर उन्होंने एफ0 आई0 आर0 लिखवा दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मानीय विशारद जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं । आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं, इसलिये आप बैठें ।

महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज, सुलतानपुर में परीक्षा दे रहे दो विद्यार्थियों की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त)--

प्राप्त सूचना के अनुसार महात्मा गाँधी स्मारक इंटर कालेज, सुलतानपुर में दिनांक 11-9-80 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल की गणित की पूरक परीक्षा प्रातः 7.30 बजे से 10.30 बजे तक निश्चित थी । परीक्षा के अंदर शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक दिन की भांति नागरिक पुलिस के दो उप निरीक्षक एवं एक कान्स्टेबिल तथा पी0 ए0 सी0 का एक हेड कान्स्टेबिल एवं चार कान्स्टेबिल ड्यटी पर थे ।

2—परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्य महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज ने टेलीफोन द्वारा प्रातः 9 बजे थाना कोतवाली पर यह सूचना दी कि कतिपय बाहरी व्यक्ति केन्द्र पर परीक्षार्थियों को नकल कराने का प्रयास कर रहे थे । पुलिस पी0 ए0 सी0 की उपस्थिति से उत्पन्न व्यवधान के कारण उन्होंने उत्तेजित होकर पुलिस जनों को बुरा भला कहा । इस पर पुलिस, पी0 ए0 सी0 ने उन्हें

[श्री ब्रह्म दत्त--]

खदेड़ा जिस पर कुछ लड़के परीक्षा केन्द्र के पास स्थित नाले में डूब गये हैं। यह सूचना पाते ही थानाध्यक्ष कोतवाली तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। प्रश्नगत नाले से सर्वश्री दिग्विजय कुमार मिश्रा व दूध नाथ गुप्ता का शव बरामद हुआ।

3--घटना की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा उपस्थित जन समूह तथा विद्यार्थियों को शांत किया। मृतकों के शवोच्छेदन से उनकी मृत्यु का कारण डूबने के फलस्वरूप दम घुटना पाया गया।

4--उपर्युक्त घटना के संबंध में श्री राम अवध मिश्र ने थाना कोतवाली दि0 11-9-80 को समय 17-30 बजे तथा श्री हृदय राम ने 23-35 बजे लिखित रिपोर्ट पंजीकृत कराई। श्री राम अवध की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर अपराध सं0-749/80 अन्तर्गत धारा 147/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत किया गया तथा श्री हृदय राम की सूचना को उसी से सम्बद्ध कर अभियोग की विवेचना आरम्भ की गई। मामले की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है। प्राथमिक जांच के आधार पर परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त उपनिरीक्षकों में से श्री राम बिलास सिंह को निलम्बित कर दिया गया है।

5--घटना की मैजिस्टीरियल जांच की जा रही है व मृतकों के परिवार के सदस्यों को एक-एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मामले की जांच अपराध अनुसंधान शाखा से भी कराई जा रही है और उसी के साथ साथ मैजिस्ट्रेट से भी कराई जा रही है दोनों जांच साथ-साथ क्यों कराई जा रही है?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैजिस्ट्रीयल जांच सारी घटना की जांच कर रही है। अपराध अनुसंधान शाखा उसकी जांच कर रही है जो एफ0 आई0 आर0 में लिखाया गया।

श्री मुईद अहमद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कालेज, सुलतानपुर में हाई स्कूल की पूरक परीक्षा चल रही थी मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां पर इतनी बड़ी पी0 ए0 सी0 और पुलिस की ड्यूटी पर तैनात करने की क्या जरूरत थी जब कि यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर आप की पी0 ए0 सी0 निकम्मी और [× × ×] थी ..

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपने शब्दों को प्रकट करने में संयत हों। ये शब्द कार्य-वाही से निकाल दिये जायं।

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

महात्मा गांधी स्मारक इन्टर कालेज, सुल्तानपुर में परीक्षा दे रहे दो विद्यार्थियों 1003 की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री मुईद अहमद--

वहां पर पी० ए० सी० लगाने की क्या जरूरत पड़ गई थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, पी० ए० सी० के एक हेड कानस्टेबिल और 4 कान्सटेबिल केवल ड्यूटी पर थे और साधारण पुलिस के दो उप निरीक्षक और एक कांसटबुल ।

श्री मुईद अहमद--

स्कूल से ले कर के नाले तक की क्या दूरी थी ? जो लड़के दूर तक दौड़ाये वे कितनी दूर तक दौड़ाये गये थे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 350 गज और जो रिपोर्ट में दायर की गई है वह एक किलोमीटर ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कुछ बच्चे परीक्षार्थियों को नकल करा रहे थे और कुछ लड़कों ने उत्तेजित होकर पुलिस को बुरा भला कहा । जो बच्चे नकल करा रहे थे क्या पुलिस को किसी ने सूचना दी, आदेश दिया कि बच्चे नकल करा रहे हैं इनको खदेड़ा जाय । यहां से हटाया जाय या पुलिस ने स्वयं उन बच्चों को खदेड़ा ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, नकल कराने का प्रयास कर रहे थे, मैंने नकल करा रहे थे नहीं कहा ।

* श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, आप के माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तमाम रिपोर्ट के पढ़ने से लगता है कि जो बच्चे मारे गय हैं वे बेचारे निर्दोष थे और अपना रोल बिना अदा करे इस दुनिया से चले गये । आप देखें रिपोर्ट में, लिखा है सिर्फ नकल कराने का प्रयास कर रहे थे, प्रयास मात्र कर रहे थे और उसके बाद कुछ लड़कों ने पुलिस को बुरा भला कहा उस के बाद उन को इतना खदेड़ा कि दो बच्चे नाले में गिर गये । आप पढ़ें । थोड़ी देर बाद पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आये और उन के सिर्फ समझाने मात्र से तमाम भीड़ शांत हो गई और सब अपने घरों को चले गये । दो नौजवानों की नाले में डूबने से मृत्यु हो गई । उसके बाद भी इतने अनुशासित लोग वहां के थे कि सिर्फ जिलाधिकारी और अधीक्षक के समझाने से शान्त हो गये. .।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न पूछिये ...।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री किरन पाल सिंह--

मेरा निवेदन यह है कि बच्चे निर्दोष मारे गये हैं। कोई कसूर उनका नहीं था। नौजवान थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि उन के परिवार को जो एक हजार रुपये की सहायता दी गई है उसे कम से कम दस हजार रुपये की जाय।

श्री ब्रह्म दत्त--

यह बड़ी दुःखद घटना है और इसमें जितनी भी सहायता दे सकेंगे, वह करेंगे ...।

श्री ऊदल--

नकल कराने के प्रयास में जिन इंस्पेक्टर्स ने बच्चों को खदेड़ा जिसमें दो बच्चे जान से मारे गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई--कोई मुकदमा दर्ज किया गया, उनको लाइन हाजिर किया गया ? अगर कुछ नहीं किया गया तो क्या सरकार का कुछ करने का इरादा अब है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं बतला चुका हूं कि प्रारम्भिक जांच के आधार पर परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त राम विलास सिंह को निलम्बित किया गया और दूसरे आदमी को वहां से भेज दिया गया।

श्री मुईद अहमद--

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो मंत्री जी के पास है उसमें उन बच्चों पर चोटों का भी क्या जिक्र है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मेरे पास पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है। उसमें बच्चों के शरीर पर मामूली चोटें हैं जिनसे डेथ का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री जैराज गौतम--

मेरे जिले की यह घटना है। एक दिन कमला इंस्टीट्यूट आफ साइन्स एंड टेक्नोलाजी के छात्रों पर स्थानीय पुलिस द्वारा जब वह इम्तिहान देने जा रहे थे तो हल्का लाठी चार्ज किया गया था, दूसरे दिन की यह घटना है जब पुलिस वालों ने छात्रों को खदेड़ा था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच चल रही है और जांच सिद्ध होने पर माननीय मंत्री जी क्या कोई सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जांच के जो परिणाम होंगे उनको निश्चित रूप से स्वीकार किया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट जो चोट से सम्बन्धित है उसे क्या माननीय मंत्री जी पढ़ कर सुनायेंगे ? दूसरे नाले की क्या गहराई थी, पानी का बहाव क्या था, उसकी गति क्या थी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

नाले की गहराई क्या थी उसकी जानकारी नहीं है लेकिन जहां तक पानी का सम्बन्ध है आम तौर से नाले में पानी नहीं रहता है लेकिन उस दिन 8 फुट तक पानी बह रहा था। जहां तक चोटों का सवाल है उस सम्बन्ध में पोस्ट मार्टम रिपोर्ट निम्न प्रकार है :--

1. Contrusion 5 em. 2.5 em on both upper and lower lids on right eye.

2. Contrusion 10 em. x 2.5 em. x oblique on Front of Rt. side abdomin. 6 cm, away from ambiliee.

3. Abraison 1 cm, x 0.5 cm. x Oblique on front and lower part of left shoulder.

4. Abraison 1 cm. x 1 cm. left side back lower part 6 cm. away from mid line.

5. Contrusion 6 cm. x 2 cm. x oblique on left temperl region,

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

उत्तर से साफ है कि लड़कों को मारा गया, एक दर्जन के लगभग उनके चोटें आई। यह खदेड़ने से नहीं आ सकती, डूबने से भी नहीं आ सकती। लड़कों को मारा गया और मार कर नाले में फेंक दिया गया तो क्या माननीय मंत्री जी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के तहत 302 का मुकदमा पुलिस कर्मचारियों पर चलाने के आदेश देंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वक्तव्य में मैं कह चुका हूं कि 302 का मुकदमा दायर किया गया है।

श्री हुक्म सिंह--

पोस्ट मार्टम में दी गयी चोटों से साफ जाहिर होता है कि निरीह बच्चों को पुलिस द्वारा पीटा गया है। जो एफ० आई० आर० थाने में दर्ज की गयी है वह नामजद है और वह क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त--

एफ० आई० आर० भी पढ़ देता हूं। सेवा में श्रीमान् थानाध्यक्ष महोदय कोतवाली, सुलतानपुर, महोदय निवेदन है कि मेरा लड़का दिग्विजय कुमार मिश्र जो कि के० एन० आई० से सुलतानपुर में बी० एस० सी० पार्ट एक में पढ़ता था आज दिनांक 11-9-80 को मेरे दूसरे लड़के आशुतोष कुमार मिश्र को पहुंचाने महात्मा गांधी स्मारक इन्टर कालेज, सुलतानपुर पहुंचाने जहां कि कक्षा 10 की पूरक परीक्षा मे सम्मिलित होने जा रहा था, को पहुंचाने गया। इस वक्त सुबह के लगभग 6 बजे थे। पी० ए० सी० के जवान वहां पहले ही से मौजूद थे।

[श्री ब्रह्म दत्त--]

अन्य लड़कों को भी पहुंचाने उनके परिवार वाले व सम्बन्धीगण गये थे । ये सभी लोग थोड़ी देर वहां रुक गये जिनकी संख्या 14/15 थी । पी० ए० सी० के जवान वहां इन्हें देखते ही जो हाथ में लाठी डन्डा आदि लिए थे खदेड़ना और मारना शुरू कर दिए तो ये सभी लोग विद्यालय की पूर्वी दिशा की ओर भागे। पी० ए० सी० के जवान लगभग 1 किलोमीटर तक इन्हें मारते खदेड़ते ले गये और नाले के पड़ जाने के कारण वे नहीं भाग सके . . (व्यवधान) । कई बच्चों को मारकर नाले में फेक दिया । . . (व्यवधान) कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे और शेम-शेम की आवाजें हुई) ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप पढ़िये ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मैं पढ़ रहा हूं । कोई बात छिपाई नहीं जा रही है । मुझे इस घटना का ज्ञान लगभग 11 बजे हुआ तो मैं घर से सुल्तानपुर आकर पता लगाया तो मेरे लड़के दिग्विजय कुमार मिश्र एवं दूधनाथ की लाश जो इस घटना का शिकार हुआ था मुर्दाघर के कमरे में मिली .. (व्यवधान) । मान्यवर आगे लिखा है मेरे लड़के की लाश का पोस्ट मार्टम इस जिले में न करवाकर किसी मेडिकल कालेज में कराया जाय क्योंकि यहां दबाव पड़ सकता है जिस देश के रक्षक इस प्रकार काम करेंगे वहां क्या होगा . . .। प्रार्थी हस्ताक्षर राम अवध मिश्र ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, अब मामला बहुत स्पष्ट हो गया है । जो एफ० आई० आर० हुई है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं आगे का कार्यक्रम लेता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कई बार मैं खड़ा हुआ आप मुझें एक प्रश्न करने की अनुमति दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष -

अब समय नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 का अननुमोदन करता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 के 1007 अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारि। हुआ, पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप काफी संक्षेप में बोलेंगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमन्, मैं बिल्कुल संक्षेप से संक्षेप में बोलूंगी । क्योंकि यह एक साफ चीज है । छात्रों और अध्यापकों के हित में है और विश्वविद्यालय की प्रगति को ध्यान में रख कर यह विधेयक लाया गया है। इसमें कोई कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, सच्चाई छिप नहीं सकती है । मैं बता दूं कि जो हमारा 1973 का ऐक्ट विश्वविद्यालय का है उसके द्वारा जो कार्य प्रणाली है उसमें कुछ संशोधन हुए हैं जिसकी वजह से यह जरूरी समझा गया है । एक तो अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (5) में यह संशोधन किया गया है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और बी० एड० में जो प्रवेश होते हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है । इन संस्थाओं में प्रवेश होता है वह मेरिट के आधार पर होता है और उनको ही लिया जाता है । लेकिन आयुर्वेदिक और यूनानी में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था और उनमें कुछ गलत तरीके से एडमीशन हुये तो यूनानी और आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली को एफीसियेंट बनाने के लिए यह संशोधन किया गया है ताकि उसमें भी नियम प्रवेश के लिए सरकार बना सके ।

फिर अधिनियम की धारा 7 और 7 (क) में ऐसा है जिसमें विश्वविद्यालयों को इन्टरिम एक्जीक्यूटिव काउन्सिल बनानी थी । उनको 31 दिसम्बर, 1981 तक का समय दिया जा रहा है तब तक वह ऐक्ट के अनुसार अपनी-अपनी एक्जीक्यूटिव काउन्सिल गठित कर लेंगे । जितने भी विश्वविद्यालय हैं दो-तीन को छोड़ कर सबने इस काउन्सिल को ऐक्ट के अनुसार बना लिए हैं लेकिन काशी विश्वविद्यालय, रुहेलखंड, विश्वविद्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में जो हैं उनके लिए इसमें समय मांगा जा रहा है । दिसम्बर, 1981 तक अवश्य एक्जीक्यूटिव काउन्सिल गठित हो जायेंगी और आगे समय बढ़ाने के लिए मैं फिर अनुरोध नहीं करूंगी ।

फिर स्टेट्यूट्स परिनियम बनाने के लिए भी 31 दिसम्बर, 1978 का समय रखा गया था लेकिन अभी भी परिनियम बनते जा रहे हैं क्योंकि यू० जी० सी० से टीचर्स की अर्हता के बारे में निर्देश आ रहे हैं जिसके लिए परिनियम में संशोधन करना पड़ता है । मैं समझती हूं कि 31 दिसम्बर, 1981 तक सारे परिनियम बन जायेंगे और उससे आगे समय हम नहीं मांगेंगे ।

मान्यवर, वेतन के बारे में भी हमें कुछ परेशानियां हुई, कुछ अध्यापकों को वेतन प्रणाली में पैसा देने का प्रावधान हमारे ऐक्ट में नहीं था क्योंकि लोकल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

बाडीज में यह प्रावधान नहीं था उसके लिए भी अधिनियम की धारा 7 (क) में हम संशोधन कर रहे हैं। नगर पालिकाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो डिग्री कालेज हैं उनमें भी वेतन प्रणाली लागू कर सकेंगे जिससे टीचर्स को पे लेने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी।

एक और संशोधन इसके अन्दर करने जा रहे हैं 1920 के ऐक्ट के स्टेट्यूट में यह प्रोवीजन था कि यूनिवर्सिटीज में पर्सनल प्रमोशन हो सकते हैं जैसे कोई रीडर की जगह खाली है तो उसमें सीनियर मोस्ट लेक्चरर जो है उसको चयन द्वारा चयन होने पर प्रमोशन मिल सकता है। शायद 1973 में यूनिवर्सिटी अधिनियम पास हुआ उसकी धारा 31 (10) में प्राविधान है कि सारी भर्ती विज्ञापन के आधार पर ओपन कंपीटीशन से होंगी। लेकिन ट्रांजिटरी पीरियड में कुछ असुविधा अवश्य होती है उस समय कुछ प्रमोशन किये गये थे। लेकिन जब कुछ लोगों को प्रमोशन नही मिला तो मुझे अच्छी तरह ज्ञान है लखनऊ विश्वविद्यालय से कुछ लोग परसनल प्रमोशन न मिलने की वजह से चले गये उर्दू डिपार्टमेंट में, बहुत पुरानी बात है, यहां से टापमोस्ट टीचर्स जैसे श्याम स्वरूप जी, आलम साहब आदि चले गये। जिसकी बजह से हमारा उर्दू डिपार्टमेंट आज तक सूना है। वैसे मैं परसनल प्रमोशन पसन्द नहीं करती हूं मैं समझती हूं कि ओपन भर्ती से होना चाहिए। लेकिन कुछ टीचर्स प्रमोट किए गए उनको एक्जीक्यूटिव काउन्सिल ने भी कनफर्म किया, चांसलर के पास भी केस गया उन्होंने भी पक्ष में निर्णय लिया। तो मान्यवर, उन्हीं को नियमित करने की इसमें बात है। जो तमाम सीनियर टीचर्स पर्सनल प्रमोशन के अन्तर्गत प्रमोट हुए थे, इसे यूनिवर्सिटी ने किया यह उनकी अपनी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब यह पर्सनल प्रमोशन की प्रथा बिल्कुल बन्द हो गई है। मैं अब आपसे निवेदन करूंगी कि जो हम विधेयक ला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के अध्यापकों, छात्रों और यूनिवर्सिटी की असुविधा को देखकर लाया गया है और जो विधान परिषद् से बहुत अच्छी तरह पास हुआ है सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, सर्वसम्मति से पास हुआ, आज भी मुझे उम्मीद है आप यहां भी इसे सर्वसम्मति से पास करेंगे और जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके बारे में निवेदन कर देना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अभी आयेगा, तब कहियेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अच्छा, तो इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करती हूं कि आप इसको वापस लीजिए और खुले दिल से इसका समर्थन कीजिए।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक और अध्यादेश इस बारे में अभी निर्गत किये गये हैं और दोनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को एक में मिलाकर प्रख्यापित कर दिया गया है । मैं यहां अपना भाषण दो हिस्सों में रखूंगा । मेरी एक आपत्ति थी, जिस पर कहा कि पहले अध्यादेश का अननुमोदन कर दिया जाय । इसके पीछे बात यह है कि संसदीय प्रजातन्त्र तभी सफल हो सकता है, जबकि सत्तारूढ़ दल उसके पीछे नमन हो । यदि सत्तारूढ़ दल का उसमें विश्वास नहीं है, तो यह पद्धति कभी सफल नहीं हो सकती है । क्योंकि संख्या बल पर उनकी हर बात—सही या गलत, यहां स्वीकार हो जाएगी और विरोध पक्ष की हर बात अस्वीकृत हो जाएगी । अतः अपने देश में तब तक संसदीय प्रजातन्त्र चलाना सम्भव नहीं होगा, जब तक सत्तारूढ़ दल उसके प्रति नमन नहीं होगा ।

पहला अध्यादेश जो जारी किया गया है, इसकी क्या जरूरत पड़ गयी है ? हमारा संविधान कहता है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश की घोषणा केवल बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों अर्थात् अनएवाएडेबेल सरकमस्टासेज में होनी चाहिए । अब इसको देखिए जो परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, उसमें मंत्री जी ने स्वयं यह बात कही है "ऐसा अन्तिम अध्यादेश दिनांक 22 अप्रैल, 1980 को प्रख्यापित किया गया था और उसके द्वारा उपर्युक्त अवधियों को 31 दिसम्बर, 1981 तक बढ़ा दिया गया । उक्त अध्यादेश दिनांक 21 जुलाई, 1980 को व्यपगत हो गया किन्तु इसके पूर्व उसके प्रतिस्थानी विधेयक को अधिनियमित नहीं किया जा सका ।" अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी किसकी है उसको विधेयक के रूप में लाकर पास कराने की ? यह जिम्मेदारी या सरकार की है या सरकार को सलाह देने वाले सचिवों की है । लेकिन इस विधान मंडल की कोई गल्ती नहीं है ।

किन्तु गल्ती सरकार और उनके सलाहकार करेंगे, पर जो हमारी संसदीय परम्पराओं की मान्यता है, उसका उल्लंघन किया जाएगा । इसलिए इस अध्यादेश का तत्काल अननुमोदन कर देना चाहिए । समय रहते इस विधान मंडल को विश्वास में लेने की जरूरत थी । यह ऐसा महत्वपूर्ण है, लेकिन विधान मंडल को कांडफिडेंस मे नहीं लिया गया । आवश्यकता इस बात की थी कि समय से पहले विधान मंडल में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी, संख्या बल के आधार पर यह पास तो हो ही जाता लेकिन जो हमारी संसदीय प्रणाली है, उसकी खुले रूप में अवहेलना हुयी है, और उसके साथ कुठाराघात हुआ है । इस अध्यादेश के लाने या इसे विधेयक के रूप में लाने की भी क्या आवश्यकता थी । विश्वविद्यालय स्टेट्यूटस में वर्ष 1978 में ही संशोधन हो जाने चाहिए थे लेकिन उनको अंतिम रूप नहीं दिया गया है । परिणाम यह है कि आज तक भी हमारे यहां पर विश्वविद्यालय के स्टेट्यूटस नहीं बन सके हैं ।

सरकार का इरादा यह रहता है कि विश्वविद्यालय में जो एडहाक एप्वाइन्टमेंट होते हैं उनमें जब तक परिनियम नहीं बन जाते हैं, विधिवत गठन नहीं हो जाता है तब तक राज्य सरकार को नामिनेट करने का अधिकार रहेगा । इस नामांकन के अधिकार को अपने हाथ में रखने के कारण वहां के स्टेट्यूटस में संशोधन नहीं किया जाता है । मंत्री जी द्वारा सफाई यह दी जाती है कि युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से कुछ नियम और सुझाव आ जाते हैं । जब दुनिया मे नयी-नयी चीजें और इसको वे नहीं करेंगे तो हर जगह नयी बातें सामने आ जायेंगी । इन बातों से विश्वविद्यालयों की कार्य कुशलता प्रभावित होती रहेगी । अध्यापकों की नियुक्ति और प्रोमोशन ऐसे ही पड़े हुए हैं ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

दूसरा तर्क धारा 3 के बारे में यह देना चाहता हूं कि शासन यह चाहता है कि मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों और शिक्षा तथा आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा के डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित करने के प्रावधान भी सम्मिलित हों । यह बात भी स्पष्ट की है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि शासन द्वारा जो प्रवेश कराने के नियम हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में, उनसे स्टेट्यूट की अवहेलना हो रही है ? मान्यवर, संविधान में जिनको अधिकार मिले हुए हैं, विशेष रूप से अनुच्छेद 29 में कि एडमिशन्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जायगा, उसकी अवहेलना हो रही है । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर इन्सटीट्यूट, नैनी के बारे में मामला हाई कोर्ट में गया, उनका निर्देश भी हुआ, कोर्ट का कन्टैम्ट भी हुआ लेकिन वे नियमों को नहीं मानते हैं । तो आपने नियमों में कोई व्यवस्था की है कि अगर कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय आपके आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जायेगी । परसों मैंने एक अनुपूरक प्रश्न में बताया था कि आपके निर्देशों की बराबर अवहेलना हो रही है तो उत्तर में बताया गया था कि हम तो निर्देश पर निर्देश दिए चले जा रहे हैं । इसलिए मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि विस्तृत रूप से विचार हो सके कि इसको प्रभावी बनाने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाय जिससे सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था चल सके ।

पहले भी एक दिन इस विधेयक पर चर्चा हो चुकी है । उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हम समय बढ़ाने के लिए आगे कभी प्रस्ताव नहीं करेंगे और आज फिर वही आश्वासन दिया जा रहा है । ऐसे आश्वासन कितनी बार होंगे तिथियों को बढ़ाने के लिए । मैं चाहूंगा कि आज अन्तिम बार आश्वासन दें कि अब और संशोधन नहीं आयेगा कि उनको तिथियां बढ़ाने का मौका हो ।

एक और अध्यादेश है और उस पर आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

[5 बजकर 40 मिनट]

जहां तक व्यक्तिगत प्रोमोशन का तल्लुक है, यह काम सरकार ने अच्छा काम किया है क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, बी० एच० यू० में इस तरह की व्यवस्था थी । व्यक्तिगत प्रोमोशन होने चाहिये । लेकिन इसके साथ कुछ समस्यायें भी जुड़ी हैं जिन पर विचार करने के लिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये ताकि वहां पर विचार होकर एक अच्छा रूप देकर यह विधेयक आ सके ।

तदर्थ नियुक्तियों के बारे में मान्यवर, कुलपति को अधिकार है कि अब अपरिहार्य परस्थितियों में इनकी तदर्थ नियुक्तियां कर सकता है पर अगर कोई 5-5, 8-8 साल काम करने के बाद निकाला जाता है तो उसके साथ बड़ा ही अन्याय होता है । 1973 के अधिनियम में ऐसी व्यवस्था होना चाहिये कि धारा 31 में, कि जब तक किस पद पर बाकायदा नियुक्ति नहीं होती, तदर्थ नियुक्ति वाला व्यक्ति हटाया नहीं जायेगा । एक मामला अभी हाई कोर्ट में गया था इसी

तरह का । डा0 सियाराम जायसवाल हाई कोर्ट में गये थे, 5 सितम्बर, 1980 को हाई कोर्ट का फैसला हुआ है और उसने यह फैसला दिया कि इनको अपनी सेवा में 24 नवम्बर से ही वापस समझा जाये जैसे कि यह नौकरी से निकाले ही न गये हों । उच्च न्यायालय ने रीट्रास्पेक्टिव इफैक्ट देकर उनके पक्ष में फैसला दिया ।

अब विश्वविद्यालय का कितना पैसा उनको देना पड़ेगा । इसके लिये लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य कारिणी ने भी अपने प्रस्ताव 4-12-79 और 31-12-79 को सर्व सम्मति से पास किये थे । मेरी बात को यह समझ कर ही न टाला जाये कि एक प्रतिपक्ष का व्यक्ति बोल रहा है, सत्तारूढ़ दल के 80 विधायकों ने हस्ताक्षर करके माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है जिसमें मांग की है कि इन तदर्थ नियुक्तियों वाले अध्यापकों को सेवा म लिया जाना चाहिये । अगर उनको नहीं लिया जाता है तो वे फिर उच्च न्यायालय में जायेंगे और वहां वे जीत कर आयेंगे और तब आपको सारा पैसा उनको देना होगा । फिर सोचने की बात यह है कि 7-8 साल तक नौकरी करने के बाद अगर इनको निकाला जाता है तो दूसरी जगह फिर इनको कम्पटीशन में जाना होगा जो ठीक नहीं होगा इसलिये सारी तदर्थ नियुक्तियों को रेगुलाराइज किया जाना चाहिये । यह सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाये जहां सारे पहलुओं पर विचार हो सके और एक अच्छा विधेयक बन कर सामने आ सके ।

*श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सारी बात श्रीमन् सही मान ली जाती यदि ये 1978-79 में इनका शासन यहां नहीं रहता । श्रीमन्, इसके उद्देश्य और कारण को आप पढ़ें । अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन न करे श्रीमन् ये सारी बात आज हमारे ऊपर डालेंगे । जो अव्यवस्था फैली हुई थी 3 सालों में, जो कार्य 1978-79 में हो जाना चाहिए था, श्रीमन् राजेन्द्र कुमार गुप्त की भावनाओं से मैं सहमत हूं । मैं भी चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी को फुल फ्रीडम दी जाय । लेकिन कब और क्या करना चाहिये । शासन की कुर्सी पर जो भी बैठता है, उसको मंशा, वाचा यह स्वतः आने लगती है कि जितनी भी संस्थायें हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उन पर हमारा अस्तित्व रहे । अगर इस मनोवृत्ति को दूर करना चाहते थे, तो 1978-79 में जो सुधार होना चाहिये था, उसको आपने नहीं किया ।

जब मेरे शासन ने समझा कि क्या-क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो अध्यादेश लाया गया और आज आप देखें कि जो एप्वाइंटिंग एथारिटी है, चांस्लर को नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसी नियुक्तियां होती गयीं, जो उनके नियम में नहीं है, उनके अधिकार में नहीं है । लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ऐक्ट है, और उसके बाद जो अध्यादेश जारी हुए कि इक्जीक्युटिव कौन्सिल को नई नियुक्ति करने का, एडहाक नियुक्ति करने का कोई अख्तियार नहीं था । कोई इसके लिए नियम भी होंगे । तो इन तमाम गड़बड़ियों को दूर करने के लिए आज जरूरी समझा गया कि यह अध्यादेश लाया जाय । मैं चाहूंगा, अगर राजेन्द्र कुमार गुप्त और सारे लोग चाहें, तो अटानामी के पक्ष में यूनिवर्सिटी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री काशी नाथ मिश्र—]

सम्बन्ध में व्यापक विधेयक फिर से लाया जा सकता है । लेकिन अन्तरिम इन्तजाम करने के लिए कि काम चलता रहे इसको पास करना बहुत ही जनहित में जरूरी है ।

इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना प्रस्ताव जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है, वह उसको वापस ले लें, जिससे कि अन्तरिम काल में विश्वविद्यालय की व्यवस्था करती रहे और जो भी इन्तजाम करना चाहिये था, उसको आपने अपने राज्य म नहीं किया, जो कि आप कर सकते थे । लेकिन आपने नहीं किया । आज आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसकी चुनौती देने का ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक जो आया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो रखा, यह मान्यवर देखने में तो बड़ा सीधा है, बड़ा साफ है और विवाद की गुन्जाइश नहीं है । यहां तक कि पंडित काशी नाथ मिश्र जी भाषण देते रहें । लेकिन मान्यवर, इसका विचार उदार नहीं है । न जाने यह सरकार अध्यादेश पर क्यों विश्वास रखती है कि यहां पर हर सारे लोग अध्यादेश पर मोहर लगाने के लिए तैयार हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, अगर 15 दिन के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, तो कौन सा आसमान टूटा जा रहा है ? मान्यवर, माननीय काशी नाथ जी की बात सही है कि शासन में आने से लोग भ्रमित हो जाते हैं । हम भी तो भ्रमित हो गये थे । हम तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं । लेकिन आप उस गलती को क्यों करने जा रहे हैं । 1978 में यह विधेयक पारित हो जाना चाहिये था, लेकिन हम भ्रमित थे, शासन की सता में भ्रमित थे, तो आप क्यों शासन की सत्ता में भ्रमित हो रहे हैं ? बी० एड०, एम० एड० का सेलेक्शन होता है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं उनके ज्ञान में, संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां एक डिग्री कालेज है, जिसको प्रोफेसर शिवधन लाल सक्सेना चलाते हैं । उन्होंने बी० एड० का क्लास शुरू कर दिया ।

जनता पार्टी के शासन काल में, जब वह जनता पार्टी के संसद थे, उसको मान्यता नहीं मिली । तीन साल के बाद उसको मान्यता दे दी गयी, जिसमें 60 लड़के हैं और थर्ड क्लास हैं । पता नहीं कौन से कारण आ गये, सारे नियमों को तोड़ कर, जिसमें केवल 60 लड़के हैं जो थर्ड क्लास पास हैं, दो हजार रुपया दे कर ऐडमीशन करने की अनुमति, जो ऐडमिशन तीन साल पहले नहीं हो सके, उनको माननीय मंत्री ने अनुमति दे दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में बोल रहे हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

प्रवर समिति में भेजने का मैं समर्थन कर रहा हूं । सत्य-सत्य ही हुआ करता है । अगर माननीय सत्य बोलें तो ऐतराज नहीं है । मुझे मंत्री जी की नीयत पर शुबहा नहीं है । प्रवर समिति में भेजने की जो बात कही गयी है वह इसलिए कि बहुत से समस्यायें कबर नहीं हो रही हैं । थोड़ा और मनन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कीजिये । हो सकता है कि कुछ गलतियां हमने और की हों उन गलतियों को भी आप देखेंगे तमाम समस्यायें विद्यालयों से सम्बन्धित हैं । गोरखपुर में एक आई० ए० एस० अफसर बैठे हैं । वह तीस दिन में 28 दिन बाहर रहते हैं । इस साल से पढ़ाने वाले लेक्चरर्स को निकाला जा रहा है । तमाम समस्याओं को लेकर, सम्पर्क रूप से बठ कर इधर के और उधर के लोग विचार करें और एक कांप्रीहेंसिव विधेयक आप ले आयें जिस पर किसी को ऐतराज न हो जिससे शिक्षा जगत में अनियमिततायें और विसंगतियां दूर हो सकें । इसलिए प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह विसंगतियां पेबन्द लगाने से दूर नहीं होंगी । अगर वास्तव में कोई विधेयक में विसंगतियां हैं तो उनको दूर करने के बाद ही शिक्षा जगत में सुधार हो सकता है । आपने सुना होगा कि तदर्थ रूप से बहुत सी नियुक्तियां पहाड़ों और दूसरी जगहों पर कर दी गयी थीं और शासन को मजबूर होकर उनको रेगुलराइज करना पड़ा है । अगर माननीय हाई कोर्ट का फैसला हो, कोई दस वर्ष तक काम करता रहा, सर्विस के लिए उसकी उम्र भी खत्म हो जाय और उसको निकाल कर बाहर कर दे, यह विसंगति दूर कर रहे हैं । इससे यह विसंगतियां दूर नहीं हो सकती । बहुत छोटा सा संशोधन है प्रवर समिति में भेजने का उस पर विचार हो सकता है । मंत्री जी आश्वासन दें कि आप व्यापक विधेयक शिक्षा जगत में जितनी विसंगतियां हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज के बारे में हों, या डिग्री कालेज के बारे में हों या मेडिकल कालेज के बारे में, उन सब को दूर करने के लिए अगर सरकार इरादा रखता हो तो एक व्यापक विधेयक ले आयें जो शिक्षा जगत में सुधार कर सके तो इसको प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है । मंत्री जी से चाहता हूं वह आश्वासन दें ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने वरिष्ठ सदस्यों की भाषा और उनके मन की बात दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा था । माननीय ओझा जी ने इतनी बड़ी गलती बतायी, जब चीज 1978 में हो जाना चाहिए उन लोगों ने गलती कर दी तो यह गलती यह सुधारें । मैं उनके भाव के अनुसार कहना चाहता हूं कि जब जिस चीज में देर हो ही गयी है । जो सन् 1976 में होना चाहिए था और नहीं हो पाया तो उसे 15 दिन तक अब वेट करने की आवश्यकता नहीं है । इसको तत्काल ही ले आयें तो ज्यादा अच्छा होगा । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो हमारे माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने बात उठायी । उन्होंने एक तरफ तो कहा कि विश्वविद्यालय में जो विसंगतियां हैं उन्हें समाप्त किये जाने की हामी भरी है और उसका समर्थन किया है और दूसरी तरफ शंका भी प्रकट की है और लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में तो एक तरफ यह कहा गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर कहीं पर कोई गलती रह गयी है, तो उसे नियमों के अनुसार संशोधित कर दिये जायं । वहीं दूसरी ओर 6-6 महीने की टीचर्स की नियुक्ति कुलपति के आदेशों के जरिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--]

होती है और उनको दुबारा पास होने के लिए समय दिया जाता है। पहले सन् 1978 में और फिर 31 दिसम्बर, 1979 तक। जब उसमें भी क्वालीफाई नहीं कर पाये तो सिफारिशें लगवानी शुरू कर दी और कुलपति को किसी प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिशें होने लगी, उसमें जब सफल नहीं हुए तो किसी विधायक से शिकायत कर दी कि साहब यह चयन समिति ठीक नहीं है, इसको समाप्त किया जाये और इसको माननीय गुप्त जी ने उठा दिया कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इसमें उन अधिकारियों की गलती है। चयन समिति के कार्य में कोई गलती नहीं है। आपको चाहिए था कि इसका सकारात्मक उत्तर देकर स्वीकार कर लेना चाहिए था। इसलिए मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने द्वारा उठाये गये संकल्प को वापस ले लें। इस निवेदन के साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में अभी-अभी एक प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित था। लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा कर्म क्षेत्र रहा है। उसमें रहकर हमने 14 वर्ष बितायें हैं। उसके सम्बन्ध में प्रस्ताव आया इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मान्यवर, इस पर जो सदन में चर्चा हुई। हमारे पक्ष के साथियों ने कहा, मंत्री जी, ओझा जी और श्री ऊदल जी ने भी कहा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य 14 वर्ष तक आप विश्वविद्यालय में क्या करते रहे?

(हंसी)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, वहां पर जितनी भी डिग्रियां हैं, उन सबको लेता रहा। सन् 1958 से 75 तक। लेकिन मान्यवर, आज जो सवाल उठा वह बहुत ही गम्भीर है। इस सम्बन्ध में मेरा भी बड़ा सख्त तजुर्बा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी इन यूनिवर्सिटीज में विसंगतियां हैं और अब भी हो रही हैं। जैसा कि हमारे माननीय काशी नाथ मिश्र और श्री ऊदल जी ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में और सम्पूर्ण शिक्षा जगत के लिए कोई व्यापक विधेयक सदन में लाया जाना चाहिए तो मान्यवर, इस विचार का हृदय से सदन में स्वागत किया जाना चाहिए था, इसकी पूरी आज आवश्यकता है।

इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस शिक्षा जगत के लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाय। लेकिन राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो आपने शिक्षा जगत को सुधार हेतु जो प्रस्ताव रखा है प्रवर समिति में ले जाने का, इससे भी कोई हल नहीं निकलने वाला है। इस सम्बन्ध में मैंने 10 वर्ष पूर्व के अध्यादेश देखे हैं और कई व्यक्तियों को सेवा से निकलते देखा है, पर उससे कोई हल नहीं निकला है। इसलिए श्री गुप्त जी से इस सिलसिले में मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। क्योंकि इससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षा जगत में व्यापक सुधार की आवश्यकता है । शिक्षा में व्यापक सुधार लाने के लिए मान्यवर, सम्भवतः वह विधेयक लाया जायेगा । प्रवर समिति को इसको देने से इसका हल नहीं निकलेगा । यही शब्द हमको इस सम्बन्ध में कहने थे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बड़ा आभारी हूं उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किए। मुझे बड़ी हंसी और आश्चर्य हुआ माननीय सदस्य इलाहाबाद के बारे में । शायद उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं होता है । शायद उनको यह नहीं मालूम है कि तदर्थ नियुक्ति 6-6 महीने पर दुबारा क्वालीफाइड नहीं करना होता है । वह भी एक चयन समिति से चयनित होकर आते हैं माननीय सदस्य शायद इस प्रक्रिया को नहीं जानते हैं । दुबारा चयनित होने की आवश्यकता नहीं है । उनका चयन करने हेतु एक समिति होती है जिसमें वी0 सी0, डीन तथा हेड आफ डिपार्टमेन्ट होता है । उसमें 2 मत कुलपति के 1 डीन के और 1 विभागाध्यक्ष के होते हैं । धारा 31 के अनुसार चयन को इस प्रकार में उनको फिर जाना पड़ेगा । जिसके द्वारा 5 में से 3 के बहुमत से वह चुनकर आए हैं ।

माननीय मंत्री जी, वेतन के बारे में आपने कहा । वेतन की समस्या कहाँ नहीं है । अभी मैं लखीमपुर गया था वहां पर एक बाई0 डी0 डिग्री कालेज है वहां के अध्यापकों को पता चला कि मैं बस स्टैंड पर हूं वह दौड़कर मेरे पास आये और कहा कि 3 महीने से हमलोगों को तनख्वाह नहीं मिली है । मैंने पूछा तनख्वाह न मिलने का क्या कारण है उन्होंने बताया कि डी0 आई0 ओ0 एस0 को डिमोट कर दिया गया है और वह कोर्ट चले गए और फिर उनको वही जगह मिल गई किन्तु सरकार ने जो ड्राइंग डिस्बर्सिंग का अधिकार उनसे छीन लिया था वह दुबारा देना भूल गई इसलिए उनका पे बिल नहीं पास हो रहा है और न वेतन मिल रहा है सिर्फ उसी डिग्री कालेज को नहीं वहां पर आधे से ज्यादा विद्यालयों की यही स्थिति है ।

मान्यवर, मैंने इसकी सूचना शून्य प्रहर में दी थी किन्तु एक डेढ़ महीने के बाद भी उस पर कुछ नहीं हुआ इधर 10-12 दिन के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है अगर कुछ हो गया हो तो नहीं कह सकता हूं ।

मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं आज मुझे एक पत्र मिला माननीय शिक्षा मंत्री जी का उसमें मंत्री जी ने लिखा था मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी, के टेबुल पर यह ड्राफ्ट किसी सेक्रेटरी ने बनाकर भेज दिया और मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया कि 301 की सूचना का उत्तर तो मंत्री जी के हस्ताक्षर से जाना चाहिए और उन्होंने सेक्रेटरी से कहा होगा कि यह आप ने क्या किया मेरे खिलाफ तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठ जायेगा तो उस सेक्रेटरी ने अपना नाम काट कर मंत्री जी का नाम श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी लिख दिया और शेष सारी चीजें नम्बर वगैरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

वही रहने दिया मान्यवर, इस समय मेरे पास वह पत्र नहीं है लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ।

(शम-शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष--

गुप्त जी सम्भव है आंख स्लिप हो गई हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जिस मंत्री जी की क्षमता यह है वह विश्वविद्यालय की व्यवस्था में सुधार क्या करेंगी । मेरे माननीय साथी श्री अम्मार रिजवी जो बैठे हुए हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूं । मैंने उनसे कहा था कि हमारे प्रदेश में शिक्षा की जितनी उपेक्षा हुई है शायद हिन्दुस्तान में किसी भी प्रदेश में नहीं हुई होगी । यहां का मंत्री कैबिनेट स्तर का नहीं है । वह राज्य मंत्री हैं और उनकी हालत यह है मान्यवर, यह प्रिंसिपल भी रहो हैं मुझे इनसे उम्मीद नहीं है कि वह सुधार कर पायेंगी ।

एक बात और कहूंगा माननीय काशीनाथ मिश्र जी ने जो बात कही, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, हम लोगों का मार्ग-दर्शन भी कर चुके हैं, इस अवरण में अपने पाप कब तक छुपायेंगे । हमने जो गलती की उसका परिणाम हमें मिल गया । जनता सरकार ने जो किया हम नहीं कर सकेंगे, यह बात बहुत हो चुकी । अपनी जिम्मेदारियों से छुड़ाने की बात है । यह कब तक कही जायेगी । इसलिए मैं समझता हूं शासन परिस्थितियों को समझे । मेरा यही मत था । जनता पार्टी की सरकार थी हमने यही बात कही । हम जनता के प्रतिनिधि हैं । उसके द्वारा चुने गए हैं । ईमानदारी से जनता की बात नहीं कहते हैं तो हम उसके साथ विश्वासघात करते हैं जनहित में जो बात उचित हो कहना चाहिए । जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक पर संकल्प हम सदन में लाए हैं । मैं पूरे जोर के साथ और पूर्ण सहमति के साथ इसको प्रवर समिति को भेजने पर बल देता हूं ।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं धन्यवाद देती हूं पक्ष और विपक्ष से जो विचार व्यक्त हुए । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी गुप्ता, ओझा जी तथा ऊदल जी इस विधेयक से सहमत है । उन्हें इस विधेयक के प्रिन्सिपल से कोई शिकायत नहीं है, कोई मतभेद नहीं है । आन प्रिन्सिपल वह सहमत हैं । केवल इस बात पर मतभेद है कि यह व्यापक नहीं है । यह लखनऊ की मिठाई है, बरफी है, केवल एक किलो 10 मन नहीं है । इसका नमूना पेश किया है व्यापक भी हो जायेगा ।

(शोर)

इसलिए मैं अब आपलोगों से अनुरोध करूंगी कि इसको पास किया जाये । प्रवर समिति को भेजने का जो संकल्प है इसको वापस लिया जाए । यह जो तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में है इन लोगों के लिए जो अवश्य हैं, दरवाजा खुला है । चयन समितियां बैठ रही हैं उनमें आयें, अपनी योग्यता को साबित करें । हम उनका स्वागत करेंगे । आप बच्चों को प्रेरणा दें कि वह अपनी योग्यता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बढ़ायें। चयन समिति में धड़ल्ले से आयें। इन शब्दों के साथ में आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि आप अपना संशोधन वापस लें।

एक सदस्य--

और मिठाई कब मिलेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जब इतराज नहीं है तो एक किलो मिठाई बंटवाकर तो देख लीजिए। आगे देखिए होता क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने मिठाई भी बता दी, उसकी तादाद भी। लेकिन यह बटेगी कब ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी तो मान्यवर, इब्तदाये इश्क है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 11, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 6, 7 और 8 पहली जनवरी, 1979 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 5 छब्बीस सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1-ख) में, खंड (ख) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षण या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिए शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित होगा जिसे राज्य सरकार जहां आवश्यक हो पूर्ववर्ती प्रभाव से (1 जनवरी, 1979 से पूर्व प्रभावी न होगा) अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्प संख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा ।"

धारा 50 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 50 में,—

(एक) उपधारा (1-क) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ,

(दो) उपधारा (2) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 60 क का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 60-क में, खण्ड (1) में, शब्द "स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "नगरमहापालिका" रख दिया जायगा ।

धारा 72 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978," के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे ।

धारा 72-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 72-क में, खण्ड (ग) में अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायगे ।

धारा 73 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिय जायेंगे ।

9--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) म, परन्तुक में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 की धारा 28 का संशोधन

10--मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी--

(क) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा 21 जुलाई, 1980 (जिसे आगे इस खण्ड में उक्त दिनांक कहा गया है) के पश्चात् किन्तु 31 जुलाई, 1980 के पूर्व किसी समय, उक्त अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या तात्पर्यित प्रयोग में या अपने कर्तव्यों के पालन या तात्पर्यित पालन में कृत कोई कार्य या कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश ऐसे विधिमान्य और प्रवर्तनीय होगा मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और ऐसे कार्य, कार्यवाही या आदेश के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उक्त दिनांक के बाद ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या सरकार को ऐसा कार्य या कार्यवाही करने या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं थी, अपवाद

(ख) मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-ख) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और गठित प्राधिकारियों के सदस्यों को जो 21 अप्रैल, 1980 को अपना-अपना पद धारण करते रहे हों, 31 दिसम्बर, 1981 तक या उस समय तक जब तक कि उक्त उपधारा के खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारी सम्यक् रूप से नियुक्त न कर दिये जायं और प्राधिकारी सम्यक् रूप से गठित न हो जायं, इसमें जो भी पहले हों, पूर्ववत् ऐसे पदों को धारण करता समझा जायगा।

(ग) लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के अधीन बनाए गए प्रथम परिनियमों के परिनियम 173-ए के अनुसार, 12 जून, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 22 अगस्त, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि में की गई प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति जो 22 अगस्त, 1980 को अस्तित्व में थी, विधिमान्य समझी जायगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जायगी, और उस प्रयोजन के लिय, उक्त परिनियम 173-ए को उक्त अवधि में प्रवृत्त समझा जायगा, और जहां ऐसे अध्यापक द्वारा धृत अस्थायी पद को 22 अगस्त, 1980 के पूर्व मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट, स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो वहां ऐसा अध्यापक उस स्थायी पद पर ऐसे परिवर्तन दिनांक से उक्त खण्ड (ख) के अनुसार अधिष्ठायी रूप से

नियुक्ति माना जायगा और ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के दिनांक से उस पद पर स्थायी किया गया माना जायगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 1980 और 13 सन् 1980

11--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय निरसन और संशोधन) अध्यादेश, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य अपवाद विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 2 से 11, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष --

अब हम उठते हैं और कल दिनांक 25 सितम्बर, 1980 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 6 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

24 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 938 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 से सम्बन्धित सूचना

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई कि0 मीटर	मार्ग खोले जाने के प्रमाण-पत्र दिये जाने की तिथि	क्या यातायात के लिये खोली गयी लम्बाई में यातायात चालू है	यातायात चालू न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	लम्बगांव-प्रतापनगर	21 किलो मीटर	17-5-75	इस मार्ग पर यातायात चालू है	..
2	प्रतापनगर-टिहरी मार्ग	17 किलो मीटर	13-11-79	बस यातायात चालू नहीं है	वर्षा ऋतु के पश्चात् इस मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके पश्चात् ही इस मार्ग पर बस यातायात आरम्भ होने की सम्भावना है।
3	घुस्ती-चमियाला	09 किलो मीटर	21-1-77	यातायात चालू है	..
4	घन्साली-धुत्तु	31 किलो मीटर	21-1-77	तदैव	..
5	चमियाला-बूढ़ा केदार	08 किलो मीटर	25-12-79	चालू नहीं है	क्रम संख्या 2 के अनुसार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
6	जखोली–मोरीलिंक	12 किलो मीटर	25–12–79	चालू नहीं है	क्रम संख्या 2 के अनुसार ।
7	म्याली–जखोली	8.2 किलो मीटर	25–12–79	तदेव	तदेव
8	गजा–देवप्रयाग				
	(क) गजा की ओर से	13 किलो मीटर	29–11–79	तदेव	इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण हो गया है तथा वर्षा ऋतु के पश्चात् यातायात चालू होने की सम्भावना है । यह मार्ग कच्चा है ।
	(ख) देवप्रयाग की ओर से	07 किलो मीटर	29–11–78	तदेव	वर्षा ऋतु के पश्चात् सर्वेक्षण इस मार्ग का किया जायेगा इसके पश्चात् ही इस मार्ग पर बस यातायात आरम्भ होने की सम्भावना है ।
9	गजा–क्यारी मार्ग	19 किलो मीटर	13–6–79	तदेव	मार्ग का निरीक्षण हो गया है । जिसके अनुसार यह मार्ग कच्चा है तथा मार्ग पर सुधार कार्य चल रहा है । वर्षा ऋतु के पश्चात् इस मार्ग पर बस यातायात चालू होने की सम्भावना है ।
10	किलकिलेश्वर–सिलकाखाल	16 किलो मीटर	08–3–80	चालू नहीं है	इस मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण 27–4–80 को किया गया था जिसके अनुसार यह मार्ग कच्चा है तथा मोटर चलाने योग्य है । वर्षा ऋतु के पश्चात् यातायात चालू होने की सम्भावना है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

11	दुगड्डा–सौण मार्ग	05 कि0 मी0	08–3–80	तदेव	तदेव
12	कीर्तीनगर–डाग	06 कि0 मी0	08–3–80	तदेव	तदेव
13	जामनी–जुराना	05 कि0 मी0	16–8–78	तदेव	इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण वर्षाऋतु के पश्चात् किया जायेगा तथा इसके बाद ही यातायात चालू होने की सम्भावना है ।
14	लक्ष्मणझूला–नरेन्द्रनगर बाईपास	2.75 कि0 मी0	यह बाई पास मार्ग है तथा यातायात चालू है प्रश्न नहीं है ।]		अलग से मार्ग बनाने का
15	रायपुर–कुमारड़ाकद्दुखाल	23 कि0 मी0	26–6–79	चालू नहीं है	वर्षा ऋतु के पश्चात् इस मार्ग का संयुक्त सर्वेक्षण किया जायेगा तथा इसके बाद ही यातायात चालू होने की संभावना है ।
16	बद्रीगाड़–बनचौरा	25 कि0 मी0	25–6–79	तदेव	तदेव
17	ननबाग–घोड़ाघुरी	10 कि0 मी0	26–6–79	तदेव	तदेव
18	अगलाड़–थत्यूड़	15.50 कि0मी0	25–6–78	तदेव	इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण वर्षा ऋतु के पश्चात् किया जायेगा तथा उसके पश्चात् ही यातायात चालू होने की सम्भावना है ।
19	अलगस–भवान	05 कि0 मी0	25–6–79	तदेव	तदेव
20	चम्बा–रानीचौरी	7.80 कि0 मी0	..	तदेव	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा